खण्ड-202, अंक-4
मंगलवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(3 मार्च, 1959 ई0)

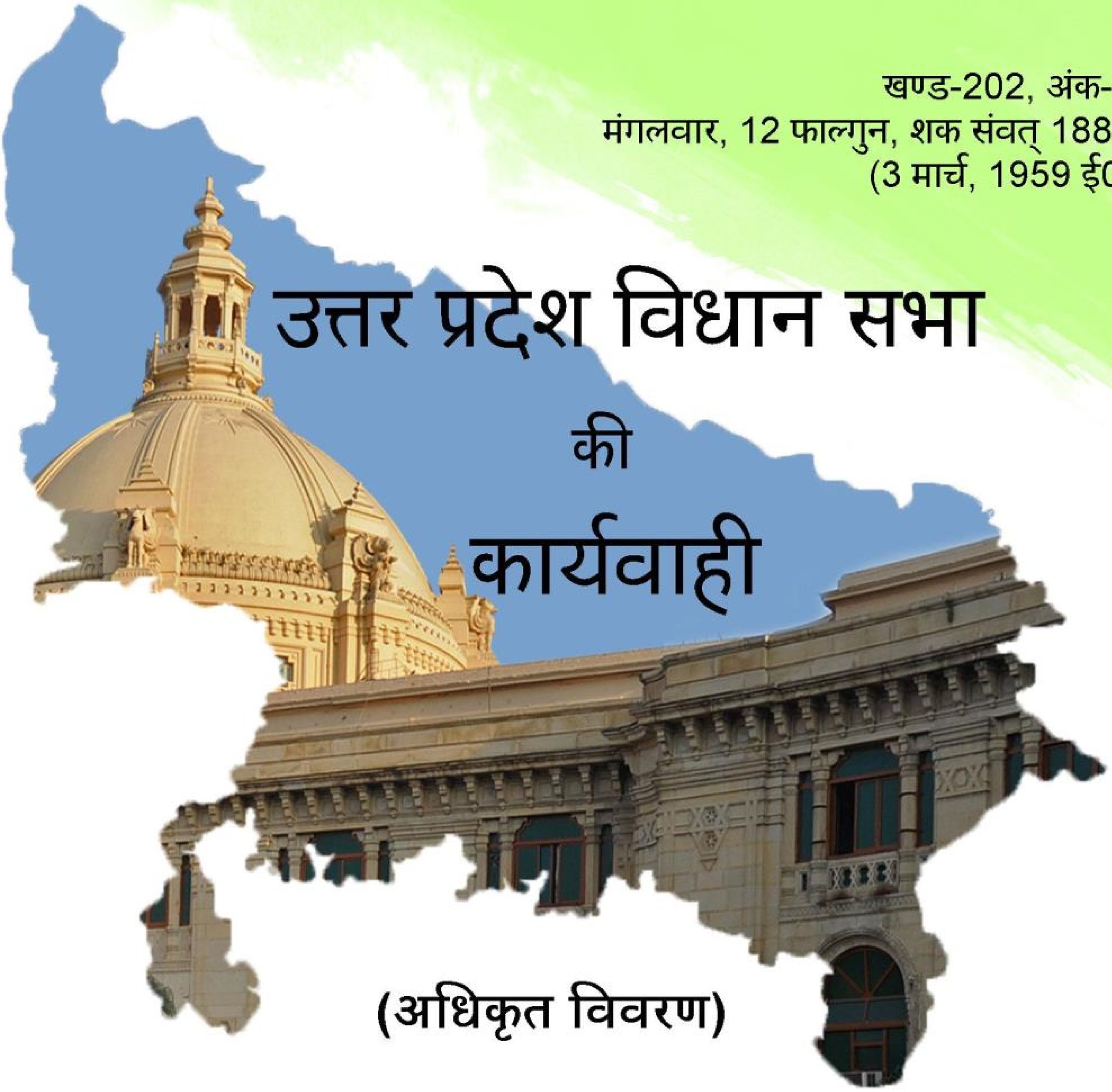

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त०, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री

रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह , राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाण्डसारी तथा कोल्हुओं पर कर

****१—श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मंत्री कृपया उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिससे यह आदेश निकालने की आवश्यकता पड़ी कि चीनी मिलों के एरिया में खांडसारी के कारखाने नहीं चल सकेंगे ?

श्रम उप-मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—ऐसे कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल्स के रिजर्व्ड और एक्साइज्ड एरियाज में केन क्रशर्स पर जो चालू हैं एक टैक्स निर्धारित करने का सरकार ने कोई आदेश निकाला है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी २, ३ रोज हुए इन प्रश्नों का पहले वे अपने वक्तव्य में जवाब दे चुके हैं । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आज से ३ सप्ताह पूर्व समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबर छपी थी कि जिन क्षेत्रों में चीनी मिलें चल रही हैं उनमें खांडसारी पर कुछ रोक लगाने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—इस विषय पर भी ३, ४ रोज पहले वे बतला चुके हैं । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस प्रकार का आदेश निकालने के पहले क्या स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्रीय सरकार में कोई सलाह मश्विरा हुआ था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, जैसा उस दिन निवेदन किया था इस सदन में, केन्द्रीय सरकार ने खांडसारी उद्योग के सम्बन्ध में जांच समिति बैठाई थी । उसकी सिफारिश व राय हमको भेजी गयी और उनकी सिफारिश अगर मैं यह कहूं कि हमने कतई नहीं मानी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमने किया है वह उस सिफारिश का सौवां हिस्सा भी नहीं है जो उनकी राय थी ।

श्री गेंदासिंह—केन्द्रीय सरकार का जो इरादा था उस पर क्या माननीय मंत्री रोशनी डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो जांच समिति बैठी थी उसके तमाम सुझाव थे। जैसा कि मैंने वक्तव्य में भी कहा था, वे चाहते थे कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाय। कुछ ड्यूटीज खांडसारी पर लगायी जायं। मजदूरों की मजदूरी के सम्बन्ध में कोई रूपरेखा तैयार की जाय। इस तरह की बहुत सी सिफारिशें थीं, लेकिन एक सिवा लाइसेन्स लगाने के हमने कोई दूसरी चीज नहीं की।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने खांडसारी पर भारी एक्साइज ड्यूटी लगाई है कोल्हुओं पर जो भारी लाइसेंस की व्यवस्था रखी गयी है उस पर माननीय मंत्री पुनः विचार करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं निवेदन कर दूं कि कोल्हू एज सच पर तो कोई टैक्स नहीं है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता, लेकिन अगर माननीय सदस्य का मतलब उन कोल्हुओं से है जो ७, ७ जोड़ी बैल से चलते हैं और २५० मन से अधिक प्रति दिन रस निकालते हैं तो मैं निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में हमारी तरफ से जो निश्चय किया गया है वह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक्साइज ड्यूटी लगाने से कोई भारी बोझ पड़ेगा, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---जब कि क्रशिंग सीजन समाप्त होने जा रहा है और केवल १५ दिन सीजन के रह गये हैं तो पूरे साल की फीस का बोझ उन पर डालना कहां तक उचित होगा इस पर क्या माननीय मंत्री पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस बात का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लाइसेन्स फीस पूरे सीजन के लिए लगाई जा रही है। लाइसेन्स फीस तो लाइसेन्स लेने के लिये लगाई जा रही है। एक बार लाइसेन्स मिल जायगा उसके बाद फिर वह सिलसिला जारी हो जायगा, और उसे कभी तो शुरू करना ही होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में यू० पी० और बिहार का जो शुगर केन बोर्ड है उसने भी कोई फैसला किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---इस बात को देखते हुए कि लाइसेंसिंग फी तब तक नहीं लगायी जा सकती जब तक कि करेस्पांडिंग फेसिलिटीज न प्रदान की जायं, इस बात पर मंत्री जी पुनः विचार करेंगे कि यह लाइसेंसिंग फी हटा दी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कोई करेस्पोंडिंग फेसिलिटीज का सवाल नहीं है, केवल राइट टु क्रश है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंडस्ट्रीज विभाग से जो सुविधाएं अब तक क्रशर्स को मिलती थीं जैसे लोन वगरह, उसमें तो कोई अन्तर नहीं आयेगा इस पौलिसी से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, कोई अन्तर आने की सम्भावना नहीं है जिनको लाइसेंस मिलेगा उनको हर तरह की सहायता मिलेगी।

श्री गेंदासिंह---क्या मैं उद्योग मंत्री जी की याददाश्त पर जोर डालूं कि शुगर केन बोर्ड में १५ नवम्बर को यह प्रश्न आया था मिल मालिकों की तरफ से कि खांडसारी उद्योग पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने कहा इस लाइसेंसिंग से शुगर केन बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। लाइसेंसिंग को करने में शुगर केन बोर्ड के सलाह मश्विरे की न कोई जरूरत थी और न है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी पहले से थी कि लाइसेंसिंग फीस लगाने के बाद केन्द्रीय सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी खंडसारी पर ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री राजनारायण---तो जब सरकार की जानकारी में यह बात है कि खांडसारी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो खांडसारी मंहगी न हो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार लाइसेंसिंग फीस को हटाने का विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इस आदेश के बाद गन्ने के दाम कम हो गये हैं खांडसारी इंडस्ट्री में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं इस आर्डर के निकलने के बाद तो नहीं हुए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था जिस-जिस क्षेत्र में मिलें बन्द होती जाती हैं गन्ने के दाम खांडसारी वाले एकाएक घटाकर कम कर रहे हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आल इंडिया कमेटी बनी थी खांडसारी में जानकारी करने के लिये उसने ऐसी सिफारिश की थी कि एक्साइज ड्यूटी न लगे और लाइसेंस फीस लगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उस कमेटी की जितनी सिफारिशें मैं बता सकता था मैंने पहले ही बता दीं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या यह सही है कि इस आर्डर के तहत में मिलों के रिजर्व एरिया में प्राइवेट फार्म होल्डर्स को भी केन क्रशर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैनुफैक्चरर कौन होगा यह उक्त आदेश के अन्तर्गत दी गई परिभाषा में दिया हुआ है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लाइसेंस के मामले में गवर्नमेंट अपना डिस्क्रीशन रखेगी या जो कोई भी आदमी दरख्वास्त देगा उसी को लाइसेंस दे देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गवर्नमेंट तो लाइसेंस देगी नहीं, गन्ना आयुक्त देंगे और उनके आगे बहुत सारे सवाल होंगे। वह सभी बातों को सामने रख कर लाइसेन्स देंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रतिबन्धात्मक लाइसेन्स कर लगाया गया है वह सारे प्रदेश की खांडसारी पर लगाया गया है या सिर्फ मिलों के रिजर्व एरिया पर ही लगाया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा---मैंने जैसा कहा प्रदेश के सिर्फ ३० जिलों में लगाया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार ने ऐडवोकेट जनरल से इस मामले में मश्विरा कर लिया है कि इस प्रकार का लाइसेंस लगाने का अधिकार उनको है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हमें अपने अधिकारों के बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--जहां पर गन्ना मिलें पेर नहीं पाती हैं यदि वहां खांडसारी बनाने का क्षेत्र हो तो उससे लाइसेंस फीस हटाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--किसी एक बात के ऊपर लाइसेंस देने की बात नहीं रहेगी। गन्ने के उत्पादन की मात्रा, मिल की कैपेसिटी पर भी ध्यान रहेगा और खांडसारी की जरूरत पर भी ध्यान रहेगा। यह सब बातें रहेंगी जब लाइसेंसिंग अथारिटी लाइसेंस देगी।

तारांकित प्रश्न

जिला बोर्ड आजमगढ़ के पुराने कर

*१--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि हाल में आजमगढ़ जिले में बहुत पुराने जिला बोर्ड के टैक्सों की वसूली के लिये लोगों के पास नोटिसें भेजी गई हैं और सरकार के पास आजमगढ़ जिले से इसके बारे में कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां।

*२--**श्री मुक्तिनाथ राय**--यदि हां, तो क्या सरकार १०, १५ वर्ष पुराने टैक्सों की वसूली में नये सिरे से विचार करने तथा सुनवाई कर के तब वसूली का कार्य करने का आदेश देने का बिचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--नियमानुसार असेसमेंट के खिलाफ जिलाधीश को अपील की जा सकती है। इसलिये शासन द्वारा नये सिरे से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग पिछले कई वर्षों से टैक्स नहीं दे सके हैं, उनकी अपील की सुनवाई करने के लिये जिलाधीश को आदेश सरकार देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--शासन की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया जाता है। ऐक्ट बना हुआ है, उसके अन्तर्गत अपील्स होती हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय--नियम यह है कि जो टैक्स लगता है उसके एक ही महीने के अन्दर अपील करता है टैक्स जमा कर के। मुझे पूछना है कि १०-१५ साल तक का टैक्स बाकी है और लोगों को पता नहीं है, इस प्रकार के टैक्स की कैसे माफी करायी जाय, इसकी क्या व्यवस्था होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--कानून के अन्तर्गत टैक्स लगाया जाता है और कानून के अन्तर्गत ही बन्द किया जाता है। सरकार इस बीच में नहीं आती।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों का चुनाव

*३--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों का चुनाव उनके चुनाव समिति द्वारा वर्ष १९५६ तथा १९५७ में किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--वर्ष १९५६ में चुनाव समिति द्वारा पंचायत मंत्रियों का चुनाव किया गया, परन्तु वर्ष १९५७ में कोई चुनाव नहीं हुआ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७ में कितने व्यक्ति जिला पंचायत अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आशा नहीं करता था। लेकिन पिछले सप्ताह में माननीय सदस्य महोदय को सूचना दी थी कि कुछ व्यक्ति जरूर ५७ में नियुक्त किये गये थे जिला पंचायत अधिकारी द्वारा। लेकिन उसके बाद कमेटी ने सन् ५८ में चुनाव किया तो वह कमेटी में गये और जो चुने गये वही रक्खे गये बाकी अलहदा कर दिये गये।

गल्ला व्यापारियों पर बकाया बिक्री-कर

*४---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में अद्यावधि गल्ले पर बिक्री-कर के हेतु राज्य में कितनी रकम असेस (asses) की गई तथा उसमें से कितनी वसूल की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---१० जनवरी, १९५९ तक सुल्तानपुर सब सर्किल को छोड़ कर (जिसके बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) गल्ले पर कुल ३०,९८,६३३ रुपये बिक्री-कर लगाया गया जिसमें से २१,८९,३९० रुपये वसूल हो गया है।

*५---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस श्रेणी के गल्ला व्यापारियों के जिम्मे कितनी बिक्री-कर की रकम बकाया है तथा अब तक वसूली के लिये क्या प्रयत्न किये गये तथा उसमें क्या कठिनाई महसूस हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---गल्ले के अलग-अलग श्रेणी के व्यापारियों पर कितना रुपया बाकी है इसकी सूचना विभाग के पास मौजूद नहीं है। बहर हाल २६,१६,४११ रुपये (जिसमें पिछले सालों की बाकी रकम शामिल है) गल्ले के व्यापारियों पर बिक्री-कर के रुप में बकाया है। बिक्री-कर की वसूली के लिये recovery certificates जारी किये गये और अमीन भी नियुक्त किये गये। गल्ले के व्यापारियों से बिक्री-कर वसूल करने के सिलसिले में निम्नलिखित कठिनाइयां सामने आईं :---

(१) व्यापारियों ने किसी न किसी बहाने रुपया जमा नहीं किया वे इसी उम्मीद में रहे कि सरकार उन्हें कुछ न कुछ सुविधा देगी। इस सिलसिले में उन्होंने सरकार को और बिक्री-कर आयुक्त को कई बार आवेदन-पत्र भी दिये।

(२) बहुत से व्यापारियों ने नाम बदल कर कारोबार शुरू कर दिया है जिससे उनका पता लगाना कठिन हो गया है।

(३) बिक्री-कर अथवा कर मुक्ति शुल्क लगाये जाने के विरोध में writ petitions, appeals और revisions भी दायर किये गये और उनका फैसला होने तक अदालतों ने बिक्री-कर की वसूली रोक दी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) --क्या सरकार बताएगी कि अमीनों ने व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या किसी को कुर्की की गई ? की गई, तो कितनों की ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---यह तफसील तो इस वक्त नहीं है कि अमीनों ने कितनों की कुर्की की। की या नहीं, लेकिन जो तरीका ऐसी रकमों के वसूल करने का होता है वह अख्तियार किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस रकम को वसूल करने का कौन तरीका इस्तेमाल किया गया ? क्या अमीन मुकर्रर करने का और रिकवरी सर्टिफिकेट भेजने का भी तरीका इस्तमाल किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि कानून में लिखा हुआ है कि बकाया एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायगी, वही तरीका इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे जैसे दिक्कतें हुई होंगी उनको हल किया गया होगा, ज्यादा तो इस की तफसील मुझे नहीं मालूम है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तरह से लैन्ड रेवेन्यू की वसूली होती है कि पहले कुर्की होती है, फिर नीलाम होता है और बाद में रुपया जमा कर लिया जाता है और अपील के बाद रुपया वापस हो जाता है, क्या इसी तरह का काम अमीनों ने किया ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने कहा कि मुझे अलग तफसील तो मालूम नहीं है लेकिन अगर जरूरत पड़ी होगी तो यह तरीका अख्तियार किया गया होगा।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि निम्न श्रेणी के व्यापारियों की कर मुक्ति की रकम इतनी कम है कि वह टैक्स नहीं दे पाते हैं और उसी का यह फल है कि इतनी रकम बाकी है ?

श्री सैयद अली जहीर--- रकम कम होने की वजह से वह नहीं दे पाते यह बात तो समझ में नहीं आती।

श्री मदन पांडेय---मेरा मतलब यह है कि व्यापारियों का पेट नहीं भर पाता और वह टैक्स नहीं चुका पाते, इसको देखते हुए सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है ?

†**श्री सैयद अली जहीर**---१२,००० रुपये तक वालो को १८ रुपये और १२,००० रुपये से २५,००० रुपये तक वालों को १५० रुपये कर मुक्ति शुल्क के रूप में देना होता है। यह ज्यादा नहीं है। जो तिजारत गल्ले की करने वाले हैं वह इतना तो दे ही सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह २६ लाख रुपया किस श्रेणी के व्यापारियों पर बकाया है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो जवाब में ही बताया गया कि यह तफसील अभी नहीं आ सकी है कि किस श्रेणी वालों पर कितना बकाया है।

श्री गेंदा सिंह---जबाब से मालूम होता है कि सरकार इस वसूली में बहुत परेशान हुई है, तो क्या इस परेशानी को देखते हुए और इस छोटी रकम को देखते हुए सरकार विचार कर रही है कि अनाजों पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---परेशानी तो हर तरह के टैक्स के वसूल करने में होती है लेकिन कोई टैक्स इस बुनियाद पर माफ नहीं हो सकता कि उसकी वसूली में परेशानी होती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रकम वसूल हुई है और जो बकाया है उसका आपस में क्या अनुपात है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने रकम बता दी, हिसाब किताब आप लगा सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया लगान की वसूली के लिये किसानों के खिलाफ जो सख्त कार्यवाही की जाती है वैसी एक भी कार्यवाही व्यापारियों के खिलाफ की गई ?

श्री अध्यक्ष---उन्हें मालूम ही नहीं तो वह क्या बतायें।

---

†वित्त मंत्री द्वारा १७ मार्च, १९५९ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित उत्तर।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने व्यापारियों को बिक्री-कर में रिआयत का आश्वासन दिया था और इसी वजह से बकाया ज्यादा बढ़ गई ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार ने तो कभी कोई वादा नहीं किया लेकिन बहरहाल यह जरूर था कि उन्हें आगे चलकर रिलीफ दी जायगी, लेकिन पुराने पर रिलीफ का सवाल पैदा नहीं होता कि उसकी वजह से वह रुक जाय ।

इलाहाबाद नगरपालिका की इमारतें, सड़कें तथा स्कूल

*६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के कितने कर्मचारी नगरपालिका की इमारतों में रहते हैं और उनको कितना कितना किराया देना पड़ता है ।

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित सूचना संलग्न सूची† में दी हुई है ।

*७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका ने १९५६-५७, ५७-५८ में कितनी नई सड़कें, स्कूल अस्पताल खोले या बनवाये ?

श्री रामस्वरूप यादव---वर्ष १९५६-५७ में इलाहाबाद नगरपालिका ने लगभग १६ मील लम्बी सड़कें बनवाई, ९ स्कूल खोले तथा कोई नया अस्पताल नहीं खोला ।

वर्ष १९५७-५८ में इलाहाबाद नगरपालिका ने लगभग ६, १/२ मील लम्बी सड़कें बनवाई, ४ स्कूल खोले तथा कोई नया अस्पताल नहीं खोला ।

*८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १५५६-५७, १९५७-५८ में सरकार ने इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी में कौन-कौन सी सहायता स्कूल, अस्पताल तथा सड़कों के मरम्मत या खोलने में की ?

श्री रामस्वरूप यादव---वर्ष १९५६-५७ में इलाहाबाद नगरपालिका को सड़कों के लिये ४,०३,५०० रुपये का तथा स्कूलों के लिये १२,००० रुपये का सरकारी अनुदान दिया गया ।

वर्ष १९५७-५८ में इलाहाबाद नगरपालिका को सड़कों की मरम्मत के लिये १,००,००० रुपये का और स्कूलों के लिये ४,००० रुपये का सरकारी अनुदान दिया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों की सूची पेश की गई है उसमें से कितने ऐसे हैं जो प्रशासक को पहले किराया देते थे और अब नहीं देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के प्रशासक ने सरकार को लिखा है कि उनकी इमारतों में जो मेहतर रहते हैं उनसे किराया न लिया जाय और माफ कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वहां कितने मेहतर ऐसे हैं जो किराया देते हैं और कितने ऐसे हैं जिनसे नहीं लिया जाता ?

---

†सूची छापी नहीं गई ।

श्री रामस्वरूप यादव--जो प्रश्न था वह यह था कि नगरपालिका की इमारत में कितने कर्मचारी रहते हैं ? तो ५० कुल कर्मचारी हैं जो नगरपालिका की इमारत में रहते हैं । उसमें मेहतरों की संख्या एकत्रित करने में समय लगेगा । उनमें कुछ से किराया लिया जाता है , कुछ से नहीं लिया जाता । जिनकी सर्विस के साथ यह लिखा रहता है कि इनको मकान दिया जायगा और जिनकी सेवाएं ऐसी होती हैं कि जिनको एक खास स्थान पर रहना जरूरी होता है, उनको इमारत बगैर किराये के दी जाती है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो अनुदान दिया गया है यह नयी सड़क बनाने के लिये दिया गया है या सड़क की मरम्मत के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सड़क की मरम्मत के लिये भी दिया गया है, रिन्युअल के लिये भी दिया गया और नयी सड़क के लिये भी दिया गया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--मंत्री महोदय बतायेंगे कि १६ मील सड़क जो बनायी गयी, यह नयी थी या पुरानी सड़क की मरम्मत करायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मेरे पास ब्योरा है, लेकिन लम्बा है । कुछ फरलांग नयी बनी है, कुछ मरम्मत हुई है । अलग अलग शहर की सड़कें हैं।

श्री अध्यक्ष--कुछ नयी बनी हैं, कुछ पुरानी बनायी गयी हैं ? खैर, इतना जवाब ही आप का काफी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ९ स्कूल खोले गये वह किन-किन मोहल्लों में खोले गये और लड़कों के थे या लड़कियों के ?

श्री रामस्वरूप यादव--स्कूल तो दोनों लड़कों और लड़कियों के थे, लेकिन किस किस मुहल्ले में थे इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह जानकारी है कि जो १६ मील सड़क बनी उसमें नयी कितनी बनी और तमाम कंक्रीट की बनी या अलकतरे की बनी ?

श्री रामस्वरूप यादव--वैसे सीमेंट कंक्रीट की भी बनी हैं, लेकिन अलग अलग कितनी नयी और कितनी मरम्मत हुई उसके लिये जैसा मैंने कहा, आंकड़े एकत्रित करने में समय लगेगा ।

अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़क का निर्माण

*९--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़क के निर्माण की अभी तक क्या प्रगति हो पायी है और यह सड़क कब तक बन कर पूरी हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)--इस सड़क के ६ मीलों में पहाड़ की कटाई व दिवालें बनाने का काम हो गया है । इस समय यह कहना संभव नहीं है कि यह सड़क कब बन कर पूरी हो जायेगी ।

*१०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह निश्चय कर लिया है कि यह सड़क कठपुलीछीना होकर बागेश्वर को बनायी जायेगी ?

श्री महावीरसिंह--जी हां, इस सड़क को कठपुलीछीना होकर बागेश्वर ले जाने का निश्चय किया है ।

*११--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस सड़क के बनान में कुल कितन व्यय का अनुमान है ?

श्री महावीरसिंह--इस सड़क के बनाने में रुपये १५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बताने कृपा करेंगे कि यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ?

श्री महावीरसिंह--यह चालू योजना में है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल सड़क कितनी है और कितनी मील ऐसी है जिस पर बिलकुल काम शुरु नहीं हुआ ?

श्री महावीरसिंह--पूरी सड़क साढ़े ३४ मील है और जैसा जबाब में बताया गया ६ मीलों में कटाई हुई है और दीवालें बनाने का काम हुआ है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि आन दि स्पाट वैरिएशन्स फ्राम औरीजिनल एस्टीमेंट्स कई हैं और एग्जीक्युटिव इंजीनियर वहां वेरिफाई करने जा नहीं रहे हैं जिससे सारा काम रुका पड़ा है ?

श्री महावीरसिंह--ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस सड़क पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री महावीरसिंह--२,१३,३२९ रुपया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि ६ मील लम्बी सड़क बनाने में कितना वक्त लगा ?

श्री महावीरसिंह--६-६-१९५८ को यह कार्य स्वीकृत हुआ था और तभी से चल रहा है।

*१२-१४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[१७ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में सरैय्या से राप्ती तक ट्रामवे लाइन बनाने का विचार

*१५--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरदार नगर, जिला गोरखपुर में वहां की शुगर मिल अपने मिल से गयापार ग्राम तक कोई रेलवे लाइन बना रही है ? यदि हां, तो सरकार से कब आज्ञा मांगी गई तथा कब आज्ञा प्रदान की गयी ?

श्री महावीरसिंह--जी नहीं, परन्तु इस मिल द्वारा सरैय्या से राप्ती तक एक ट्राम्वे लाइन निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*१६--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--इस रेलवे लइन को बनाने में कितने एकड़ जमीन मिल के द्वारा एक्वायर की जा रही है और इस एक्वीजीशन में कितने किसानों की भूमि जा रही है ?

श्री महावीरसिंह--इस ट्रामवे लाइन के निर्माण के संबंध में अभी भूमि एक्वायर नहीं की गई है।

*१७--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--इस भूमि का किस रेट से कितना मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्री महावीरसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है उस योजना के अन्दर तो यह होगा ही कि कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी ?

श्री महावीरसिंह--अनुमान है कि लगभग १५० एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या इस भूमि के अन्दर वहां के किसानों की जो सब से अच्छी जमीन है वह पड़ रही है, ऐसी सरकार को सूचना है ?

श्री महावीरसिंह--जिलाधीश, गोरखपुर से सूचना मांगी गयी है और अभी यहां दस्तयाब नहीं है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो जमीन ऐक्वायर होने वाली है या जिस जमीन को ऐक्वायर करने के लिये प्रस्ताव है उसको वहां के चकबन्दी अफसर ने उन गांवों को चकबन्दी के हिस्से में ऐडजस्ट करने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री महावीरसिंह--जैसा मैंने कहा, अभी तो यह प्रश्न दूर है । इसमें बहुत सी और कार्यवाहियां होने वाली हैं । जब वे हो जायंगी तब यह प्रश्न पैदा होगा ।

श्री अक्षयवरसिंह (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो जमीन ली जा रही है उसके बगल एक लम्बा धस और पक्की सड़क भी है ?

श्री महावीरसिंह--इसकी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामायण राय--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो जमीन किसानों की निकल रही है उसके बदले में सरदार साहब के फार्म से सरकार उन किसानों को जमीन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरसिंह--अभी यह प्रश्न उपस्थित नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह ट्रामवे लाइन बनाने की मिल को क्या आवश्यकता पड़ी जब कि उस एरिया का सारा गन्ना सड़क से ट्रेलर और ट्रैक्टर से लाया जा सकता था ?

श्री महावीरसिंह--ढोने की सहूलियत की वजह से ।

श्री गेंदासिंह--इस ट्रामवे लाइन के बनाने के लिये आज से तीन वर्ष पहले १० लाख रुपया इस फैक्टरी को दिया जा चुका है तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह रुपया इस वक्त किस जगह पर है ?

श्री महावीरसिंह--उद्योग तथा आबकारी विभाग ने २८ मार्च, १९५६ को १० लाख रुपया बतौर कर्ज के श्री मजीठिया, जो सीनियर मैनेजिंग पार्टनर हैं उनको स्वीकृत किया था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मंत्रीजी के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में पहले कहा कि योजना विचाराधीन है और अभी कहा कि १० लाख रुपया इसी ट्रामवे लाइन के लिये दिया गया था । तो अगर दिया गया तो योजना कैसे विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह--दोनों प्रश्न अपनी जगह पर ठीक हैं और उनके उत्तर भी ठीक हैं । १० लाख रुपया, जैसा बताया, उद्योग और आबकारी विभाग ने उनकी दरख्वास्त पर स्वीकृत किया । उसके बाद बहुत सी चीजें होती हैं । केवल स्वीकार करने से रुपया तो नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट बीच में आता है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट बीच में आती है । ये सब चीजें होने के बाद तब कहीं यह प्रश्न पैदा होता है कि दिया गया या नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ । सरकार बताये कि १० लाख रुपया देने का अर्थ हुआ कि उसने योजना स्वीकृत की और यदि योजना सरकार के विचाराधीन है तो फिर १० लाख रुपया क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह बहुत स्पष्ट है, सिर्फ इतना अस्पष्ट है कि १० लाख रुपया दिया गया या नहीं ।

श्री महावीरसिंह--श्रीमन्, यह स्वीकृत हो चुका है और उद्योग तथा आबकारी विभाग इस पर रोशनी डाल सकता है । हमारे विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार जानकारी करायेगी कि यहां पर माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी ने सदन में स्वीकार किया है कि १० लाख रुपया दिया जा चुका है और जब सदन में आपत्ति उठायी गयी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे कि इस रुपये से कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि माननीय निर्माण मंत्री जी से प्रश्न पूछा जा रहा है और उनको इस बात का पता नहीं है । इसलिये जानकारी कराने के लिये नया प्रश्न माननीय सदस्य लिख कर भेजें ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनको १० लाख रुपये की सहायता मिली और उन्होंने ट्रामवे लाइन नहीं बनाई तो क्या उनसे कोई जवाब तलब किया गया है ?

श्री महावीरसिंह--सम्भवतः माननीय सदस्य ने उत्तर सुनने की कृपा नहीं की । मैंने अर्ज किया कि इस प्रश्न का उस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

कानपुर में श्रमिक आवासों का निर्माण

*१८--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रमिक आवासों का निर्माण कानपुर में भारत के सुरक्षा-विभाग की भूमि पर भी हुआ है तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर में श्रमिक आवास जो बने हुये हैं उनमें ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनको रहने की इजाजत नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे लोग कितने हैं और इजाजत देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास इसकी सूचना नहीं है कि जिन लोगों को हक नहीं है वह उनमें रह रहे हैं ।

*१९--**श्री त्रिलोकी सिंह**--[१९ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पार्क रोड, लखनऊ का खराब ड्रेनेज सिस्टम

*२०--**श्री त्रिलोकी सिंह**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४ पार्क रोड, लखनऊ के नागरिकों की ओर से मुहल्ले के ड्रेनेज के सम्बन्ध में २८ जनवरी, १९५८ का कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास आया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*२१--**श्री त्रिलोकी सिंह**--सरकार ने उक्त मुहल्ले के ड्रेनेज को ठीक कराने तथा नाली साफ रखने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रार्थना पत्र प्रशासक, नगरपालिका, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिया गया था । प्रशासक ने सूचित किया है कि पार्क रोड, लखनऊ के निवासियों के प्रार्थना पत्र के अनुसार बरसाती पानी के शीघ्र निकास के लिये वहां पर स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण कराया गया जिसके फल स्वरूप इस वर्ष बरसाती पानी शीघ्रता से निकल गया और उक्त नाली की सफाई एक भिश्ती व एक मेहतर द्वारा नित्य प्रति की जाती है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मुहल्ले के ड्रेनेज के लिये जो इंतजाम किया गया है यह मुस्तकिल है या आर्जी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो मुस्तकिल इंतजाम है कि बरसात में अगर ओवरफ्लो हो तो पानी निकल जाय ।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस नाले का जो कच्चा हिस्सा है उसको पक्का करने का विचार है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---विचार तो है लेकिन हर चीज रुपये के ऊपर मुनहसिर होती है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस नाले का कितना हिस्सा पक्का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---थोड़ा बहुत हिस्सा पक्का है अभी तो ।

श्री गेंदासिंह---रुपया कब तक हो जाने की उम्मीद है, इसका अंदाजा मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो नगरपालिका का नाला है । अगले वित्तीय वर्ष में वह विचार करेगी कि उस पर कितना रुपया खर्च किया जा सकता है ।

*२२---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---[खाद्य मंत्री से सम्बन्धित ९ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नरौली ग्राम के हरिजनों की भूमि

*२३---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के नरौली ग्राम के हरिजनों की अधिकांश भूमि पुल एवं सड़क के निर्माण में ले ली गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---जी नहीं ।

*२४---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उनके जीवन-यापन के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल जिले में ईंधन व इमारती लकड़ी की समस्या

*२५---**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि गढ़वाल जिले की उन पट्टियों में जहां ईंधन, इमारती लकड़ी इत्यादि प्राप्य नहीं हैं वहां स्थानीय जनता की एतत् सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की ओर से आमतौर से जलाने और इमारती लकड़ी मुहय्या (पूर्ति) करने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता । यह चीजें बहुत-सी और ऐसी ही चीजों की तरह खुले बाजार में बेचने वाले बेंचते और लोग खरीदते हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि हाल में वन विभाग ने अपनी नीति द्वारा सारे डिपो अपने कब्जे में ले लिये हैं और जो लोग खुले बाजार में लकड़ी बेंच सकते थे अब नहीं बेंच सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। सब जगह नहीं लिये हैं। सिर्फ दो जगह ऐसे डिपो कायम किये गये हैं जहां तक मैं जानता हूं और उन दोनों जगहों पर जो लकड़ी जंगल से उठा कर लाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो यहां जमा कर दें और उसके बाद जो लोग आते हैं वह डिपो से खरीद कर ले जाते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो लोग खुले बाजार में लकड़ी बेंचते थे उनको आदेश कर दिया गया है कि वह डिपो में लकड़ी ला कर बेचेंगे, खुले बाजार में नहीं बेंच सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो उसी लकड़ी के लिये है जो जंगल से उठा कर लाते हैं। अगर और कहीं से लकड़ी लायें और बेचें तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को फारेस्ट ग्रीवेंसेज कमेटी की सिफारिश मालूम है जिसमें लिखा है कि पहाड़ में रहने वाले आदमी खुले बाजार में लकड़ी बेंच सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—वह अब भी है। फिर इस पर गौर करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या वित्त मंत्री को मालूम है कि गढ़वाल जिले में इमारती लकड़ी अब इतनी इफरात से नहीं रही कि खुले बाजार में बेची जा सके या खरीदी जा सके ?

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल, सरकार की तरफ से जो इसके मुताबिक कंसेशंस थे वह अब भी उसी तरह से लागू हैं। इसके अलावा अगर लोग बेचते थे तो वह अब भी बेंच सकते हैं। नहीं बेंचते थे तो उसकी मुझको इत्तला नहीं है। बहरहाल पूरे गढ़वाल की यह सूरत नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—क्या माननीय वित्त मंत्री कृपया ऐसे अभावग्रस्त इलाकों में सरकार की ओर से ईंधन और इमारती लकड़ी के डिपो खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। यह काम इतना बड़ा है कि हर जगह हम इसका इंतजाम नहीं कर सकते हैं। जहां-जहां हमारे जंगल हैं, वहां पर और ज्यादा मांग है, वहां ऐसा इंतजाम कर दिया गया है और वहीं पर रहेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पहाड़ पर जो जंगलों से गिरी पड़ी और सूखी लकड़ी उठाते थे उसको उठाना बिक्री करने के लिये सरकार ने बन्द कर दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—उनको नहीं बन्द किया गया है। उन्हें अब भी वही अधिकार हैं।

अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ के उपाध्यक्ष

*२६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के उपाध्यक्ष के विरुद्ध किसी आडिटर ने हाल ही में आडिट रिपोर्ट लिखी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लोकल फण्ड आडिटर द्वारा कोई रिपोर्ट अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष के विरुद्ध नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार अंतरिम जिला परिषद् के आडिटों की प्रतिलिपि मंगा कर स्वयं देखने को कृपा करेगी कि उन रिपोर्टों में बहुत जगह अनियमितता बरतने की शिकायत की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वित्तीय वर्ष १९५७-५८ का आडिट हो रहा है । अभी रिपोर्ट कहां से मंगा लें ?

*२७-२८---श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---[मुख्य मंत्री से संबंधित १२ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२९---श्री देवीप्रसाद मिश्र---[१७ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

कन्नौज नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन न होना

*३०---श्री हीरालाल यादव (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरायमीरा, मकरन्द नगर, चौधरी सराय आदि गांव सभाओं को कन्नौज नगरपालिका में मिलाये जाने के सम्बन्ध में जो जांच स्वायत्त शासन मंत्री ने ४-११-५८ को की, उस सम्बन्ध में सरकार किस परिणाम पर पहुंची है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि नगरपालिका की सीमा में सरायमीरा, मकरन्दनगर आदि गांव-सभाओं को न मिलाया जाय ।

गोंडा नगरपालिका की वाटर वर्क्स योजना

*३१---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगरपालिका में वाटरवर्क्स का बनना कब शुरू होने और कितने दिनों में बन कर चालू होने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---गोंडा में वाटर वर्क्स योजना के निर्माण के लिये शासन ने हाल ही में २ लाख रुपये का ऋण गोंडा नगरपालिका को स्वीकृत किया है, जिसके फलस्वरूप पाइप क्रय करने का आदेश हो गया है । योजना की कुल अनुमानित लागत १०,७६,००० रुपया है । शेष धन इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये आगामी वर्षों में दिया जायगा जब भारत सरकार से धन प्राप्त होगा । भारत सरकार से धन ठीक समय पर प्राप्त होने पर यह आशा की जाती है कि उक्त योजना के निर्माण का कार्य मार्च, १९६१ तक समाप्त हो जायगा ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टंकी और पाइप बिछाने का काम कब से शुरू होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, टेंडर मांग लिये गये हैं । जल्द ही शुरू होगा ।

*३२---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[१७ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३-३४---श्री गनेशचन्द्र काछी---[१७ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

गढ़वाल जिले के भूमिहीनों के लिये भूमि

*३५---श्री गरीब दास (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष जिला गढ़वाल के भूमिहीनों की ओर से क्या कोई प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्त करने को सरकार अथवा वन विभाग अधिकारियों के पास आये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस विषय में कई प्रार्थना-पत्र आये थे और यह विषय श्री खुशोराम, एम० एल० ए० द्वारा तीनों जिले नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के लिये कुमायूं फ.रेस्ट कमेटी में भी पेश किया गया था ।

श्री गरीब दास--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--मालधन चौड़, तराई भावर डिवीजन में ३,००० एकड़ से भी अधिक वन भूमि भूमिहीनों के बसने के लिये फिलहाल वन विच्छेद की जा चुकी है । इसके अलावा और भी भूमि वन विच्छेद करके देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गरीब दास--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और कितने व्यक्तियों को जमीन मिली ?

श्री सैयद अली जहीर--इस वक्त मुझे नहीं मालूम । आये बहुत से थे इसमें कोई शक नहीं ।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मालधन चौड़ में कितने भूमिहीन बसाये जा चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, यह मैं नहीं बतला सकता कि कितने बसाये जा चुके हैं। लेकिन ३ हजार एकड़ से ज्यादा ही जमीन जंगल काटकर के दे दी गई है। वहीं लोग बस रहे हैं ।

श्रीचन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि भूमिहीनों को दी गई है उसकी सरकार ने कोई कीमत उनसे ली है ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे खयाल है उसमें कीमत तो नही ली जाती। शायद कोई लगान वगैरह होता होगा। मगर मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जमीन किन-किन जंगलों में दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मालधन चौड़ जो है इसी में दी गई है।

*३७-३८--**श्री गंगा प्रसाद**--[१७ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया नगरपालिका की सीमा में परिवर्तन

*३९--**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)--क्या सरकार को यह मालूम है कि बलिया शहर के निकट पूरब स्थित कुछ गांव सन् १९३८ ई० में नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिये गये थे परन्तु बाद में उन गांवों में से अधिकांश गांव नगरपालिका क्षेत्र से अलग कर देहाती क्षेत्र में शामिल कर दिये गये ? यदि हां, तो ऐसा कब हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। १५ दिसम्बर, १९५७ से।

*४०--**श्री जगन्नाथ चौधरी**--क्या नगरपालिका क्षेत्र से बाहर किये गये गांवों में जमींदारी विनाश व भूमि सुधार कानून लागू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। उस कानून में ऐसा प्राविधान है कि जो क्षेत्र ७ जुलाई, १९४९ को किसी नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित थे, उनमें उक्त कानून लागू नहीं होगा। अतएव चूंकि ये क्षेत्र उक्त तिथि को नगरपालिका बलिया की सीमा में सम्मिलित थे उनमें उपर्युक्त कानून लागू नहीं है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र इस वक्त नगरपालिका से अलग कर दिया गया है उस क्षेत्र में यह कानून लागू करने में कौन सी कठिनाई पड़ रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट सन् ५२ में लागू किया गया था। उसमें यह था कि ७ जुलाई, सन् १९४९ को जो क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी में नहीं था उस पर लागू किया जा सकता है। इस वजह से इस ऐक्ट को लागू करना सम्भव नहीं है, लेकिन इस हिस्से में जो अरबन जमींदारी-विनाश हुई है उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है और उस हिसाब से वहां आदेश जारी हो रहे हैं।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कानून में ऐसा संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे यह कानून उस क्षेत्र में भी लागू हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो अभी निवेदन किया कि कानून संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अरबन जमींदारी एबालीशन के अन्तर्गत यह क्षेत्र आ गया है। उसकी इससे संबंधित धारा की विज्ञप्ति वहां जारी कर दी गई है।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अरबन एरिया में वह गांव केवल इसलिए ले लिये गये थे कि ददरी मेला वहां लगता था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, यह तो सही है मेला उस क्षेत्र में लगता था, लेकिन सन् १९३८ में तो वह नगरपालिका के क्षेत्र में आ गया था।

श्री रामलक्षण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन लोगों को नगरपालिका के चुनाव में भाग लेने या मत देने का अधिकार प्राप्त था ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह भी सही है कि नगरपालिका की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था लेकिन जैसा मैंने उत्तर में कहा कि १५ दिसम्बर, १९५७ को उनको नगर-पालिका के क्षेत्र से निकाल लिया गया था।

श्री रामलक्षण तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब वह नगरपालिका के वोटर नहीं थे और किसी भी तरह से नगरपालिका से संबंधित नहीं थे, केवल मेले के लिये वह नगरपालिका का एरिया बनाया गया तो वहां पर रूरल एरिया के लिये जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू किया गया, उसी को वहां पर क्यों लागू नहीं किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, हर विषय का फैसला कानून के अनुसार हुआ करता है। वह सन् १९३८ में विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी जिसके अनुसार वह गांव नगरपालिका बलिया के अन्तर्गत आते थे, इस वजह से उनकी जमींदारी, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार खत्म नहीं की जा सकी। यहां बिलकुल दूसरी बात है कि वहां के रहने वाले नगरपालिका के वोटर क्यों नहीं थे। वह गलती होती रही। उससे और इस कानून से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय मन्त्री जी को क्या कठिनाई है कि वह एरिया फिर से उस क्षेत्र में शामिल नहीं कर लिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि १५ दिसम्बर, १९५७ से वह फिर नगरपालिका से बाहर हो गये हैं लेकिन कानूनन नगरपालिका में जिस समय यह घोषणा की गई तो उस वक्त हम अरबन जमींदारी ऐक्ट के अनुसार उनकी जमींदारी को खत्म कर सकते थे। उसके अनुसार हमने विज्ञप्ति जारी कर दी है।

राज्य कर्मचारी संघ की मकानों के लिये प्रार्थना

*४१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या राज्य सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने अपनी हाउसिंग सहकारी समिति के लिये जमीन देने तथा लखनऊ में उनके लिये मकान बनाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजा है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। अभी मामला विचाराधीन है।

*४२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७० पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस प्रार्थना पत्र के बारे में शीघ्र ही और सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का इरादा रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो इरादा हमेशा रहता ही है कि सही हो और शीघ्र हो।

*४३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

नाविक जल मजदूरों का सत्याग्रह

*४४---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जल नाविक मजदूरों के लिये वह घाटों पर नाव का लाइसेंस प्रणाली प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

*४५---श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, सन् १९५८ को नाविक जल मजदूर संघ द्वारा बरहलगंज, जिला गोरखपुर, भागलपुर (देवरिया), मूढ़घाट (बस्ती) तथा जिला इलाहाबाद में अपनी मांगों के सम्बन्ध में सत्याग्रह हुआ था ? यदि हां, तो कितने सत्याग्रही पकड़े गये और उनकी मांगों पर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---केवल जिला गोरखपुर तथा जिला बस्ती में सत्याग्रह हुआ था।

द्वितीय भाग---जिला गोरखपुर में केवल १९ आदमी गिरफ्तार हुए। इनकी मांगों पर जिलाधीश द्वारा जांच हो रही है। इलाहाबाद, देवरिया तथा बस्ती जिलों से कोई मांग नहीं आई।

बाकरगंज बाजार, कानपुर की जमीन

*४६---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाबू पुरवा (कानपुर) बाजार में विकास बोर्ड की कितनी जमीन है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---बाबूपुरवा में बाकरगंज नाम का बाजार लगता है और विकास बोर्ड की भूमि का, जिस पर वह फैल गया है, क्षेत्रफल लगभग ३७१७ वर्ग गज है।

हाई कोर्ट द्वारा पंचायत निरीक्षक व मंत्रियों की बहाली

*४७---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १-१-५८ से ३०-११-५८ तक प्रदेश के समस्त जिलों से कितने ऐसे पंचायत राज मन्त्री हाईकोर्ट द्वारा पुनः बहाल किये गये हैं जो पंचायतराज विभाग द्वारा सेवा से पृथक किये गये थे ? उन्हें कुल कितना धन वेतन एवं हर्जे के रूप में देना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक १ जनवरी, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५८ तक प्रदेश में (जिला टेहरी गढ़वाल को छोड़कर) ऐसे ३ पंचायत मन्त्री हाईकोर्ट द्वारा बहाल किये गये हैं जो पंचायतराज विभाग द्वारा सेवा से पृथक किये गये थे । इनमें से दो पंचायत मन्त्रियों को कुल २६४९ रु० ७५ नया पैसा वेतन के रूप में देना पड़ा । तीसरे पंचायत मंत्री को देय वेतन का प्रश्न अभी विचाराधीन है । हर्जे के रूप में क्या व्यय हुआ है, इसकी सूचना अभी शासन को उपलब्ध नहीं हुयी है ।

*४८---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय में प्रदेश में कितने पंचायतराज इन्स्पेक्टर ऐसे हैं जो विभाग द्वारा सेवा मुक्त किये जाने पर हाईकोर्ट द्वारा पुनः बहाल किये गये और उन्हें कितना धन वेतन एवं हर्जे के रूप में सरकार को देना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त समय में प्रदेश में (जिला टेहरी गढ़वाल को छोड़कर) कुल एक ऐसे पंचायत निरीक्षक हैं जो पंचायतराज विभाग द्वारा सेवा मुक्त किये जाने पर हाईकोर्ट द्वारा पुनः बहाल किये गये । इनको पदारूढ़ करने तथा वेतन हर्जाने के धन को भुगतान करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तीन पंचायत मंत्री जो सेवा से पृथक किये गये हैं वे किन-किन जिलों के हैं और क्या वे पंचायतराज ऐक्ट की धारा १७४ के अनुसार पृथक किये गये है या अन्य कारणों से ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की राय में ये ठीक पृथक किये गये थे, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है वह माना ही जायगा । इनमें एक तो शाहजहांपुर के पंचायत मंत्री, एक रामपुर के और तीसरे देवरिया के पंचायत मंत्री हैं ।

श्री मुक्तिनाथ राय---श्रीमन्, मैं जानना चाहता था कि धारा १७४ के अनुसार पृथक् किये गये हैं या किसी अन्य कारण से ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने यह उत्तर दिया था कि इनको उस स्थान पर रखना वहां के अधिकारी मुनासिब नहीं समझते थे । इस वजह से वे सेवा से मुक्त कर दिये गये थे ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट में जाने के पहले क्या इन तीनों व्यक्तियों ने संचालक, पंचायतराज के यहां अपील की थी, या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---संभव है उन्होंने की हो, लेकिन अपील तो जिलाधीश के पास हुआ करती है ।

गाजीपुर जिले का बेलसड़ी जंगल

*४९---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले में वरहपुर-बेलसड़ी ग्राम में कोई जंगल है ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा उपर्युक्त जंगल कितने एकड़ का है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । यह जंगल बेलसड़ी कहलाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग २६ बीघा है न कि ६० बीघा जैसा कि माननीय सदस्य ने अगले प्रश्न में कहा है ।

*५०--श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि उक्त गांव में ६० बीघा जंगल होते हुये भी कागज लेखपाल में भूतपूर्व जमींदारों का सीर दर्ज है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नलकूपों से गांवों को पेय जल देने के नियम

*५१--श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ट्यूबवेल से गांवों को पीने का पानी देने की योजना की मुख्य-मुख्य क्या शर्तें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों में पीने का पानी देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लगाई गई हैं :--

(१) केवल उन गांवों में ही पेय जल की व्यवस्था की जायगी जहां जल का नितान्त अभाव हो अथवा जहां गन्दे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां अधिक प्रचलित हैं ?

(२) योजना की लागत का २५ प्रतिशत ग्रामवासियों को नकद अथवा श्रमदान के रूप में देना होगा और उन्हें यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वे योजना के पूरा होने पर उसके रखरखाव का समुचित प्रबन्ध स्वयं अपने धन से करेंगे ।

(३) पेय-जल की व्यवस्था आमतौर पर घनी बस्तियों में की जायगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति पर खर्च ३० रु० से अधिक न हो ।

उपरोक्त शर्तें ट्यूबवेल से पीने के पानी के लिए भी लागू हैं ।

श्री शिवमंगल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी तक गांवों में जो ट्यूबवेल से पीने का पानी दिया गया है वह प्रायः मुफ्त दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जल वितरण का प्रबन्ध हुआ था उसमें पूरा खर्च सरकार ने ही बरदाश्त किया था ।

श्री शिवमंगल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस समय की देहात की आर्थिक दशा को देखते हुए वहां पीने के पानी की व्यवस्था में से २५ प्रतिशत की शर्त हटा कर केवल श्रमदान की शर्त रखने पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी ऐसा विचार नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जो २५ प्रतिशत खर्च करने को तैयार हैं । तो उनको फायदा मिलना चाहिये ।

खुर्जा नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*५२--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर की खुर्जा नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गत २२ दिसम्बर को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां । अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के फलस्वरूप उन्होंने नगरपालिका को भंग करने हेतु एक अभ्यावेदन दिया । उनसे त्याग पत्र देने को कहा गया । उन्होंने २८ जनवरी, १९५९ को त्याग पत्र दे दिया जो आयुक्त द्वारा स्वीकार हो गया ।

श्री छत्तरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक अध्यक्ष के चुनाव के आदेश क्यों नहीं जारी किये गये ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जैसा म्युनिसिपल ऐक्ट में दिया हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही होगी । जिसको अधिकार होगा वह चुनाव की विज्ञप्ति जारी करेगा ।

श्री छत्तरसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अभ्यावेदन की मुख्य शर्तें क्या हैं और क्या मंत्रीजी उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो वह पत्र अस्वीकार हो गया है । उन्होंने यह शिकायत की थी कि उन्हें हटाने के बजाय बोर्ड को ही भंग कर दिया जाय, किन्तु मैं सूचना के लिये बता दूं कि वहां की बहुत सी शिकायतें चल रही हैं और इस पर विचार हो रहा है कि वह नगरपालिका भंग की जाय या नहीं ।

जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल, कानपुर के सरकारी डाइरेक्टर

*५३---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार बतायेगी कि कितने प्रदेशीय फाइनेन्स विभाग के गजटेड अधिकारी हैं जो निजी कम्पनियां (Private Companies) में डाइरेक्टर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रदेश के वित्त विभाग का केवल एक अफसर एक निजी कम्पनी (प्राइवेट कम्पनी) का डाइरेक्टर है ।

श्री राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि यह सज्जन सोडा ऐश फैक्ट्री या उन्हीं के एलाइड कंसर्न्स में डाइरेक्टर हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है प्राइवेट कम्पनी का और उसका जवाब यह है कि सिर्फ एक ऐसी प्राइवेट कम्पनी है कि जिसमें यह मेम्बर हैं और वह प्राइवेट कम्पनी जे० के० काटन स्पिनिंग वीविंग मिल है कानपुर की ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल में जो सरकारी अधिकारी डाइरेक्टर हैं वे कौन सज्जन हैं और किस विभाग के हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मुझे खयाल है, वे फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं । नाम तो इसमें क्लियरली लिखा नहीं है

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो सरकारी सज्जन प्राइवेट कन्सर्न के डाइरेक्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेन्ट कान्डक्ट रूल्स के अनुसार सरकार से इजाजत लेकर डाइरेक्टरी का पद स्वीकार किया था ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां । उसकी वजह यह है कि काफी बड़ी रकम बतौर कर्जे के उस मिल को दी गई है इसलिये प्रोटेक्शन के लिये यह जरूरी समझा गया कि वहां पर एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट डाइरेक्टर नामजद किया जाय जो देखे कि कम्पनी कैसी चल रही है और उसकी इत्तला सरकार को देता रहे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल को कितना रुपया बतौर कर्जे के दिया गया है और सरकारी आफिसर को उस मिल से कोई वेतन वगैरह भी मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मुझे मालूम है, कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता है और जो रुपया उनको एडवान्स किया गया है वह ९०,००,००० रुपया है ।

श्री राजनारायण---जैसा कि सरकार ने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने काफी रुपया दिया है और उसकी हिफाजत के लिये गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है तो यह जो सेक्रेटरी महोदय वहां पर डाइरेक्टर हैं वे क्या गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जाहिर है कि जो गवर्नमेंट का परमानेन्ट इम्पलाई है वह प्रतिनिधि तो है ही ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सज्जन को जो डाइरेक्टर की फी मिलती है उसे क्या वह व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं या सरकार ले लेती है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मुझे मालूम है, जो फीस मिलती है गवर्नमेंट में जमा कर देते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके अतिरिक्त जिन और कम्पनीज को सरकार ने कर्जा दिया है वहां पर भी डाइरेक्टर्स नामिनेट किये गये हैं हिफाजत के लिये जैसे कि साहू जैन में ?

श्री सैयद अली जहीर---और भी ऐसी कम्पनीज हैं लेकिन प्राइवेट कम्पनीज नहीं हैं लिहाजा उनमें मैंने उनको शामिल नहीं किया है ।

खंडसारी व शीरे का बिक्री-कर

*५४---**श्री जगदीश शरण अग्रवाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६, १९५६-५७ के पूरे वर्ष में तथा १९५७-५८ के पूर्वार्द्ध में यू० पी० में खंडसारी शकर तथा खंडसारी शीरे पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया सेल्स-टैक्स का वसूल हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---खंडसारी शक्कर तथा खंडसारी शीरे पर १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के पूर्वार्ध में निम्नलिखित बिक्री-कर वसूल हुआ :---

वर्ष	खंडसारी	शक्कर	खंडसारी शीरा
१९५५-५६	.. ४,९४,८४२	..	४९,६९३
१९५६-५७	.. ७,६३,७८१	..	७ ,८६४
१९५७-५८ (पूर्वार्ध)	.. ४,२६,४६९	..	७१,४५९

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या मन्त्री जी का विचार है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शीरा सबसे गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स छोड़ दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---टैक्स छोड़ने का सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है । वह तो हर मामले के ऊपर हर वक्त गौर करना पड़ता है और उसके बाद देखना होता है कि अपने प्रदेश की जरूरियात क्या हैं और इन सब बातों पर खयाल करके उस पर कोई फैसला किया जाता है । मैं इस वक्त कोई जवाब नहीं दे सकता कि इस पर छोड़ा जायगा या नहीं ।

खाद्यान्नों को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*५५---**श्री जगदीश शरण अग्रवाल**---क्या सरकार के पास ऐसी मांगें आई हैं कि खाद्यान्नों को सेल्स-टैक्स से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

नोट :---तारांकित प्रश्न ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---कानपुर की घटना के विषय में कल वक्तव्य दिया था, उसके विषय में ३,४ कामरोको प्रस्ताव आज आये हैं, श्री त्रिलोकी सिंह जी का, श्री राजनारायण का, श्री मोतीलाल अवस्थी जी का है, श्री चन्द्रजीत यादव जी का और मदन पांडेय जी का है, इत्यादि । वक्तव्य देने के बाद कल मैं यह कह चुका था कि समय प्रश्न उठाने के लिये बाधक नहीं होगा । इसलिये इनको प्रस्तुत करने के लिये मैं समय बाधक नहीं समझता । त्रिलोकीसिंह जी का पहले मेरे पास है कि "हम विधान सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् कानपुर नगर में १ मार्च, १९५९ को अकारण पुलिस द्वारा लाठी-प्रहार, अश्रु-गैस का प्रयोग तथा डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास में घुसकर निरापराध विद्यार्थियों को पीटना तथा उनका सामान लूट लेना, पर विचार करने के लिये सदन के कार्य के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय इसकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे । "

इस विषय पर अनुमति देने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इसका सिद्धांत मैं पहले निश्चित कर चुका था कि जब बजट के अनुदानों पर विचार हो रहा हो तो मैं तब तक किसी अन्य विषय पर विवाद की इजाजत नहीं दूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम न हो जाय कि बजट के अनुदानों की बहस में या तो उस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है या वह इतना महत्व का है कि अगर उठावें भी तो उसका जिक्र बहुत थोड़ा आवेगा और ज्यादा महत्व का होने से उसके ऊपर ज्यादा समय स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिये । यदि ऐसे महत्व का विषय हो तो मैं इजाजत दे दूंगा । इस प्रकार मैंने सिर्फ एक ही बार इजाजत दी थी और उस समय कुछ थोड़ा झगड़ा-वगड़ा सदन में हो गया था बाद में और वह प्रश्न उठ नहीं सका । तो यह तल्ख तजुर्बा सामने है । मैं यह उचित समझता हूं कि इस सिद्धान्त की पाबन्दी हुआ करे और जिस समय अनुदानों का प्रश्न विचार में हो उस समय उसके विचार में खंड न पड़े । यह एक बात विचारणीय है कि अगर मैं इसकी अनुमति देता हूं तो यह ४ बजे से शुरू होगा । क्या विरोधी दल के नेता इस बात को पसन्द करते हैं कि आज के अनुदान पर विचार ४ बजे समाप्त हो जावे ?

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि १ घंटा पहले अनुदानों पर विचार समाप्त कर दिया जाय ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इस पर कुछ बातचीत हो जाय । यदि आप उचित समझें तो ५ बजे से रख लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---नहीं, वह १ घंटे पहले समाप्त करने के लिये राजी हैं और मैं उक्त प्रस्ताव को ग्रेव करार देता हूं । माननीय नेता विरोधी दल अनुमति प्राप्त करने के लिये सदन से प्रार्थना करें ।

श्री त्रिलोकी सिंह---आपकी आज्ञा से मैं सदन से अनुमति चाहता हूं कि एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न, अर्थात् कानपुर नगर में १ मार्च, १९५९ को अकारण पुलिस द्वारा लाठी-प्रहार, और अश्रु-गैस का प्रयोग तथा डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास में घुसकर निरपराध विद्यार्थियों को पीटना तथा उनका सामान लूट लेना पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब किसी ओर से आपत्ति नहीं हुई है तो क्या अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष---अनुमति मांगने पर यदि किसी को आपत्ति नहीं होगी तो मैं राय के लिये किसी को खड़ा नहीं करूंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं तो समझ रहा था कि आपने जो सुझाव दिया था उसके मुताबिक इस विषय की चर्चा आज सदन में हो और उस पर हम लोग विचार कर लें । कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं, यों ही ४ बजे से अगर विरोधी दल के नेता रखना चाहें तो १ घंटा २ घंटा इस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो समझा था कि कामरोको प्रस्ताव के सिवाय नियम ५३ के अनुसार उनकी कोई मांग नहीं थी । जब किसी प्रकार से वह मांग नहीं है तो मैं उसे नहीं रख सकता हूं । इसलिये कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्ताव सामने आयेगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में बहस करने का विरोध करता हूं ।

[श्री अध्यक्ष के पूंछने पर अनुमति देने के पक्ष में ७६ सदस्य खड़े हुए और श्री अध्यक्ष ने सूचना दी कि प्रस्ताव के लिये सदन की अनुमति है ।]

श्री अध्यक्ष---४ बजे इस पर विवाद जारी होकर ६ बजे तक चलेगा । ५ बजे तक जो अनुदान चलने वाला था वह ४ बजे ही समाप्त हो जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जो प्रस्ताव आपने पढ़ा वह आपको कब प्राप्त हुआ और हमारे नाम से कब प्राप्त हुआ ? आपने व्यवस्था बना रखी है कि जिसका प्रस्ताव पहले आवेगा वह लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---त्रिलोकीसिंह जी के प्रस्ताव पर ही बहस होगी । कब प्राप्त हुआ का कोई सवाल नहीं है, मेरी ऐसी व्यवस्था नहीं है । मैंने कहा था कि यदि विरोधी दल के नेता का प्रस्ताव समय के अन्दर और लोगों के साथ पेश हो तो मैं विरोधी दल के नेता का प्रस्ताव ले लूंगा, यद्यपि मैं सबको ही वैध समझता हूं ।

श्री राजनारायण---विरोधी दल के नेता के प्रस्ताव में दूसरी बात है और हमारे में और बात है जिस पर हम बल देना चाहते हैं। जिसका प्रस्ताव होता है उसे भाषण के दो अवसर मिलते हैं, मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा सदन के लोग देखें कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है और तिस पर भी मैं उसे भोगता रहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---यह कोई निश्चित नहीं है कि पहले किसका आवे, मैंने इसकी कोई जांच नहीं की । सवाल सिर्फ इतना है कि मैंने त्रिलोकीसिंह जी नेता, विरोधी दल का प्रस्ताव पढ़ा और उस पर किसी ने एतराज नहीं किया । उस पर राय भी, ले ली गई । तो जब किसी ने वैधानिक एतराज नहीं किया और कुछ सदस्य यदि सोते रहे तो उनका आक्षेप अब अनुचित है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि जब आपका फैसला हो गया तो क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, यह कहां तक दुरुस्त है ?

श्री अध्यक्ष---वह मेरे फैसले को अन्याय नहीं कह रहे हैं । वह कह रहे हैं कि उनके साथ जो अचानक अन्याय हो गया है उसको भी वह बरदाश्त करने के लिये किस हद तक तैयार रहते हैं, इस बात का वह प्रदर्शन करना चाहते थ ।

श्री एस० जी० दत्त---क्या आपकी ऐसी इनायत माननीय राजनारायण जी पर ही रहेगी ?

श्री अध्यक्ष---सदन में थोड़ा सा ह्यूमर भी रहे तो कोई बुरी बात नहीं है ।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, यह ह्यूमर की बात तो मान ली जाती है लेकिन इसमें थोड़ा समय तो बर्बाद हो ही जाता है । श्रीमन्, इस बात का भी ख्याल रखें ।

श्री अध्यक्ष---आप दूसरों को जो नसीहत दे रहे हैं, आप स्वयं भी उसका पालन करें ।

रामपुर की चीनी मिलों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषय पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार जो दूसरी सूचनायें हैं उनमें एक श्री टीकाराम जी की है, दूसरी श्री मदन पांडेय जी की है और तीसरी श्री राम सिंह चौहान की है । इनमें मुझे सबसे महत्व की श्री मदन पांडेय जी की मालूम होती है । यह कई दफा इस विषय पर आ चुकी है, लेकिन उस वक्त और भी महत्व की सूचनाएं सामने थीं, इसलिये नहीं ली गयी । आज उसे मैं ले लेता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, हमारी सूचना भी तीन दिन से चल रही है । उसका जब कत्ल हो जायगा क्या उसको आप तब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---लेकिन उसे आप इसमें शामिल नहीं कर सकते ।

श्री राजनारायण---क्योंकि उसमें एक माननीय मंत्री फंसते हैं ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन व्यक्तिगत हमले की बात किसी प्रश्न के उठाने में नहीं आनी चाहिये ।

श्री राजनारायण---जब उसका कत्ल हो जायगा तब उसको आप पढ़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष---इसकी कार्यवाही दूसरे प्रकार से होती । उसके ऊपर यहां बहस नहीं हो सकती ।

श्री मदन पांडेय जी की सूचना रामपुर की बुलन्द चीनी मिल के संबंध में है । उसके संबंध में मंत्रीजी आज प्रकाश डालना चाहते हैं या कल ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमावतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, रजा और बुलन्द चीनी मिलों के बारे में सदन को ज्ञात है कि कुछ अर्से से वहां एक गलत हड़ताल चल रही है । इस अवैध हड़ताल के जमाने में श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया । उन्होंने भी काम बंद कर दिया जो लोग लेखा-जोखा के हिसाब में लगे हुए थे । नतीजा इसका यह हुआ कि कम्पनी को जो अर्जित वेतन और बोनस की रकम मजदूरों को भुगतान करनी थी, उसका हिसाब न बन सका । इन कारणों से जो कम्पनी को बोनस के संबंध में आज्ञा दी गयी थी कि वह २८ फरवरी तक बोनस बांट दें, उस आज्ञा के समय को बढ़ा दिया गया । इसके अतिरिक्त वेतन के संबंध में जो कार्यवाही मालिकों को करनी चाहिये थी वह भी नहीं कर पाये । उसके लिये भी कहा गया कि थोड़े समय में उसको बांट दीजिये ।

मुझे खुशी है कि मजदूरों ने यह समझ कर कि जब तक लेखा-जोखा कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वेतन नहीं मिल सकता, काम करना शुरू कर दिया । जहां तक अर्जी वेतन का सवाल है, उन्होंने उसको बांटना भी शुरू कर दिया है और जहां तक बोनस इत्यादि की रकम का सवाल है, वह शीघ्रातिशीघ्र बांट दिया जायगा । इसमें और कोई बात नहीं है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पहले आदेश २८ फरवरी तक बोनस बांटने का हो गया था, तो फिर ३० मार्च तक जो उसकी अवधि बढ़ायी गयी है उससे मजदूरों की स्थिति पर जो असर पड़ेगा उस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, जो अवधि बढ़ायी गयी है, उस अवधि के अन्दर बंट जायेगा । लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी तेजी से काम पर आ जायेंगे इसलिये अधिक समय दिया गया है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ३० तारीख पर पेमेंट टंगा रहेगा । जैसे जैसे हिसाब बनता जायगा, उसका बंटना शुरू हो जायगा ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी उक्त मिल मैनेजमेन्ट को यह आदेश देंगे कि वे कल या परसों से ही बोनस बांटने की व्यवस्था करे और ३० तारीख तक का आप जो अर्थ लगा रहे हैं वही अर्थ वे भी लगावें, न कि वे ३० अप्रैल से बांटना प्रारम्भ करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दो अर्थ लगाने की शुबहा प्रकट की है, मुझे उम्मीद है कि वे वह शुबहा अपने तक ही रखेंगे, ऐसा न हो कि उनकी यह राय मिल मालिकों तक चली जाये कि वे इस दूसरे ही अर्थ का फायदा ले लें ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देरी होने से कानून का उल्लंघन हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने कानून के उल्लंघन के लिये मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, स्थिति मिल मालिकों के कब्जे में थी नहीं । जब तक कोई हिसाब-किताब नहीं लिखा जाता तब तक किसको बांटा जाय और क्या बांटा जाय ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि २८ फरवरी को मजदूरों को बोनस बंटा होता तो उससे मजदूरों का जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है वह नहीं होता और उनके पास इतना पैसा प्राप्त हो सकता कि वे अपने खाने-पीने को व्यवस्था कर सकते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें कई सवाल एक साथ जोड़ दिये गये हैं । पहला सवाल जहां तक २८ फरवरी तक बोनस के बांटने का है यह सही है कि उक्त राजाज्ञा के अनुसार २८ फरवरी तक बोनस बांटने की बात थी । दूसरा सवाल जो विक्टिमाइजेशन का है, औद्योगिक विवाद सम्बन्धी ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जिसमें मजदूरों का विक्टिमाइजेशन होने की कोई बात हो । तीसरा सवाल जो देर में पैसा बांटने का है, तो स्थिति पर कब्जा नहीं रहा मिल मालिकों का जिससे वह पैसा निश्चित तिथि तक नहीं बंट सका ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि मिल मालिकों ने सरकार से दरख्वास्त की थी कि हमारे यहां बोनस देने की तारीख जो है वह बढ़ा दी जाय जिससे वह बढ़ा दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक राजाज्ञा निकली थी कि २८ फरवरी के अन्दर बोनस बंट जाय मगर मिल वालों ने कहा कि हमारे पास हिसाब-किताब बनाने वाला कोई नहीं है जो बोनस का हिसाब तैयार कर सके और इसमें सरकार ने यह देखा कि समय के अन्दर बोनस नहीं बंटे तो मिल वालों को सजा भी होगी । मिल वालों ने मांग की कि या तो उन्हें इजाजत दी जाय कि वह दूसरे क्लार्क्स भर्ती करें जो हिसाब-किताब बना सकें और हड़ताली क्लर्कों को निकाल दें या उन्हें कुछ और समय मिले ताकि और सब लोग काम पर आ जायं । हमने यह

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उचित नहीं समझा कि इन सबों को निकलवा कर नया स्टाफ भर्ती करने की आज्ञा दी जाय और इसलिये उनको अधिक समय दे दिया गया ताकि इस बीच अक्ल इधर भी आ जाय, उधर भी आ जाय और काम चल जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिल मालिकों पर बकाया है उनमें से कितना रुपया वेतन का है और कितना बोनस का है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बकाये वेतन की सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन बोनस का बकाया रजा मिल पर १,०२,८०० रुपया और बुलन्द मिल पर ९८,१०० रुपया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात का सन्तोष है कि मजदूरों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है तो उनकी मुख्य मांगें ऐडजुडिकेशन के सुपुर्द करने पर सरकार शीघ्र विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी-सभी मजदूरों ने काम करना शुरू नहीं किया, वह तो लेखा-जोखा बनाने वाले जो क्लर्क्स हैं मालिकों और मजदूरों में एक ट्रूस हुआ है और उस बिना पर वे हिसाब-किताब बना रहे हैं। जहां तक मिल वालों का सवाल है मालिक मजदूरों को काम देने के लिये तैयार हैं, लेकिन अभी तक सब मजदूर काम पर आये नहीं हैं। एक बात श्रीमन्, शायद मैंने गलती से बोनस की तारीख २८ फरवरी बतला दी थी, लेकिन वह असल में २८ मार्च है।

श्री अध्यक्ष---२८ फरवरी कहां कहा था, २८ मार्च ही कहा था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उग्रसेन जी के प्रश्न के उत्तर में २८ फरवरी कह गया था।

श्री मदन पांडेय---उक्त हड़ताल के बाद सुप्रसिद्ध नेता श्री गनेशदत्त वाजपेयी उन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं इसमें सरकार का क्या रुख है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह हमारा दुर्भाग्य है कि वे हड़ताल कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भी चेष्टा की कि कोई हल निकल आये लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आता है।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि आई० एन० टी० यू० सी० के एक नेता ने मिल मालिकों से नाजायज समझौता करके मजदूरों की छुट्टियां कटवा दीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कोई बात नहीं है। आई० एन० टी० यू० सी० के किसी नेता द्वारा समझौते का न कोई प्रश्न था और न छुट्टी कटवाने का प्रश्न था। मजदूरों की मांगों के संबंध में किसी समझौते का प्रश्न अवश्य था।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)---जिन मजदूरों ने आन्दोलन में हिस्सा लिया उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, जहां तक नुकसान पहुंचने का ताल्लुक है, गैर-कानूनी हड़ताल में हिस्सा लेने से जो नुकसान पहुंचता है वह मेरे ख्याल से मजदूरों को खुद ही पहुंच रहा है, इसमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उद्योग मंत्री के उत्तर से ऐसा ज्ञात हुआ कि एडजुडिकेशन में मामला जाने में रुकावट इतनी है कि मजदूर काम पर नहीं जा रहा है तो मजदूर अगर काम पर चला जायगा तो क्या यह मामला एडजुडिकेशन को भेज दिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुख्य मंत्री जी ने बराबर इस बात को स्पष्ट किया है कि जब तक कर्मचारियों की हड़ताल चलती है तब तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण—जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि हड़ताल गैर-कानूनी है और मामला मुन्सिफी में चल रहा है तो बार बार सरकार का यह आश्रय लेना कि हड़ताल गैर-कानूनी है यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय पूछ रहे हैं।

श्री राजनारायण—जब सरकार को यह अधिकार है कि स्वतः उनके मसले को एडजुडिकेशन में भेज दे तो इस चीज को देखते हुए कि राष्ट्र के उत्पादन में कमी हो रही है, मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनको खाने की दिक्कत पड़ रही है और गनेशदत्त वाजपेयी १५ दिन से अनशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका १५ पौंड वजन घट गया है और डाक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत चिन्तनीय हो गयी है और फिर श्री शिब्बन लाल तथा श्री मदन पांडेय जी ने भी अनशन शुरू कर दिया है तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार उचित समझेगी कि अपनी ओर से यह मामला वह एडजुडिकेशन में भेज दे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पहली बात यह है कि माननीय शिब्बन लाल और मदन पांडेय जी का नाम अनायास माननीय सदस्य ने ले लिया। इस निश्चित प्रश्न से उनकी भूख-हड़ताल का कोई संबंध नहीं है। जहां तक माननीय गनेशदत्त वाजपेयी का सवाल है मैं उनको बड़ा भाई समझता हूं और उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वे भूख-हड़ताल कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने कोशिश की कि वे भूख-हड़ताल न करें। जहां तक हालत का सवाल है हालत ज्यादा चिन्ताजनक नहीं है क्योंकि हम उनको ऐसी सहायता दे रहे हैं जिससे हालत चिन्ताजनक न हो, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऐसे अवसर पर भूख-हड़ताल करना और जिस कांटेक्स्ट में झगड़ा है उस कांटेक्स्ट में भूख-हड़ताल करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न काफी हो चुके हैं इस पर। अब आगे की कार्यवाही होगी।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब सहकारिता मंत्री के अनुदानों पर बहस होगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—वह नामंजूर हो चुका है।

श्री टीकाराम पुजारी—उसे नामंजूर नहीं होना चाहिये था जब कि वह लाखों बीघा जमीन से ताल्लुक रखता है। कभी न कभी तो मेरा प्रस्ताव मंजूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय टीकाराम जी को श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी के सुपुर्द करना पड़ेगा, वह यह काम कर देंगे।

---

† २ मार्च, १९५९ की कार्यवाही से।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, खेती का विषय बड़ा गम्भीर विषय है। इस देश ने १६ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का अनाज बाहर के देशों से मंगाया है और अब भी कुछ सफाई नहीं इस बात की कि आइन्दा साल भी यह देश बाहर के मुल्कों से अनाज नहीं मंगायेगा। कृषि की जो पालिसी है यह ठीक नहीं है। मेरा खयाल यहां तक है कि अगर यही नियम, कानून, व्यवस्था कृषि के बारे में रहेगी तो मेरा निश्चित मत है कि खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी, खेती का कोई सुधार नहीं होगा। इसको हमें सोचना पड़ेगा। आखिरकार दुनिया के दूसरे देशों ने अपने देश की खेती की समस्या को सम्हालने के लिये, कृषि की स्थिति सम्हालने के लिये जो कानून और नियम बनाये हैं उनको भी सरकार को सोचना है। १९४५ में इंगलैन्ड में, जिस देश की जमीन यहां की जमीन से अच्छी नहीं है, हर साल करोड़ों रुपयों का अनाज बाहर से मंगाता था, उस देश ने दो साल के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि फिर बाहर से अनाज बहुत कम मंगाया। वहां पर उन्होंने एक ऐग्रीकल्चर ऐक्ट बनाया जिसका मकसद यह था कि उन्होंने अनाज की कीमत तय की जिससे वहां के किसानों को उत्साह आये और वहां के कृषकों ने कृषि में दिलचस्पी ली और जो एवरेज पैदावार थी वह उसी जमीन से की। तो क्या सरकार से मैं पूछ सकता हूं कि आखिरकार इस सरकार की क्या पालिसी है, अभी तक कोई दिलचस्पी इस सरकार की कृषि की बाबत नहीं है। सरकार ने कभी भी खेती की बाबत कोई नियम नहीं बनाया है। मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक सरकार इस खेती के विषय को मुनाफे की तरह नहीं सोचेगी कि खेती के अन्दर मुनाफा हो, एक एवरेज होल्डिंग डाल दें, मान लो यह तय कर दें कि ४, ५ एकड़ जमीन पर मुनाफा काश्तकार को होगा, जब तक मुनाफे का सवाल नहीं आयेगा तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती।

मेरे दो विचार हैं। पहला तो यह कि जमीन क्या है? जमीन की मांग क्या है? जमीन की मांग यह है कि यही नहीं वह बीज चाहती है, अच्छा बीज, खाद चाहती हो, लेकिन जमीन की मांग यह भी है कि जमीन के अन्दर जो ताकत है, जर्रे हैं, जो इरोजन हो रहा है उस जमीन का कटाव आज बन्द हो। इस सूबे के अन्दर हर साल ऊपर और रेहू जमीन बढ़ती चली जा रही है। सरकार के पास कोई योजना उसको रोकने के लिये नहीं है। नहर के आस-पास की जितनी जमीन है वहां रेहूं होता चला जा रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हल नहीं आने पाता है।

मांग के अन्दर कहा गया कि १०, १२ लाख खेती करने वाले स्वयंसेवक भर्ती होंगे। सोशलिस्ट पार्टी की तो सदा यह मांग रही कि किसान सेना बनाओ। आखिर १२ लाख स्वयंसेवक क्या करेंगे? खेती के मामले में किसान डिपार्टमेंट के बहुत से अफसरों से अच्छे हैं। एक उदाहरण आपको दूं। हैदराबाद में एक हमारे अफसर जिनका संबंध जमीन से भी था, प्लानिंग से भी होगा, रूस के डेलीगेशन के साथ थे। कार के अन्दर वह डेलीगेशन जा रहा था। रूस वालों ने कहा एक खेत की तरफ इशारा करते हुए, कि क्या फसल है। उन्होंने कहा कि इस खेत के अन्दर कपास की फसल है। रूस के डेलीगेशन ने कहा कि कपास इतनी ऊंची है और इतना मोटा पौधा है तो हम इसे देखेंगे। जब वह खेत के पास आये तो ड्राइवर ने कहा कि यह कपास नहीं गन्ना है। वह खेत गन्ने का था और प्लानिंग के अफसर उसे कपास कहते थे। कानपुर में ऐसे ही एक खेत था सकरकन्दी का। आफिसर जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि सिंघाड़े की बेल है। तो ऐसे आफिसर जिनका कोई संबंध जमीन से नहीं है, जिन्होंने खेती कभी देखी नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी खेती से नहीं हो सकती।

राजनारायण जी ने कल ठीक कहा था कि आप सोचते हैं कि पिछड़ी हुई कौम आई० ए० एस० के अन्दर नहीं आ सकतीं। मैं कहता हूं कि जो रात दिन खेती का काम करते हैं उनको इसके अन्दर लाइये। मुकर्जी से काम नहीं चलेगा। उनकी खेती कहां होती होगी? सक्सेना साहब की कहां खेती होती होगी? जिनका कोई संबंध खेती से नहीं है उनको रक्खेंगे तो उससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई तरक्की खेती में नहीं होगी। इसलिये सरकार को उन लोगों को चुनना है जिनका ताल्लुक जमीन से है। एग्रीकल्चर ऐक्ट आपको बनाना पड़ेगा और उनकी मांगें सोचनी पड़ेगीं। आखिरकार आपने इस जमीन के ऊपर जो योजनाएं बनाई हैं क्या चकबन्दी से योजनाएं पूरी होंगीं? मेरी योजना साफ है। अगर आप चाहते हैं कि खेती के अन्दर तरक्की आये, आप हद बांध दीजिये कि इतनी हद से नीचे जमीन का बटवारा नहीं होगा। जमीन का बटवारा किया जाय और उसे लाभदायक जोत की शक्ल में परिवारों को दे दिया जाय और फिर उसके अन्दर बटवारा न हो। जर्मनी देश है और भी दूसरे देशों में कानून है कि जमीन एक हद से नीचे नहीं बंट सकती। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर आप हिन्दुस्तान की खेती में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको पूरे कानून को बदलना पड़ेगा। आपने सिर्फ टूटा-फूटा अंग्रेजों का कानून लिया है।

मैं एक चीज पर और जोर दूंगा। एग्रीकल्चर के जो आफिसर हैं वह इस तरह के हैं कि वह प्लानिंग आफिसर के पीछे, कैनाल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पीछे घूमते हैं। ऐग्रीकल्चर-बिजली और पानी का मुहकमा एमलगमेट करके एक किया जाय और एग्रीकल्चर आफिसर के हाथ में किया जाय। एग्रीकल्चर आफिसर को ताकत दीजिये। आज अगर एग्रीकल्चर आफिसर को नहर की योजना बनानी है तो कैनाल के इंजीनयर के पास जाना पड़ता है।

जब तक आप किसानों को एक लम्बी तकावी की शक्ल में रुपया नहीं देंगे तब तक खेती के अन्दर तरक्की नहीं होगी। हैसियत के ऊपर न जाइए। यू० पी० के अन्दर ५०–६० प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जो एक बैल और भैंसा से अपना पूरा मुकम्मिल हल चलाते हैं। उनके पास बैल के लिये पैसा नहीं है, कुएं के लिये पैसा नहीं है। तकावी के लिये जाते हैं तो आफिसर कहता है कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है? अगर आप चाहते हैं कि छोटे काश्तकारों का स्टेट्स ऊंचा हो और वह मालदार हों और योजना के मुताबिक वह खेती का कार्य करें तो आपको उनके लिये लम्बी तकावी उनकी जरूरत के मुताबिक देनी होगी, तकावी उनकी हैसियत के हिसाब से नहीं जरूरत के हिसाब से देनी होगी। हमें बहुत विचारपूर्वक खेती के विषय को अपने देश में सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप के देश में विदेशों से अनाज आना बन्द हो तो आप को अपने कृषि ऐक्ट में परिवर्तन करना होगा, जैसे कृषि अधिनियम विदेशों में बने हैं वैसे ही आप भी बनायें। आज कितना दुनिया के देशों में हमारा देश कृषि में पिछड़ा हुआ है उतना कोई देश नहीं है और भारत से अच्छी जमीन किसी देश में नहीं थी, लेकिन आज यहां पैदावार कम है। हमें केवल अपने यहां १५ प्रतिशत पैदावार बढ़ाना है। क्या हम ५६ करोड़ बीघा (पुख्ता) जमीन में भी १५ प्रतिशत पैदावार नहीं बढ़ा सकते? क्या हम अपने यहां करोड़ों रुपए का गल्ला बाहर से मंगाना बन्द नहीं कर सकते? क्या हमारे कृषि मंत्री के पास कोई योजना नहीं है जिसे से वह कृषि में तरक्की कर सकें? अगर उन्हें कृषि की तरक्की करना है तो समय से पानी देना होगा, समय से खाद देना होगा, अच्छे बीज का प्रबन्ध करना होगा, खेतों की डौल बन्दी करना होगी, देहातों में जलाने की लकड़ी का प्रबन्ध गोबर को बचाने के लिये करना होगा, उनके द्वारा पैदा किये हुए अनाज की कीमत निर्धारित होनी चाहिये। अगर कह दिया जाय कि १८ रुपया मन गल्ला होगा इससे ज्यादा दाम नहीं होंगे तो काश्तकार दुगुनी मेहनत करेगा। किसान में उत्साह की कमी है और सरकार के पास कोई उसके उत्साह को बढ़ाने के लिये योजना नहीं है। सब से पहले सरकार इस तरफ सोचे। मिनिस्टर साहब पश्चिम से आते हैं, वह जानते होंगे कि किसान को उत्साह है मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि जिलों में क्यों कि उन के पास साधन हैं। नतीजा यह है कि वहां पैदावार अच्छी होती है। इसलिये कृषि अधिनियम वह फिर से बनायें जिससे खेती में तरक्की हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि दीर्घा में कोई अफसर टेबिल पर पैर रखे बैठे हैं। क्या वह उचित है, वह उसको जरा नीचा कर लें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है उनको ऐसे नहीं बैठना चाहिये, वह अपना बैठना ठीक कर लें।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो कायदे बने हुए हैं उनके अलावा हमारे अधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स में हैं, हाउस आफ कामन्स में मेम्बर आम तौर से मेज पर पैर रख कर बैठ सकते हैं और जूते के तलवे तक दिखाई देते रहते हैं, यह चीज मैं वहां देख कर आया हूं। इसलिये ऐसी छोटी-मोटी चीजों को व्यवस्था का प्रश्न बना लेना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो दर्शकों के विषय में कहा है, सदस्यों के विषय में नहीं कहा है।

श्री राजनारायण---जब यह व्यवस्था का प्रश्न हो ही गया तो आप बता दें कि कोई अध्यक्ष की तरफ तलवे पैर के कर के बैठ सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो हाउस आफ कामन्स के बारे में सदस्यों के संबंध में कह रहे थे लेकिन उन्होंने सवाल दर्शकों के संबंध में उठाया था। दर्शकों के संबंध में लोकसभा का नियम स्पष्ट है कि उनको इस तरह से पैर नहीं रखने चाहिये, वह उधर नहीं होने चाहिये जिधर अध्यक्ष बैठें। दूसरे वहां तो पैर जरा भी बढ़ जाता है तो एतराज किया जाता है, मुझे स्वयं भी अनुभव है, मैंने तो शायद पैर ऊपर भी नहीं रखा था, नीचे की तरफ ही जरा पैर किया था, जब मैं मिनिस्टर था तो मुझे भी दर्शकों के बीच तंग किया गया। लेकिन यहां पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर दीर्घा में विजिटर्स की कोई जांच करे। फिर भी इस बात की हम आशा करते हैं कि जो दर्शक यहां मौजूद हों उनको यह स्मरण रहे कि यहां पर यह व्यवस्था मानी जाती है कि पैर नीचे की तरफ रहे तो अच्छा है, इतना बंधन नहीं है कि कोई एक के ऊपर एक पैर रख ले, जरा आराम लेने की गर्ज से तो वह भी न कर सके, यह ज्यादती होगी। लोकसभा की दीर्घाओं में भी शायद ऐसी कड़ाई आगे चलकर खत्म हो गई, क्योंकि मैंने उसकी शिकायत वहां के सचिव से की थी और कहा था कि एक बुड्ढा आदमी बैठता है तो बिलकुल सीधा डटा हुआ नहीं बैठ सकता है। तब उन्होंने कहा था कि पैर रखने में ऐसी कड़ाई नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की तरफ पैर नहीं होना चाहिये यही हमारी हिदायत है।

दूसरे नियम यह है कि टेबिल के ऊपर "पैर न हों" नीचे ही रहें, फिर चाहे जैसे पैरों का इंतजाम करें। तो जब लोक सभा की ऐसी प्रथा है तो उसी के अनुसार हमें भी इस सदन में चलना चाहिए। मैं यह बात सब दर्शकों के लिये कहता हूं, मुझे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गौतम जी जब हाउस आफ कामंस में गये थे तो हाउस ऐडजर्न नहीं था ?

श्री अध्यक्ष---आपको यह मालूम हो कि यहां के दो सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट में गये थे और उन्होंने अपने अनुभव स्वयं सदस्यों के सामने बताये थे कि हमने यह ताज्जुब की बात देखी कि चूंकि वहां पास-पास सदस्य एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं इसलिये अध्यक्ष के सामने तो पैर नहीं आते हैं, वह आते हैं एक दूसरे के सामने---और वे सामने के टेबिल पर पैर रख देते हैं। हमारे यहां यह बात असभ्यता समझी जायगी और लखनऊ में खास तौर से समझी जायगी, इसलिये लखनऊ की सभ्यता हमको पालन करनी है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान ३०९ संख्या २३—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक: ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कृषि हमारी इकोनामी के लंग्स हैं। कृषि की उन्नति और विकास पर ही हमारे औद्योगीकरण और प्रदेश की उन्नति की इमारत खड़ी है। श्रीमन्, कृषि वह उद्गम है जहां से मानव, पशु, पक्षी की जीवन सरिता उत्ताल तरंगों के साथ तरंगित होती है। श्रीमन्, आज हम अपने किसान की स्थिति पर और उसकी लाचारी पर अपने को धन्यवाद नहीं दे सकते। यह माना कि ३ वर्षों से प्रकृति ने हमारा सहयोग नहीं किया है, लेकिन प्रकृति से संघर्ष लेना और उस पर विजय प्राप्त करना मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास रहा है। श्रीमन्, प्रकृति हमारे साथ ही क्रूर नहीं है, संसार के अन्य देश इंगलैन्ड, चीन, जापान के साथ भी प्रकृति की प्रतिकूलता होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि जापान ने अपने १२ वर्ष में जो प्रगति की है और तूफानों के अन्दर जो प्रगति की है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं वहां के कृषि संगठन, वहां के नेतृत्व और संचालन को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इन तूफानों के अन्दर कृषकों के अन्दर वह अदम्य शक्ति और उत्साह उत्पन्न किया है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा, परन्तु श्रीमन्, उसकी कमी मैं अपने यहां महसूस करती हूं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हमारे प्रदेश का उत्पादन जरा कुछ बढ़ा था, परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ३ वर्षों में उत्तरोत्तर १९५७-५८ में १९५५-५६ से २५ लाख टन की कमी हुई। १९५८-५९ में कुल कमी का अनुमान १९५५-५६ के मुकाबले में ५० लाख टन से कम नहीं होगा। इससे पूर्व के आंकड़े मैं जनरल डिबेट में पहले भी दे चुकी हूं।

कैश क्राप्स की स्थिति भी, श्रीमन्, इन २ वर्षों में उत्तरोत्तर बिगड़ी है। सरसों, अलसी, मूंगफली और गन्ना आदि के आंकड़े यहां सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही मैं बता चुकी हूं। मान्यवर, वास्तविक खेती के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर कमी हुई है। ४०२.६ लाख एकड़ पहले क्षेत्र था, वह अब ४००.८ लाख एकड़ रह गया है। जापान के अन्दर इन वर्षों में उत्तरोत्तर तिगुनी पैदावार बढ़ी है। मैं वहां के आंकड़े पेश करना चाहती हूं।

गेहूं, हिन्दुस्तान में ७१० किलोग्राम	जापान में २,०९० किलोग्राम।
चावल, हिन्दुस्तान में १,३६० किलोग्राम	जापान में ४,२४० किलोग्राम।
आलू, हिन्दुस्तान में ६,००० किलोग्राम	जापान में १३,२०० किलोग्राम।
मूंगफली, हिन्दुस्तान में ७८० किलोग्राम	जापान में १,८१० किलोग्राम।
मिलेट्स, हिन्दुस्तान में ३८० किलोग्राम	जापान में १,२९० किलोग्राम।

मान्यवर, हमारी समस्या सीधी है। इसमें इतने विवेक की आवश्यकता नहीं जितनी निष्ठा और भक्ति की और कृषकों के साथ ग्रामीण रहन-सहन की है, उनके साथ सामन्जस्य की है। क्या कारण है कि बावजूद १०-१२ वर्ष के प्रयत्नों के और सारी मशीनरी को इसमें लगाने पर भी अपने प्रदेश की जनता और कृषकों में यह भावना हम नहीं पैदा कर पाये कि उत्पादन करो या मरो। मुझे लगता है कि कृषि विकास नियोजन की मूल में कमी है। हमारे प्रदेश में ६ हजार से अधिक जूनियर हायर सेकेंडरी कालेज, स्कूल हैं, ३५ हजार से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं, डेढ़ लाख के करीब शिक्षकों की सेना है, ५० लाख के लगभग हमारे पास विद्यार्थियों की सेना है जब कि ८ वीं कक्षा तक तक कृषि शिक्षा अनिवार्य है, ३० फी सदी से अधिक भाग में कम्युनिटी डेवलपमेंट का जाल बिछा पड़ा है, पी० आर० डी० मौजूद है, इन सब मानवीय साधनों के बावजूद भी उत्तरोत्तर हमारा कृषि का उत्पादन घटता चला जा रहा है।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

आखिर हम क्यों विफल हो रहे हैं ? भगवान राम की महत्ता इसमें थी कि उन्होंने बन्दरों में भी लंका को विजय करने की शक्ति पैदा कर दी थी, शिवाजी में कण-कण के अन्दर शोले की क्षमता पैदा करने की क्षमता थी, विश्ववन्दनीय पूज्य बापू ने इस गुलाम देश के अन्दर जो कि अंग्रेजों की दासता में जकड़ा पड़ा था और क्रूर शासन चक्र में पीस दिया गया था उन भारतीय किसानों के अन्दर वह शक्ति पैदा कर दी थी कि वे जाकर फांसी के तख्ते पर झूल गये। आज प्रदेश की आय का, लगभग ४५ प्रतिशत, हमारे बजट का ८६ करोड़ रुपया सर्विसेज पर खर्च हो रहा है। इन ११ वर्षों में क्या प्रयोग हुआ है, इन सर्विसेज का क्या उपयोग हुआ है ? या तो इस मशीनरी का दोष है, या उसके प्रयोगकर्त्ताओं में दोष है। आज हम अपने को मशीन के स्वामी नहीं पाते, आज हम मशीन की दासता में फंस चुके हैं। आज हमारी हालत इस किस्म की हो गयी है जैसे कि एक यात्री को कोई डायन पकड़ ले और उसको बहला कर, फुसला कर, पलैटरी करके, खिला-पिला कर, मीठी बातों में लगाकर अपनी गोद में आराम से सुला ले और फिर जकड़ दे उसके हाथ पैर। यही हालत आज हमारे इस विभागीय नेतृत्व की है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहती हूं कि रूस के अन्दर कृषि उत्पादन में कमी हुई तो मेलनकोव ने आत्मनिरीक्षण किया और प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, स्वेज नहर की नीति की विफलता पर ईडन को राजनीतिक सन्यास लेना पड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो केन्द्रीय रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रेल दुर्घटना पर आत्म-निरीक्षण किया, ग्लानि हुई उनको और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मान्यवर, आज इस विभाग का नेतृत्व जिन हाथों में है उनके चेहरे पर हठ संकल्प की रेखा, इस प्रश्न की गुरुता की गम्भीरता, विषम परिस्थितियों पर काबू पाने का अदम्य उत्साह और साहस और इस भूख की विभीषिका में जलने वाले ३० और ४० रुपये पर मजदूरी पाने वाले मजदूरों की जो हालत है, उनके बच्चों की जो हालत है उसमें हृदय जलाने की धधकती ज्वाला नजर नहीं आती। श्रीमन्, ईसा ने कहा था कि मुझे किसने छू दिया और मेरी मैगनेटिज्म की शक्ति नष्ट हो गई है। अब मैं एकान्त में जाऊंगा और उसको फिर से प्राप्त करूंगा। मान्यवर, मेरा मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन है कि वे विश्ववन्दनीय बापू और संत विनोबा के चरणों में जाकर बैठें और फिर से ग्राम जीवन और कृषि जीवन के हेतु उनके उपदेशों की शिक्षा-दीक्षा ले पुनः आयें।

श्रीमन्, अब मैं अपने अधिकारी वर्ग से कहना चाहती हूं कि यदि वास्तव में उनमें देशभक्ति है, देश प्रेम है और ईश्वर में विश्वास है तो क्या उन्होंने कभी सोचा है कि उनकी ११ वर्षों में क्या जिम्मेदारी थी ? श्रीमन्, जो हमें अन्न देता रहा हमारा प्राणदाता, आज उसकी क्या हालत है, उसके बच्चों की हालत क्या है, खेतिहर मजदूरों की हालत क्या है ? परन्तु "जिसके फटी न पैर बिवाई वह क्या जाने पीर पराई" "घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय।" यह बिचारे शीतल मंद समीर में दौरा करते हैं, कोठियों में रहते हैं और उनके रबी और खरीफ के आन्दोलन शानदार टेन्टों में चला करते हैं। मैंने भी अपने जिले में देखा है। श्रीमन्, इनके द्वारा समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसको युद्धस्तर पर लेना होगा। इसी विभाग के अधिकारियों को कुछ गांव और क्षेत्र दिया जाय और उसका हिसाब रखा जाय कि उन्होंने छः महीने में या साल भर में कितनी पैदावार की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ क्षेत्र सरकारी संस्थाओं को और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाय और इस कक्ष व उस कक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा कार्य अपने क्षेत्रों में कराया जाय तो मैं समझती हूं कि कम्पटीटिव बेसिस पर हमारा उत्पादन अवश्य बढ़ेगा। सरकारी अधिकारियों को यह भय भी बराबर बना रहेगा कि यदि गैर सरकारी संस्थाओं ने ज्यादा पैदा कर लिया तो हमारी मुश्किल होगी। जिन अधिकारियों का उत्पादन नहीं बढ़ता उनको सजा मिलनी चाहिये।

श्रीमन्, जो १ लाख २२ हजार की रेकरिंग और २८ हजार की नान-रेकरिंग कृषि संबंधी ग्रांट रखी गई है, मैं उसका विरोध करती हूं और नवलकिशोर जी के विचार से अपनी सहमति प्रकट करती हूं। कृषि योजनाओं को मैं बेकार समझती हूं। आपकी संस्थायें सप्लाई की इंडस्ट्री बन गयी हैं। चाहे विश्वविद्यालय हो या कानपुर का ऐग्रीकल्चर कालेज हो उनको ग्राम जीवन के रूप में चलाया जाय और उनकी शिक्षा पद्धति बदली जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैंने कल बोलने की इच्छा प्रकट की और मैं १३ बार खड़ा हुआ लेकिन मुझे समय नहीं मिल सका।

श्री अध्यक्ष—आपकी पार्टी से लिस्ट आ जाती है और आपका नाम अभी तक नहीं भेजा गया था।

श्री खयालीराम—श्रीमन्, अगर किसी का नाम पार्टी की ओर से न आये तो क्या वह नहीं बोल सकता है ?

श्री अध्यक्ष—उनको चाहिये कि वह मेरे कमरे में आकर मुझे सूचना दे दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, कल आप से कहा गया था कि आपका खयाल किया जायगा। कल ऐसी बात थी।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह ठीक है, मुझे मालूम नहीं था।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यन्त महत्व का है और इससे समस्त सूबे के गांवों का सम्बन्ध है इसलिए कुछ थोड़ी-सी बातें जो सरकारी ही आंकड़ों से सिद्ध होती हैं उन्हीं को निवेदन करना चाहूंगा और थोड़ी बातें जो इस विभाग में भ्रष्टाचार की हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल से ही मैंने बराबर सुना, जितने भी सदस्य बोले, इधर से और उधर से करीब-करीब सभी ने यह कहा कि उत्पादन बराबर कम होता जा रहा है। बात सही है। मगर क्यों कम होता जा रहा है इसके ऊपर माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कल थोड़ा सा प्रकाश डाला था। जहां तक मैंने सरकारी आंकड़ों को देखा और उससे जो अनुमान लगाया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि कैश क्राप्स को ज्यादा प्रायरिटी मिल रही है इसलिए खाद्यान्नों के उत्पादन में बराबर कमी आती जा रही है। श्रीमन्, यह एक पुस्तिका सरकार की ओर से ही वितरित हुई है— सांख्यायिक मासिक पत्रिका। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों के अधीन क्षेत्रफल शीर्षक के अन्दर १९५५–५६ में गेहूं का क्षेत्रफल दिया गया है, जो बोया गया ९९.६५ एकड़, हजार में हैं या लाख में है। १९५६–५७ में ९९.८० और १९५७–५८ में ९२.७७। इसके मानी यह हुए कि क्षेत्रफल इसका घटा है। वैसे ही चने का है—१९५५–५६ में ६७.१५, १९५६–५७ में ६१.४७ और १९५७–५८ में ६३.३७। इसमें भी घटा है। जौ का १९५५–५६ में ४८.६६, १९५६–५७ में ४९.३४ और १९५७–५८ में ४३.६७। इसमें भी घटा। इसी प्रकार से सभी खाद्यान्नों का क्षेत्रफल घट गया है जब कि गन्ने का १९५५–५६ में २७.२०, १९५६–५७ में ३०.६६, व १९५७–५८ में ३०.१७ और १९५८–५९ में ३०.३२ यानी .२ की वृद्धि हुई है। आलू में भी वृद्धि हुई है। १९५५–५६ में २.४०, १९५६–५७ में २.३७ और १९५७–५८ में २.५८। इसी प्रकार तिल्ली की फसल में भी वृद्धि हुई है और मूंगफली की फसल में भी वृद्धि हुई है। तो निवेदन करने का मतलब यह है कि आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं फसलों में वृद्धि हुई है जिनसे किसानों को रुपया मिलता है। गल्ले की फसल में इसलिए वृद्धि नहीं होती है कि उधर सरकार का कतई ध्यान नहीं है।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

एक प्रश्न में माननीय राघवेन्द्र प्रतापसिंह ने २१-२-५८ के सरकारी फार्मों के बारे में प्रश्न किया था कि वहां प्रति एकड़ कितनी उपज हुई और कितना प्रति एकड़ खर्चा पड़ा।

(इस समय १ बजे श्री अध्यक्ष चले गये और श्री नेकराम शर्मा, अधिष्ठाता, पीठासीन हुए।)

उसमें श्रीमन्, गन्ने का है एक रुपया एक आना तीन पाई खर्चा प्रति मन। और गेहूं का है १४ रुपये ४ आना ११ पाई। यह खर्चा है श्रीमन्, प्रतिमन। धान का है १२ रुपया ६ आना ९ पाई। चने का है ९ रुपया २ आना २ पाई। मटर का है ९ रुपया १० आना १० पाई। तो अब यह देखें श्रीमन्, कि गेहूं के उत्पादन का दाम सरकारी फार्म पर १४ रुपया ४ आना ११ पाई पड़ता है। मगर दाम सरकार की तरफ से जो निर्धारित किया गया वह है १० रुपया मन। धान की खेती पर श्रीमन्, सरकारी फार्मों पर पड़ता है १२ रुपया ६ आना ९ पाई प्रतिमन उत्पादन का खर्चा सरकारी और उसका दाम रखा गया है १० रुपया प्रति मन। २ रुपये का घाटा किसान सहे और यह भी जरा देखा जाय कि प्रति एकड़ ईल्ड सरकारी जो है वह धान की २२ मन ७ सेर १ छटांक होगी शायद। इतनी उपज के ऊपर १२ रुपया ६ आना ९ पाई खर्चा पड़ता है। जब कि किसान की उपज इतनी नहीं हो सकती है, ८ मन के ऊपर नहीं जा पायेगा क्योंकि सरकार के तो सभी साधन असीम हैं। सरकार अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा खाद डाल सकती है, ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा रुपया उस पर खर्च कर सकती है। इन सब चीजों के बावजूद भी जब १२ रुपया ६ आना ९ पाई सरकार का खर्चा पड़ता है प्रति मन तो किसान के लिए जो १० रुपया मन रखा गया है वह किस आधार पर रखा गया है? यह मेरी समझ में नहीं आया। यह सब कारण हैं जिनसे खाद्यान्नों की उपज दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है और घटती ही जायगी श्रीमन्, अगर यही हालत रही जब तक कि खाद्यान्नों के भी दाम सरकार की ओर से निर्धारित नहीं किये जायेंगे जैसा कि अमेरिका वगैरह में होता है। फसल पैदा हुई। सरकार की तरफ से मिनिमम दाम रख दिया गया कि इससे कम पर नहीं बिकने पायेगी। अगर उससे कम बाजार भाव होता है तो सरकार स्वयं उस सारी उपज को खरीद लेती है। अगर उससे दाम बढ़ता है तो किसान को छूट रहती है कि जिसके हाथ भी चाहे बेचें। मगर यहां सरकार अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। सरकार कहती है कि १० रुपये से ज्यादा दाम नहीं होना चाहिए। वहां न्यूनतम होता है यहां अधिकतम होता है।

एक सदस्य--यहां भी न्यूनतम होता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--न्यूनतम कैसे हो सकती है? उसके ऊपर जाने पर तलाशी होने लगती है किसान के घर की। उसकी खत्तियां देखी जाने लगती हैं।

दूसरी चीज यह है--खाद्यान्नों की उपज में जो कमी आ रही है उसका कारण यह है कि गल्ला बाजार में आ नहीं पाता। प्रान्त की अधिक आबादी भूमि के ऊपर ही आधारित होती चली जा रही है। श्रीमन्, यह मैं थोड़े से आंकड़े पेश करना चाहता हूं इसके बारे में भी अपने ही प्रान्त के दो जिलों की मिसाल में देना चाहता हूं। देवरिया जिले में काश्तकारों का प्रतिशत अनुपात ८७.४६, प्रति खेतिहर परिवार का कृषि क्षेत्र २.९७, यदि सम्पूर्ण जनसंख्या खेती में ही लग जाय तो प्रति परिवार कृषि क्षेत्र होगा २.६०। मेरठ में काश्तकारों का प्रतिशत अनुपात है ४३.२६, प्रति खेतिहर परिवार का क्षेत्र है ५.९९ और सम्पूर्ण जन संख्या अगर खेती में लग जाय तो २.५९ होगा। तो यह देखें कि वहां भी किसान की संख्या लगभग एक ही है। मगर एक जिला सरप्लस हो जाता है और एक डैफिसिट हो जाता है। इसका कारण यही है कि वहां के लोग ज्यादातर कृषि पर ही आधारित नहीं हैं। वह और भी कार्य करते हैं। कृषि भी करते हैं। मगर जहां आबादी की अधिक संख्या कृषि पर ही लग जाती है तो उपज लाजमी थोड़ी कम होने लगती है। श्रीमन्, दो मिनट में और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--जी हां, दे दूंगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह--यह तो मैंने थोड़े आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सरकार जब तक खाद्यान्नों की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देगी, उनके भाव सम्भालने की कोशिश नहीं करेगी तब तक उपज नहीं बढ़ सकती है।

दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह कह देना बड़ा आसान है कि फलां साहब भ्रष्टाचारी हैं और उनके समय में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ किन्तु अगर इसको देखा जाय और अगर इसकी सच्ची जांच कराई जाय तो मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि इसमें साफ बहुत सफेद पर वाले भी फंस जायेंगे। जिसके परों में आज तक कोई छींटा नहीं देखा जा सका है, जिनको लोग समझते हैं कि यह बिल्कुल दूध के धोये हुये हैं, जिनके पर एकदम चमकते रहे हैं उनके परों पर भी छींटा मिल जायगा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय और माननीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष हों और फिर प्रत्येक मेम्बर, प्रत्येक मिनिस्टर तथा डिप्टी मिनिस्टर के बारे में, मतलब हर एक के बारे में जांच कर ली जाय कि उन्होंने इस मामले में क्या-क्या किया। खेती के मामले में अक्सर अपने भाई, भतीजे, बेटे और रिश्तेदारों के नाम इन लोगों ने जमीन ली है। उनका अपना नाम भले ही न हो लेकिन अपने परिवार के नाम इन लोगों ने जमीन ली है, लेते जा रहे हैं और आगे भी लेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह शुरू से देखा जाय, जब से यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट फार्म हुई है तब से देखा जाय और आज तक देखा जाय तो बहुत से लोग इसमें ऐसे फंस जायंगे जिनके लिये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या उसमें भी ऐसी बात हो सकती है।

एक चीज मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो सब से भयंकर बात हो गई है। वह यह हो गई है कि आज जो सत्तारूढ़ दल है, जिसने सरकार बनाई है उसकी नीति ढुलमुल हो गई है। थाली के बैंगन की तरह हो गई है। पारा लेबिल की तरह से हो गई है। आज इसकी नीति में स्थिरता नहीं है। कभी बलिया बार्ली के बीज बांटे जाते हैं जिसमें दाने तक नहीं लग पाते हैं तो कभी कुछ है और कभी कुछ है। इससे किसान बिलकुल सन्देह में पड़ गये हैं। जिन जगहों पर अभी चकबन्दी नहीं हुई है या हो रही है वहां किसान बिलकुल इत्मिनान खो बैठा है। उसको इत्मिनान नहीं रहा है कि आज जो खेत उसका है कल उसके पास वह रह भी जायगा या नहीं। इसलिये वह खेत में मेहनत करना छोड़ देता है। इसी वजह से उसकी उपज घटती चली जा रही है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं और यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी शैली की मुखालिफत करता हूं। कारण यह है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां पर कृषि प्रधान होने के नाते काफी लोग देश में गरीब हैं और देश के रहने वालों में गरीबी है। आज हमारे सामने समस्या उपज बढ़ाने की है और किन कारणों से उपज नहीं बढ़ रही है यह भी हमको सोचना है। किस तरह इसको बढ़ाया जाय इसको भी विचारना है। मेरी समझ में जिन कारणों से उपज नहीं बढ़ रही है वह कारण यह है कि जब तक खेती करने वाले खेत में अपनत्व नहीं समझेंगे, जो हल चलाता है उसमें उसका अधिकार न हो, वह अपना न समझे तब तक खेती की पैदावार किसी मायने में बढ़ नहीं सकती है। आज नौकर शैली से बड़े एकड़ वाले किसान अपनी जोत कराते हैं लेकिन अगर उसका अन्दाजा लगाया जाय तो यह नतीजा निकलेगा कि नौकरों के द्वारा कराई गई खेती की जो जोत है उसमें पैदावार का माध्यम बहुत कम है। छोटी जोत वाले जो हमारे प्रदेश में हैं उनको खेती के साधन उपलब्ध न होने के कारण, उनको सुविधा से बीज प्राप्त न होने के कारण, खाद की आवश्यकता, जो हमारे देश में बहुतायत

[श्री रामदास आर्य]

से उपलब्ध है यानी गोबर की खाद, चूंकि उसके ठीक प्रयोग का अवसर नहीं है इसलिये ज्यादा पैदावार नहीं हो रही है। सिंचाई के साधन काफी बढ़ाये गये लेकिन फिर भी किसानों को आज मैसोनरी वेल्स की आवश्यकता महसूस हो रही है और उनका होना आवश्यक है। उसमें भारी सहायता और सहयोग की आवश्यकता है तभी इन छोटी जोत वालों की पैदावार बढ़ाने की बात कुछ उभर सकेगी।

जहां तक खाद का सवाल है, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि गांव में काफी कूड़ा करकट, चाहे वह श्रमिकों का हो अथवा किसानों का, जिसकी खाद बन सकती है उससे खाद बनाने का कोई समुचित प्रबन्ध देहात में नहीं है। मवेशी सारे गांव के किसी एक जगह खड़े होते हैं उनका गोबर और पेशाब बहुधा बेकार चला जाता है। उसका भी गांव समाजों की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है। यही कारण है कि हम खाद नहीं बना पाते। इस देश में जो यह गोबर की खाद बहुत लाभदायक है उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते। यह भी हमारी पैदावार कम होने का एक कारण है। हम दूसरी खादें इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन कृषि विभाग द्वारा उसकी ठीक ट्रेनिंग न होने के कारण उसका उचित उपयोग नहीं कर पाते और वह कभी ज्यादा पड़ जाती है और कभी कम और इस कारण उससे भी हम ज्यादा पैदा नहीं कर पाते। कहीं कहीं उससे ऊसर हो जाया करता है उसका दुरुपयोग होने के कारण। हमको इस तरफ तवज्जह देना चाहिये कि खाद का ठीक प्रयोग हो और बीज अच्छा इस्तेमाल हो। हम किसानों से बीज छानकर लेते हैं। उस ढंग से उनको बीज मिलता नहीं, गो मंत्री जी ने इस बात का प्रयास किया है कि वितरण ठीक ढंग से हो। मैं यह नहीं कहता कि शिकायतें नहीं आयीं, लेकिन आयीं बहुत कम और उसमें सुधार भी हो रहा है कि अच्छे बीज का स्टाक रखा जाय और सभी किसानों को अच्छा और पर्याप्त मात्रा में बीज दिया जाय।

इसके अलावा उनकी पैदावार का इंतजाम होना चाहिये। उसकी कीमतों का उचित निर्धारण होना चाहिये। यह न होने पाये कि पैदावार आने पर कीमतें बहुत गिर जायं और जब किसान के पास से गल्ला निकल जाय तो कीमतें बढ़ जायं और दूसरे लोग उससे फायदा उठायें। ऐसा होने से उनको पैदावार बढ़ाने में रुचि नहीं रहती। इसलिये मंडी के लिये जो बिल पहले लाने की कोशिश की गयी थी वह फिर से लाया जाय ताकि पैदावार की बिक्री का ठीक से इंतजाम हो सके।

छोटे किसानों को खेती के साधनों की सुविधा दी जाय। जैसा मैंने अर्ज किया उनको मैसोनरी वेल्स और चरसे में सहायता दी जाय, बैलों और रहट के लिये तकावी दी जाय और उनमें यह भावना पैदा की जाय कि वह सहकारिता से कार्य करें और जोतों में भी सहकारिता का प्रयोग करें। कोशिश की जाय इसको बढ़ाने की। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारी छोटी जोतों में काफी खर्च होता है। अगर दो, तीन एकड़ की जोत है तो उसमें बैल, हल और बीज काफी लगाना पड़ेगा। अगर हम छोटी जोत वाले मिल सकें तो हमको कई बातों में सुविधा रह सकती है। हम एक दूसरे के काम में सहयोग कर सकते हैं और अगर ३ एकड़ वाले को दो बैल रखने पड़ते हैं तो ६ या ७ एकड़ के लिये भी हमको दो ही बैल रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से कुछ इकोनामी हो सकती है और इस तरह से हम पैदावार बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। टीका टिप्पणी से पैदावार नहीं बढ़ सकती है। वह पैदावार तो साधनों से बढ़ेगी।

इधर कुछ सालों से भगवान की ऐसी दया हो रही है कि दैवी प्रकोप से सूखा पड़ा और बाढ़ आई जिसके कारण पैदावार में अनायास ह्रास हो गया है जिसका बोझ हमारे प्रदेश पर पड़ा और दूसरे देशों से अनाज मंगाने की आवश्यकता हुई। हमारे कृषि विचारकों, पंडितों को चाहिये कि वे पूर्ण प्रयत्नों से, रिसर्चेज से और जानकारी से देश को लाभ पहुंचायें। यह न हो कि सरकारी फार्मों पर जो अनुसन्धान करते हैं, रिसर्चेज करते हैं वहां की पैदावार दूसरी जगहों से कम हो बल्कि वहां पर पैदावार ज्यादा होनी चाहिये वरना उसका असर दूसरे लोगों पर बुरा पड़ता है। वे सोचते हैं कि जब रिसर्चेज में ऐसा हो रहा है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ऊपर रिसर्चेज के फल को जबरदस्ती थोपा न जाय बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता

उनको समझाकर उनमें तबादला लाने की जरूरत है, तभी कुछ परिवर्तन हो सकेगा । छोटे किसानों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय और जहां तक हो सके खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं या हल चलाने वाले हैं उनमें खेती में अपनत्व की भावना लाई जाय, चाहे साझेदारी से या दूसरे तरीकों से क्योंकि जबतक वह यह नहीं समझेगा कि इसमें मुझे हिस्सा मिलने वाला है तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकेगी और कोशिश की जाय कि प्राकृतिक साधनों पर काबू पाकर जैसे कि अमेरिका और जापान में प्रयोग हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहां भी प्रयोग किये जायं । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के कदम उठाये जायेंगे और कृषि की पैदावार बढ़ सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, खाद्य उत्पादन का विषय जो इस सदन में कल से चल रहा है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । श्रीमन्, खाद्य उत्पादन के जो और तरीके हैं जैसे सिंचाई, खाद, बीज इत्यादि जिनकी तरफ बहुत से माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, उनके सम्बन्ध में कुछ और अधिक न कहकर मैं एक मूल सिद्धान्त की ओर आपके द्वारा सरकार का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे कि उत्पादन की बात तो बहुत कही जाती है, सोची जाती है परन्तु क्या कभी उत्पादक के बारे में भी सरकार ने सोचने का कष्ट किया है ? आज उत्पादक की क्या दशा है, क्या सुविधायें मिल रही हैं और क्या प्रोत्साहन मिल रहा है ? उत्पादक वर्ग कृषक वर्ग है और उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, इस ओर क्या कभी देखा गया ? सरकारी आंकड़ों से सिद्ध हो गया कि १० वर्ष से ग्रामीण जीवन की जो औसत आमदनी प्रति व्यक्ति थी वह अभी तक नहीं बढ़ पायी । तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आज समझा जाता है कि खाद्य उत्पादन के लिये सबसे बड़ी चीज और सबसे आवश्यक चीज लैंड रिफार्म है, इसके कर देने से सारा खाद्य उत्पादन का मसला हल हो जायगा, इसलिये भूमि व्यवस्था के सुधार की तरफ ही ध्यान जा रहा है । मगर उसमें है क्या चीज, क्या कभी यह सोचा गया ? इसमें दो चीजें हैं । एक तो सीलिंग आफ लैंड कर दिया जाय और छोटी-छोटी होल्डिंग्ज को एकजाई करके कोआपरेटिव फार्मिंग करदी जाय लेकिन यह कभी नहीं सोचा गया कि यह दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी भिन्न हैं । एक तरफ तो बड़ी खेती न होने दो, उसको खत्म करो और दूसरी तरफ छोटी खेती न होने दो, उसको सहकारी खेती बना दो, तो इससे सरकार का क्या मतलब है ? आज सारे कृषक इससे परेशान हैं । हर एक अनिश्चित दशा में चल रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है । आज उत्पादन के लिये जो सब से आवश्यक चीज थी वह यह कि बुद्धिमान लोग आयें जिनमें साहस हो, जिनके पास कैपिटल हो, बिजनेस इन्टरप्राइज हो, वे इस काम को हाथ में लें । सन् ५५ में खाद्य उत्पादन में होनहार युवक जिनका भविष्य उज्वल था, अपना काम छोड़कर इस ओर आये और खाद्य उत्पादन बढ़ा । मगर जिस वक्त से द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई है और सीलिंग तथा कोआपरेटिव की चर्चा आरंभ हुई है, उस समय से खाद्य का उत्पादन घट गया है । मैं उदाहरण के तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि उस समय १२० लाख एकड़ जमीन ऐसी थी जो परती पड़ी हुई है । जो नयी जमीन तोड़ी गयी उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

५०–५१	..	..	..	३,२८,४७०	एकड़
५१–५२	..	..	..	५,०१,६३४	,,
५३–५४	..	..	..	३,४९,३२१	,,
५४–५५	..	..	..	६,००,६३१	,,
५५–५६	..	..	..	९८,६६४	,,

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

श्रीमन्, जहां ५४–५५ में ६ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी वहां ५५–५६ में केवल ९८ हजार एकड़ ही रह गयी। इससे ज्ञात हो रहा है कि लोग जमीनों से भाग रहे है, उनमें अपनी कैपिटल नहीं लगा रहे है। ५७–५८ में १८४ हजार एकड़ जमीन जोती गयी और बोयी गयी, जो थी उसमें भी कमी हो गयी। वास्तव में जो काम करने वाले आदमी थे वे खेती से निरुत्साहित हो रहे है। आज खेती अनाड़ी आदमियों का पेशा रह गया है। इतनी यह गिरावट है तो किस लिये? इसलिये कि आज सीलिंग की चर्चा बहुत जोरों पर है। हमारे प्रधान मंत्री भी जोरों से कहते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये। लेकिन सीलिंग से आपको केवल मिलेगी ५ लाख एकड़ जमीन। जब कि आपके पास अभी १ करोड़ एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। आपकी नीति समझ में नहीं आती है। जो करने वाले है उनको आप अपाहिज बना रहे हैं और जो नहीं करने वाले है उनसे आप खेती करने को कहते है। चीन, जापान और रशिया का बड़ा जिक्र किया जाता है। इसके बारे में लिंक अखबार में जो आंकड़े निकले हैं १५ अगस्त को, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि २५ वर्ष हो गये समाजवादी ढंग पर खेती करते हुए लेकिन वहां पर जो बढ़ा है वह इस प्रकार है। सन् २८ में १.६ मन प्रति एकड़, २७ में १० मन, ४० में ५ मन और ५५ में १.१ मन। और यह जो भी किया गया वह किया गया तब जब कि लाखों आदमियों को मार दिया गया, जो हिन्दुस्थान नहीं कर सकता। इसके बारे में १३ सितम्बर के मैनचेस्टर गार्जियन के प्रतिनिधि ने भी अपनी राय इस बारे में दी है। उसने लिखा है कि वहां पर खाद्य समस्या और उत्पादन की समस्या अभी हल नहीं हुई है। क्योंकि वहां तो सब काम सरकार की ओर से होता है और इसको अगर कोई हल कर सकता है तो वह किसान ही कर सकता है। मोलोटोव साहब जो ५५ में वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि उनकी कृषि नीति फेल हो गयी है। इस पर हमारी सरकार उनका अनुकरण करती है।

श्री झारखंडेराय जी ने चीन के डेलीगेशन का जिक्र किया। लेकिन क्या आपने पाटिल साहब की रिपोर्ट को नहीं देखा? उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि वहां पर नाम को कोआपरेटिव फार्मिंग हो रही है क्योंकि सारा इन्तजाम वहां पर सरकार की ओर से ही हो रहा है। सरकार की नीति तो समझ में ही नहीं आती है, न तो वह बड़ों को रहने देगी और न छोटों को रहने देगी। बड़ों से जमीन छीनेगी और छोटे से कोआपरेटिव फार्मिंग करायेगी जिसका मतलब होता है क्लेक्टिवाईजेशन, और कलेक्टिव फार्मिंग का भगवान ही मालिक है। किसी भी देश में यह सफल नहीं हुआ फिर भी अफसोस तो यह है कि हमारे देश में भी सहकारी खेती की बात हो रही है। सहकारी खेती कुछ जगह होती भी है जिसकी पैदावार के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में मौजूदा सहकारी मंत्री ने जो उत्तर दिया वह यह है कि एक एकड़ में ४४ रुपये ११ आने की पैदावार हुई। यानी सन् ४४–४५ से ५६–५७ तक पैदावार औसतन एक एकड़ में ४५ रुपये की हुई। अगर १२, १३ रुपये मन के हिसाब से जोड़ें तो करीब ३ मन पैदावार एक एकड़ में होती है। इस कलेक्टिव खेती का नतीजा यह है कि तराई फार्म तथा और जो स्टेट फार्म हैं उनके हिसाब-किताब को अगर देखा जाय तो वहां साल में करीब ४,६५,००० रुपये का घाटा हो रहा है। अगर हम लोग उसी तरह की खेती करना चाहते हैं तो इससे खेती का उत्पादन नहीं बढ़ने वाला है। इस तरह की खेती में जो रुपये लगे हैं और उससे जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई है उसके कुछ आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, उससे खासा अच्छा अनुभव हो सकता है।

श्रीमन्, मुझे कहना है कि अगर वास्तव में सरकार खाद्य के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि वह उस पैम्फलेट में बतलायी हुई बातों की तरफ ध्यान दें जो एफ० ए० ओ० का एक पब्लिकेशन है। उसमें इस सिद्धान्त को माना गया है कि अगर आप खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो कृषक वर्ग को पोलिटिकली, एकोनामिकली सब चीजों से अलग होना चाहिये, उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का शिकार नहीं होना चाहिये तथा उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिये। इस चीज को हमारे देश में भी लाना आवश्यक है कि उनके

साथ व्यवहार अच्छा हो और उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिले। एक भाई के प्रश्नोत्तर के सिलसिले में बतलाया गया कि धान के पैदा करने में १२ रु० कुछ आने फी मन तो खर्च बैठता है और सरकार स्टेट ट्रेडिंग करेगी १० रुपये मन के भाव पर। फिर कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो धान बोयेगा और खेती करना पसन्द करेगा। अगर किसान को खेती के लिये समय पर पानी मिले, उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिले, इसकी उसे सिक्योरिटी हो जाय और उसके साथ उचित व्यवहार हो तो वह खेती की पैदावार अवश्य बढ़ा सकता है। अगर इसमें भी पैरिटी हो जाय तो किसान को खेती करने में प्रोत्साहन मिल सकता है। आज कृषि विभाग में भी राजनीतिक दावपेंच है। वहां जो भी काम किया जाता है वह यही सोच कर किया जाता है कि किस पार्टी से सम्बन्धित यह मामला है। अगर केन सोसाइटी के डायरेक्टर बनाने की बात होती है तो माननीय मंत्री जी की तरफ से यही कोशिश होती है कि हमारी पार्टी का ही वह डायरेक्टर हो ताकि वह हमारा प्रचार करे। इस तरह से खाद्य का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। खाद्य का उत्पादन तो तब बढ़ेगा जब किसान राजनीतिक दावपेंच से निश्चिन्त रहे।

अक्सर यह भी देखा गया है कि कामदार, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर आदि जो इस विभाग के कर्मचारी होते हैं उनकी तरक्की व तनख्वाह भी पार्टी बेसिस पर ही होती है। इस तरह की चीजें जब तक इस विभाग से नहीं दूर होंगी तब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आज होता यह है कि जो पुराने मंत्री रह चुके हैं या जो सरकारी आफिसर हैं वे चाहते हैं कि उनके फार्म में अच्छे अच्छे बीज सप्लाई किये जायं और सरकार की तरफ से वहीं से लेकर किसानों को दिया जाय ताकि उनको अधिक दाम मिल सकें। जमींदारी एबालिशन के वक्त भी यह कहा गया था कि जो जमीन जोतता है वह किसान सुख शान्ति के साथ रह सकेगा तथा अपनी पैदावार बढ़ा सकेगा परन्तु आज वह नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सब चीजें आज दूर हो जायं तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाय।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्व प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपने मुझे मौका दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही उनको बधाई देता हूं कि इससे किसानों को जो सहयोग मिल रहा है वह प्रशंसनीय है।

कल से जो बहस हुई उसको भी मैंने सुना। कुछ बहुत अच्छी आलोचनायें भी हुईं लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल आलोचनाओं से उपज बढ़ सकती है किसानों की? इसका सीधा जवाब है नहीं। जो आलोचनायें होती हैं उनके संबंध में कई तरह के विचार हैं। कुछ यह भी लालच रहता है कि कड़ी भाषा प्रयोग करें ताकि क्षेत्रीय जनता हमसे खुश हो जाय। खैर प्रश्न यह है कि उत्पादन कैसे बढ़े अनाज का?

मैं कुछ आवश्यक सुझाव कृषि मंत्री महोदय को देना चाहता हूं इन आलोचनाओं तथा वादविवाद के चक्कर में न पड़ कर। लोग चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि कृषि कालेज से सहयोग लिया जाय, कुछ कहते हैं कि किसानों को अच्छी से अच्छी मशीन दी जाय और खाद, बीज व पानी का समुचित प्रबन्ध किया जाय। लेकिन मैं जिस देहात से आता हूं या देहात से जो एम० एल० एज० आते हैं उनको यह मालूम है कि लाख प्रयत्न के बावजूद भी अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। उसके कुछ खास कारण हैं। कारण यह हैं कि देहात में जिन लोगों के पास ज्यादा खेत हैं उनकी दिलचस्पी खेती से नहीं और जो गल्ला पैदा करने वाले लोग हैं उनके पास जमीनें नहीं। मसलन् जितने भी हम लोगों की श्रेणी में लोग आते हैं उनके घर पर खेती केवल उनके चाचा या दादा पर ही निर्भर है। उनके बच्चे हाई-स्कूल, बी०ए०या एम०ए० पास करने के बाद खेती नहीं करते, नौकरी

[श्री लोकनाथ सिंह]

के चक्कर में रहते हैं। घर के लोगों के सहारे ही उनकी खेती अवलम्बित है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृषि कालेजों से लेकर हायर सेकेंड्री स्कूल तक इस किस्म की शिक्षा दी जाय कि लोगों की रुचि खेती की तरफ हो, इससे किसानों को लाभ हो सकेगा।

दूसरी बात यह कहनी है कि बार-बार यह कहा गया कि कृषि तथा सिंचाई एक विभाग के अन्तर्गत करना चाहिये और बात भी दरअसल सही है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर ६००, १,००० बीघा खेत पड़े हुये हैं जो पानी से डूबे हुये हैं। किसान उन पर खेती कर नहीं सकता। बड़ी परेशानी है, किससे सिफारिश की जाय। मैं कम से कम ऐसा आदमी हूं नहीं जो ऐसी आलोचनायें कर जायं और जो हमारे हित में लाभकर सिद्ध न हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन किसानों का जो अहित हो रहा है पानी के बाढ़ से, सोतों के कटाव से, नालों के कटाव से कि अगर मंत्री जी इसकी तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें या उनके विभाग में कुछ इस किस्म का अनुदान हो तो किसानों का ज्यादा लाभ हो सकता है।

अपने क्षेत्र में धौरहरा में मैंने देखा १०,००० रुपये मालगुजारी है, उनकी सस्ते गल्ले की दूकान है। पर सस्ते गल्ले की दूकान द्वारा जो गल्ला उस गांव को दिया जाता है उससे ज्यादा गल्ला खड़ी फसल और खलिहानों में फूंक दिया जाता है या काट दिया जाता है। उत्पादन बढ़े कैसे? इसका नतीजा यह हो रहा है जितना गल्ला हमारे घर आता है उसका काफी हिस्सा लुटेरों द्वारा, चोरी द्वारा बरबाद हो जाता है। चाहे इसका जो भी कारण हो, किन्तु होता है, बहुत से लोग तो यह भी कहते हैं कि गरीबी के कारण होता है। लेकिन मैं कहूंगा बहुतों की आदत भी है और अक्सर लोग परेशान होते हैं। इसमें अगर सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं अपील करूं कि वह, थोड़ा सहयोग करें तो किसानों का बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि जितनी पार्टीज हैं चाहे कांग्रेस हो, सोशलिस्ट हो, पी० एस० पी० हो, कम्युनिस्ट हो, जब एक तरफ लोगों पर कड़ाई होती है तो वह दूसरी तरफ जाकर शरण लेते हैं और इस तरह हम किसी न किसी सूरत में उनके पक्ष का समर्थन करते हैं। यहां तक कि जब पकड़े जाते हैं तो सफाई भी कर आते हैं। इससे किसानों का हित नहीं हो रहा है।

कृषि का हमारी ग्राम सभाओं से काफी संबंध है, इतनी गिरोह बंदियां हो गई हैं कि उससे कृषि के कामों में बहुत बड़ी परेशानी किसानों को नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि अच्छे से अच्छा बीज किसानों को ठीक समय पर मिला करे। मेरा सुझाव तो यह है कि उनको कम से कम १ महीने पहले बीज मिले।

दूसरे जैसा नेता विरोधी दल ने कहा था कि जो पुराने कुंए हैं, पोखरे और तालाब हैं यह पुराने सिंचाई के साधन रहे हैं, वे प्रायः सब के सब बरबाद हो गये। अगर उन कुओं की मरम्मत की तरफ ध्यान दिया जाय और तालाब और पोखरों को किसी तरह से कानून के द्वारा छुटकारा दिलाया जाय। तो नहर और ट्यूब-वैल्स की बनिस्बत उनसे काफी किसानों का लाभ हो सकता है अब जो जोतने वाले हल और बैल हैं वह कमजोर हैं क्योंकि उनको चारा वगैरह ठीक नहीं मिलता, चारागाह कम हैं और ३, ४ साल पहले जो क्षति हुई किसानों की उससे उनकी हालत और खराब हो गई। अतः पशुओं की नस्ल के सुधार की तरफ ध्यान दिया जाय, बैलों की खरीद के लिये अच्छी तकावी दी जाय और उसे राहत के साथ वसूल किया जाय। इससे किसानों का बहुत अधिक लाभ हो सकता है। मैं कुछ और भी सुझाव देना चाहता हूं। समय समाप्त हो गया, मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, कल जब माननीय मंत्री जी का भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने एक आंकड़ों का पिटारा इस सदन में खोला। हाउस ने क्या समझा यह तो मैं नहीं जानता। मैंने क्या समझा, अर्ज करना चाहता हूं। कल सदन में जो सुना भाषण निराला आपका .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—अधिष्ठाता का भाषण नहीं था, माननीय मंत्री जी का भाषण हो सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं। कल जो भाषण माननीय मंत्री जी ने दिया तो आंकड़ों का पिटारा खोल दिया। हाउस ने क्या समझा यह तो मैं नहीं जानता, पर जो कुछ मैंने समझा, अर्ज करना चाहता हूं। कल सदन में जो सुना भाषण निराला आपका, क्या यह कुंडली मारकर बैठा है जोड़ा सांप का। सारे सदन को अचम्भा हुआ। स्पीकर्स गैलरी के लोगों को अचम्भा हुआ। दर्शक गैलरी के लोगों को अचम्भा हुआ। प्रेस गैलरी को भी बड़ा अचम्भा हुआ। किसी ने समझा नहीं कि क्या कहा। हमारे भी समझ में नहीं आया। हम खयाल करते हैं कि किसी के भी समझ में नहीं आया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं। इस खाद्यान्न के घटने में किसका दोष है? खाद्यान्न क्यों घटा? खाद्यान्न का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पाया? इस तरफ आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक पत्रिका बांटी गई जिसमें लिखा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रारम्भिक रूपरेखा। इसमें कहा गया कि सन् ५०-५१ में १,०७,७९,००० टन गल्ले का उत्पादन हुआ था। उसके बाद फिर आप फरमाते हैं कि ५४-५५ में १,२४,५०,००० टन गल्ला पैदा हुआ और इस तरह से ६,१०,००० टन गल्ले का उत्पादन बढ़ गया। एक और पुस्तिका बांटी गई थी १० बजे दिन को सदन में ४ अक्तूबर, १९५८ को। उस छोटी सी पुस्तिका पर लिखा था अन्न कष्ट और उसका समाधान। उसमें आपने लिखा है कि कृषि, सिंचाई, भूमि सुधार इत्यादि संबंधी अनेक योजनाओं के फलस्वरूप १९५४-५५ में राज्य में १,२४,५०,००० टन गल्ला पैदा हुआ और इस प्रकार राज्य की जरूरत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ। मगर इसी तरीके से इनकी बुलेटिन नं० ३८ और ४३ कहती है कि ५४-५५ में १,११,७८,००० टन गल्ला पैदा हुआ। एक कहता है कि १,२४,५०,००० टन पैदा हुआ है। बुलेटिन कहती है कि १,११,७८,००० टन पैदा हुआ। भगवान जाने यह धोखा किसको होगा। हमको होगा या मंत्री जी को होगा या सदन को होगा या जनता को होगा। हम यह भी नहीं समझे कि जो अधिकारीवर्ग हैं इस मुहकमे में उन्हीं के दिये हुए आंकड़े हैं। मेरे खयाल में डाइरेक्टर के कुछ और होंगे, सेक्रेटरी के कुछ और होंगे, और इस तरह से हम धोखे में रहे कि हमारे यहां तो सब गल्ला ही भरा हुआ है लेकिन जब ढेरी खोली तो खाली। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस चीज की जांच तो करें कि आखिर कारण क्या है? एक किताब कुछ कहती है, बुलेटिन कुछ कहती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की किताब कुछ कहती है। यह सब अंधेर खाता है। कौन जिम्मेदार है? हम धोखे में रहें और इस तरह से, अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि १३ लाख टन का डेफीसिट रहा जिसको पूरा करने की तरफ से हमारी नजर बदल गई है क्योंकि आंकड़ों ने हमें धोखे में डाल दिया। अगर यह बात सच है कि १,११,००,००० टन की पैदावार हुई तो १३ लाख टन की कमी को केंद्रीय सरकार से पूरा करने की मांग की जाती या कोई और उपाय किया जाता लेकिन अफसरों के दिये हुये आंकड़ों ने हमें धोखे में डाला, सरकार को धोखे में डाला और साढ़े ६ करोड़ जनता को धोखे में डाला और इस १३ लाख टन गल्ले की डेफिसिट ने जनता को भूखा मार दिया। इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

[श्री शिवप्रसाद नागर]

सबसे बड़ी वह चीज जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं वह यहां भी मौजूद है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं सदन के सामने उन्हें रखूंगा। जो पुस्तक ४ अक्तूबर, सन् ५८ को बांटी गई है उस में कहा गया है कि १ अरब ५३ करोड़ रुपया खाद्य उत्पादन के लिये ५०–५१ में रखा गया था जिसमें से ७३ करोड़ ८० लाख ८५ हजार रुपया ५३–५४ तक व्यय हुआ लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि ५३–५४ में यह १ करोड़ ७ लाख ८० हजार टन की जो पैदावार थी वह घटकर १ करोड़ ४ लाख ८२ हजार टन रह गयी और रुपया खर्च हुआ ७३ करोड़। मैं कहूंगा कि जब पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई तो सारे का सारा रुपया खर्च हो गया और इस वक्त केवल ९७ लाख २ हजार टन गल्ले की पैदावार रह गई। गये थे छब्बे होने रह गये दुबे! लक्ष्य था १ करोड़ २४ लाख टन का और रह गया १ करोड़ ७ लाख ८० हजार टन, समाप्ति पर रह गया ९७ लाख २ हजार टन। ये आंकड़े हैं ५२ से ५८ तक के। मैं चैलेंज करता हूं अगर कोई मेरी बात झूठी साबित करे तो जबान काट ली जाय और जमीन में मसल दी जाय। यह करोड़ों रुपया बड़े बड़े पेटों में चला गया, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं साफ तौर पर सदन के सामने कह सकता हूं कि १ अरब ५३ करोड़ रुपया लोग खा गये, वे लोग जिन्हें अकल नहीं है कि किस तरह से गल्ला पैदा होता है, गल्ला किस दरख्त में किस तरह से लगता है। मैं बताऊंगा कि एक अफसर साहब जब देहात गये तो सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ था और बाढ़ आई हुई थी, धान के खेत पानी में डूबे थे। यह देख कर वह अफसर साहब फरमाते हैं कि यहां के किसान बड़े बेवकूफ हैं अगर धान की फसल खराब हो गई तो इस में सिंघाड़े क्यों नहीं बो देते। जब इस तरह के अफसर होंगे तो किस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है? मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन मुझे पता है कि किन अफसरों ने क्या क्या खाया है। खेतों को ऊंचा करना तो क्या और नीचे घसीटा गया है।

एक बात मैं और कहूंगा कि इस प्रदेश में कृषि क्षेत्र ४ करोड़ एक लाख एकड़ है जबकि सारे सूबे में साढ़े ६ करोड़ एकड़ जमीन है और उसमें से गन्ना बोया जाता है सिर्फ ३० लाख एकड़ पर। इस तरह से केवल गल्ले की ही पैदावार घटी है और गन्ने की पैदावार वही रही। इसी तरह से दालों का हिसाब है। दालें भी नहीं घटीं। सन् ५३–५४ में दालें थीं १३ लाख ५१ हजार टन, सन् ५४–५५ में वह थीं १३ लाख ७५ हजार टन, सन् ५५–५६ में १४ लाख २५ हजार टन, सन् ५६–५७ में १७ लाख ५१ हजार टन और सन् ५७–५८ में वह हैं १२ लाख ८२ हजार टन। इस तरह से गन्ना और दालें बढ़ती रहीं और अन्न घटता गया।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि जब उधर से भाषण दिये जाते हैं तो कहा जाता है कि उधर के माननीय सदस्यों ने बड़े भारी भाषण दिये लेकिन कोई सुझाव नहीं दिये। अगर सुझाव सुनना चाहते हैं तो सुनिये। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। जो सुझाव के बारे में कहते हैं कि कोई सुझाव विरोधी पक्ष से नहीं दिया जाता तो मैं यह देता हूं कि जिन बड़े अफसरान की बदौलत करोड़ों रुपयों की बरबादी हुई है उन्हें सदन के सामने बुलाइये। सिर्फ खड़े कर दीजिये फाटक पर, डुग्गी पिटवा दीजिये कि यह वह शख्स है जिसने १ करोड़ या २ करोड़ की बरबादी की है। हम उसको परेशान नहीं करना चाहते हैं, न कोई कड़ी कार्यवाही आप कीजिये, न थप्पड़ मारिये, सिर्फ उसे शर्मिन्दा कर दीजिये। दूसरे अफसरान हमेशा चौकन्ने रहेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं होने पायेगा। लेकिन आप तो जब उनसे बात करते हैं तो उनकी शाबासी से पीठ ठोकते हैं कि तुमने खूब किया।

श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सदन के सामने यह अनुदान कृषि का पेश है उसके संबंध में कुछ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं। कृषि उत्पादन के लिये इस सदन में बार-बार यह प्रश्न पैदा होता है कि हमारे मुल्क में गल्ले की कमी है उसकी पूर्ति कैसे की जाय। कृषि में सरकार हर प्रकार से योग देती है, अच्छे बीज देती है, अच्छी खाद देती है, सिंचाई

न कहना दोनों बराबर है। सरकार का खेती से कोई मतलब नहीं है जैसा कि श्रद्धादेवी जी ने कहा है कि "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई" जो खेती नहीं करता है वह खेती के विषय में क्या जान सकता है चाहे मंत्री हों या सदस्य हों? खेती का मालिक किसान है और वह कई कारणों से हतोत्साहित है और अपना उत्साह खो चुका है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो मैंने आपको बताया कि खेती की व्यवस्था में अवैधानिकता है।

दूसरा कारण खेती के बंटवारे में विषमता है। आज खेती हमारे देश में काफी है उसमें सही ढंग से खेती हो तो हम अपने प्रान्त और देश को ही नहीं, दूसरे प्रान्तों और दूसरे देशों को भी खाद्यान्न दे सकते हैं। लेकिन कारण क्या है, क्यों नहीं पैदा होता है? खेती में विषमता है। जो लोग वास्तव में कृषक हैं, जिनका जीवन खेती में बीता है उनके पास खेती अव्वल तो है नहीं और है भी तो नाममात्र के लिए। खेती के बड़े-बड़े रकबे उन लोगों के पास हैं जिनके बापदादों ने कभी हाथ से हल नहीं जोता, कभी मेड़ पर नहीं गये और न आज ही जाते हैं। न समय पर बीज पड़ता है, न समय पर जुताई होती है और न समय पर खाद पड़ती है। उसमें पैदावार दिन–ब–दिन घट रही है। इसके लिए आवश्यक है कि विषमता को दूर किया जाय और जिन लोगों के पास खेती नहीं है उनको भी खेती दी जाय। खेती का बंटवारा किया जाय।

अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि सीलिंग करने से सिर्फ इतनी जमीन बचेगी। यह तो अपना-अपना विचार है। खेती की सीलिंग ऐसी हो जो जायज हो, जो मुनासिब हो। कम से कम जोत जो मानी गयी है जिससे एक परिवार गुजर कर सकता है वह सवा छः एकड़ है तो कम से कम एक परिवार के गुजारे के लिए सवा छः एकड़ जमीन मानी गयी है तो बड़े से बड़े परिवार के लिए तीस बीघा काफी है। जब तक जमीन का बटवारा नहीं होगा तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, किसान को विश्वास नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग खेती भी करते हैं, वकालत भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, एम० एल० ए० हैं, मिनिस्टर भी हैं। इतने धंधे लिए हुए हैं। एक धंधा तो एक आदमी से संभलता ही नहीं है एक आदमी कितने धंधे संभाल सकता है? इसलिये अगर वास्तव में खेती की उन्नति करनी है तो धंधों का भी बंटवारा होना चाहिये। और वह इस आधार पर हो कि हर परिवार की कम से कम आमदनी १०० रुपये और ज्यादा से ज्यादा १ हजार रुपये हों।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। कृषि का विषय बड़े महत्व का विषय है और इसका सम्बन्ध हमारे देश के उन ग्रामीण भाइयों से है जो करीब ८० फीसदी गांवों में रहते हैं और उनमें ७४ फीसदी खेती करते हैं। लेकिन खेद है कि हमारी सरकार ने उन ७४ फीसदी किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बजट के देखने से पता चलता है कि ज्यादा पैसा अधिकारियों पर या दूसरे साधनों पर खर्च किया गया है लेकिन खेती की उन्नति के लिए कोई विशेष चीज नहीं रखी जा रही है। खेती के लिए दो चीजें जरूरी हैं—खाद और बीज।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है, आज से नहीं मैंने पहले भी एक बार यह जिक्र किया था कि जो हरी खाद किसान बोया करते थे उनकी आबपाशी फ्री थी। और जो बीज संघ से बांटा जाता था उसमें सब्सिडी दी जाती थी और वह आधी कीमत पर दिया जाता था। लेकिन मौजूदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम]

सरकार जो किसानों की उन्नति करना चाहती है उसने उस पर आबपाशी भी लगा दिया है और उसमें भी कोई प्रोत्साहन किसान को नहीं दिया जाता। हमारे जो अधिकारी हैं वह नयी बनावटी खाद को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। मेरी जाती राय यह है कि यह बनावटी खाद जितनी ही ज्यादा इस्तेमाल की जायगी जमीन दिन प्रति दिन उतनी ही कमजोर होती जायगी और देश की पैदावार गिरती जायगी। तो मेरा सुझाव यह है कि बजाय इस बनावटी खाद के हरी खाद और गोबर तथा कम्पोस्ट की खाद की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

जहां तक पानी का विषय है, पानी की सुविधा किसान को मिलनी चाहिए। जहां तक बीज का सम्बन्ध है, इस साल मैंने अपने इलाके में देखा कि गल्ला गोदामों से जिन लोगों ने खाद लेना पसन्द नहीं किया उनको बीज नहीं दिया गया। मेरा यह नम्र निवेदन है कि किसी किसान को बनावटी खाद लेने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे कहनी पड़ती हैं।

आज किसान की दशा निहायत शोचनीय है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। शहर के मुकाबिले में हमारे गांवों में रहने वालों की आमदनी दिन पर दिन कम होती जा रही है। जो पुस्तिका हमको मिली है उसमें गांव में रहने वालों की इनकम ५७-५८ में १८३·६ है जब कि शहर के रहने वालों की इनकम ६५९·९ है। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि गांव में रहने वाले किसान जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं उनकी आज क्या दशा हो रही है। पुरानी कहावत यह थी कि सारा स्वराज्य गांवों में होगा। लेकिन देखते यह हैं कि शहरों की आबादी बढ़ती जाती है और गांवों की आबादी कम होती जाती है क्योंकि शहर वालों को जो सुविधायें मिलती हैं वे गांव वालों को, किसानों को, नहीं मिलती हैं। तो मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि कम से कम उन किसानों की दशा को आप देखें। जो खेती की उन्नति की चीजें हैं खाद और आबपाशी, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि किसी सर्विस में १०० रुपये से कम का कोई मुलाजिम नहीं होगा और १,००० से ज्यादा का नहीं होगा, तो उस काश्तकार के लिये क्या होगा जिसके पास दो-तीन या चार एकड़ जमीन है। अगर उसकी दशा न सम्भाली गयी तो वह कहां जायगा?

जहां तक गन्ने का विषय है, मेरे इलाके में खास तौर से गन्ने की पैदावार होती है।

(इस समय २ बज कर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

सरकार को ज्ञात होगा कि गन्ने के बीज की हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। किसान को यह संतोष नहीं है कि हम कौन सा गन्ना बोयें और कौन सा गन्ना न बोयें। खेत के खेत सूखते जा रहे हैं और अधिकारी वर्ग सलाह नहीं देता है कि तुम यह गन्ना बोओ। इससे किसान को बहुत क्षति पहुंचती है। ये सारी चीजें आपके द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। यह हमें मालूम है कि पानी की समस्या के लिए अब छोटे-छोटे कुओं की व्यवस्था सरकार करना चाहती है। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसी सूचना मिली है--हो सकता है कि वह सही न हो--कि जो कुओं की सब्सिडी दी जाती थी अब वह नहीं रखी है। मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकार जिसकी हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी है उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और खेती की जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग अक्सर यह कहते हैं कि गल्ले की कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन यह वह नहीं देखते कि मिट्टी के तेल की बोतल जो उसको पहले चार आने में मिलती थी वह अब ६ आने में मिलती है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दूसरी चीजों की कीमत भी उसी हिसाब से कम हो। काश्तकारों को उसकी कम कीमत देना पड़े। आपके द्वारा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी काश्तकारों की दशा सुधारने की कोशिश करें। खेती की उपज को बढ़ाने के लिये जो सुविधायें हो सकती हैं वह उसको उपलब्ध होनी चाहिये। उसी तरह बनावटी खाद को छोड़ कर देशी खाद की तरफ सरकार का

ध्यान जाना चाहिये। इसलिये मैं आप से अधिक न कह कर माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मुल्ला प्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, यह कल स जो यहां पर विवाद चल रहा है उसमें इस बात को कहा जाता है कि यह खाद्य का संकट ज्यादा बढ़ता चला जाता है। आज तक ज्यादातर हमारे प्रदेश में पूर्वी इलाके में इस खाद्य संकट की आवाज उठती थी लेकिन अब हमारे पूरे प्रदेश में कृषि की उपज क्यों घटती चली जा रही है? कल्याणी का बांध-बांध देने से खाद्य का संकट हल नहीं हो सकता है। पोस्टर की रंगाई से भी यह अन्न का संकट दूर नहीं हो सकता है। तमाम सम्मेलनों को बुलाने से और कर्मचारियों तथा उच्च अधिकारियों का स्वागत करने से यहां पर कृषि की उपज नहीं बढ़ सकती है। हमारे देश में अन्न का उत्पादन जिस तरह से हो सकता है उसके जरिये दूसरे हैं। हमारे देश में किसानों की तरफ हमारी सरकार जब तक नहीं देखेगी तब तक हमारे देश में अन्न का संकट हल नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम इलाकों की हालत प्रदेश की नहीं बता सकता हूं और न मैं आंकड़ों में जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जिले उन्नाव की हालत बताना चाहता हूं। उन्नाव जिले में सन् १९४८ से ७२ मील लम्बे और १० मील चौड़े इलाके में सैलाब बराबर सत्यानाश करता है। उन्नाव और हरदोई जाने वाली सड़क के और गंगा और कल्याणी के बीच में सन् १९४८ से बराबर सैलाब आता है लेकिन हमारी सरकार के कागजों में तमाम जिलों के आंकड़े आये मगर हमारे जिले उन्नाव के आंकड़े नहीं आये। जो कल्याणी पर बांध बांधने की योजना है वह सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखी थी लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से तमाम तालाबों के पास सैकड़ों और लाखों एकड़ जोत परती पड़ी रहती है। अगर उस पानी के निकालने का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उसमें काफी अन्न उत्पन्न हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कृषि के लिये जो यह शिक्षक हैं, हमारी सरकार की तरफ से ग्रामसभाओं में जो शिक्षा दी जा रही है कि काश्तकार इस तरह से पैदावार करें, इस से अधिक गल्ला पैदा हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है। कोई भी शिक्षा ग्राम सभा में नहीं दी जाती है। वह शिक्षा उस समय दी जाती है जब आषाढ़ में पानी बरस जाता है। तब उनसे कहा जाता है कि वे इस तरह से खरीफ की फसल को बोयें। हमारे मन्त्री जी का खरीफ आन्दोलन चल रहा है और रबी का आन्दोलन भी चल रहा है। यह सब चल रहे हैं लेकिन वे उस समय चलते हैं जब पानी बरस जाता है। तब उनके कर्मचारी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से मक्का, ज्वार, बाजरे का उत्पादन बढ़ नहीं सकता है। मई के महीने में यदि बीज की सुविधा पहुंच जाय, अच्छा बीज दिया जाय, अच्छा खाद दिया जाय, अच्छे बैल उनके पास हों, तब हमारे प्रदेश में अन्न का संकट दूर हो सकता है। रबी की जब बोवाई होती है तो मैंने अपने जिले में देखा कि किसानों को १६ सेर बीज दिया गया और १ मन खाद दी गयी और कहा गया कि यह फसल पर तुमको अदा करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, १६ सेर बीज जिस किसान को मिलेगा वह १ मन खाद का पैसा कैसे अदा करेगा? आज बीज उन लोगों को ज्यादा मिलता है कि जो उसे अपने घर में ले जा कर सवाये और ड्यौढ़े पर किसानों को देते हैं और उस से मुनाफा कमाते हैं। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये वर्गीकरण होना चाहिये। देखना चाहिये कि किन लोगों को ज्यादा बीज दिया जाय तभी मंत्री जी और सरकार को पता लग सकता है कि गांव के लोग किस तरह अपना गुजर-बसर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक पोस्टर की रंगाई में ५०, ५० रुपया खर्च होता है लेकिन इससे जमीन का

[श्री मुल्ला प्रसाद 'हंस']

विकास और अन्न की उपज नहीं बढ़ सकती। मैंने देखा कि सैलाब के समय में ५, ५ रुपया तकावी किसानों को दी गयी और वहां सैकड़ों बीघे जमीन परती पड़ी है। बाबू तबका जो घास नहीं पहिचानता है किसानी करना नहीं जानता है। किसानी तो किसान ही जानता है वकील लोग कोर्ट जा कर और ५० बीघा जमीन ले कर नहीं चल सकते हैं।

इस तरह की सीलिंग से अन्न की उपज नहीं बढ़ सकती है। मैं कहता हूं कि जिन मजदूरों के पास जमीन नहीं है, उनको, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे ले कर दी जाय। जिनके पास १०० और ५० बीघा जमीन है वह १०, १२ बीघे से ज्यादा बोवाई नहीं करते और बाकी सब जमीन बेकार पड़ी रहती है। वह जमीन खेत मजदूरों और भूमिहीनों को अगर मिल जाय तो क्यों नहीं अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है। केवल आंकड़ों से और इन चीजों से ही अन्न संकट हल नहीं हो सकता है। इसके लिये किसान के पास जमीन होनी चाहिये, समय पर उनको बीज, खाद, सिंचाई के साधन और अन्य साधन उपलब्ध होने चाहिये तभी अन्न का उत्पादन ज्यादा हो सकता है। हमारा जो विरोधी दल का कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं कि करीब २४ बार उठने बैठने के बाद मुझे आप ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आज हमारे प्रदेश में कृषि एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है कि जिससे साढ़े ६ करोड़ जनता के जीवन मरण का संबंध है। श्रीमन्, लगभग ५,२१,००,००० से अधिक व्यक्ति अपने प्रदेश में केवल कृषि पर ही निर्भर हैं, इनमें से करीब ६,६७,६१२ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो खेती का काम नहीं जानते, खेती के पास जाते भी नहीं हैं, किसी अन्न का पेड़ भी नहीं जानते हैं लेकिन उनके पास जमीनें हैं और मजरुआ भूमि है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को बड़ी मेहनत के बाद समय मिला है, उनको आप बोलने दीजिये।

श्री खयाली राम---तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि आधी भूमि ऐसी होगी जो हमारे मंत्रियों के सम्बन्धियों के पास है और आधे से कम भूमि ऐसी है जो मेहनतकश काश्तकारों के पास होगी.....

श्रम उप-मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं माननीय सदस्य से कि ऐसी भूमि कहां पर है?

श्री खयाली राम---मैं कह रहा था कि मेहनत करने वालों के पास खेती कम है। आज कांग्रेसी सरकार कोई नयी दुलहन नहीं है, वह १२ लड़कों की मां हो चुकी है। उसको चाहिये कि इस प्रदेश की ६ करोड़ जनता की ओर देखे। आज १२ साल आजादी को हो गये इसलिये १२ लड़कों की मां यह सरकार बन चुकी है। उसको चाहिये कि परम पिता बापू अपने पति की ओर लज्जा रखे.....

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---क्या राष्ट्र पिता के किसी पति का जिक्र है?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सरकार हर साल एक बच्चा पैदा करती है और १२ बच्चे पैदा हो गये हैं।

श्री खयाली राम---चाहे पिता समझिये चाहे पति, एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष---आप चेयर की तरफ देखकर अपनी बात कहें।

श्री खयाली राम---श्रीमन्, आज हमारे चौधरी साहेब की हठवादिता से जो जमीन काश्तकारों के पास थी वह भी निकलकर उन सरमायेदारों के पास पहुंच गई है जो खेती का काम नहीं जानते हैं। मैं अपने मुख्य आवास का उदाहरण देता हूं कि मुंशी सोहनलाल जो भूतपूर्व पटवारी थे उनके पास जमींदारी उन्मूलन के पहले एक बिस्वा भूमि भी नहीं थी लेकिन अब १०० बीघे से ज्यादा का प्लाट उनके नाम बनाया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष---खेती के बारे में जो कठिनाइयां हों, उन्हीं के बारे में आप बोलें।

श्री खयाली राम---श्रीमन्, मैं उसी पर आ रहा हूं। आज हमारे प्रदेश में गल्ला गोदामों पर जो बीज वितरण की व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है। बीज छोटे-छोटे काश्तकारों को नहीं मिल पाता है बल्कि बड़े बड़े लोगों को मिलता है जो कि बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। मेरे यहां एक व्यक्ति ने ५ बोरी गेहूं ले जा करके उसी दिन बाजार में बेच डाला। जब एक छोटा काश्तकार बीज लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि एक बोरी अलमोनियम सल्फेट खाद लो तथा एक बोरी खली दी जाती है जो कि चक्कियों पर ढाई रुपये मन के हिसाब से मिलती है लेकिन गोदाम वाले उसके साढ़े ७ रुपये लगाते हैं और छोटा काश्तकार, जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं है वह खली लेने से इनकार करता है तो उसको कुत्ते की तरह दुत्कार दिया जाता है। आज इस तरह का वहां पर अन्याय हो रहा है बीज गोदामों पर। हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत अजीबो गरीब ढंग की है। गांव में बड़े बड़े काश्तकार जो सरकश होते हैं वे ४, ६ मिलकर नहर का सारा पानी इस्तेमाल करते हैं और छोटे छोटे किसानों को जिनकी जमीनें दूर होती हैं नहर का लाभ नहीं मिल पाता है। मेरा सुझाव है कि कृषि और सिंचाई दोनों विभाग एक ही मंत्री के पास होने चाहिये क्योंकि ये दोनों विभाग एक दूसरे से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं। केवल मेरे जिले में १०,००० एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो बारिश की अधिकता से झीलों में डूब जाती है और बोने के लिये नहीं मिलती है। पारसाल मने ५ दिन का दौरा करके माल मंत्री को एक पत्र लिखा था। वह रद्दी की टोकरी में चला गया हो या मंत्री जी के पास पैसा न रहा हो, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जब हजरतगंज से चारबाग तक फूल के गमले टांगने के लिये और मुख्य मंत्री जी के यहां बिना मिट्टी की खेती के लिये पैसा है तो गरीब किसान के लिये क्यों नहीं है जिनके वोट के बल पर हम सब यहां आकर ५ साल मजा करते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि नहर के पानी का हर गांव में बिना काश्तकार से कुछ लिये ही बटवारा कर दिया जाय जिससे हर काश्तकार को पानी ठीक से मिल सके।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि ब्लाकों में सरकारी कर्मचारी पैन्ट व सूट पहनकर देहात को न जावें बल्कि धोती और कुर्त्ता पहनकर वहां जावें जिससे गरीब किसान उन्हें देखकर घर में न घुसे।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव कृषि अनुदान पर पेश है उस पर मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभी मानते हैं कि भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है, और यह ११ साल की लोकशाही कही जाने वाली सरकार इस बात का दावा करती है कि कृषकों की पैदावार में तरक्की हुई है, परन्तु इसके आंकड़े हमारे सामने इस प्रकार के आते हैं जो कि ऊंचे अफसर नीचे के अफसरों से जांच कराते हैं। खेतों की पैदावार का सही तरीका होना चाहिये। सूबे की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है। कल ही हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम जमा करने के लिये भी अनाज पैदा करना चाहते हैं। जब हम किसान को रीढ़ की हड्डी मान कर चलते हैं तो हमें चाहिये कि उसकी पैदावार बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा जराये उसे दें।

[श्री बुद्धी सिंह]

हमारी पहली योजना चली, दूसरी चल रही है और तीसरी की बातचीत हो रही है। पहली योजना का काल अवश्य पूरा हो गया परन्तु लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जैसे लाला सुबह से शाम तक रोकड़ मिलाता है और अगर कुछ बच रहता है तो शाम को घर पर परांवठे भी बन जाते हैं वरना रोटी भी नहीं बनती है, इसी प्रकार हमें कृषि की उपज बढ़ाने के लिये देखना है। हमारे मंत्री जी पहले सोशलिस्ट रहे हैं और सन् १९३० से मैं उन्हें जानता हूं, मेरा उनसे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध भी रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे पहले हम गाया करते थे कि---

मेरी जां न रहे, मेरा सिर न रहे,
सामां न रहे, न यह साज रहे,
फक्त हिन्द मेरा आजाद रहे,
और मां के सिर पर ताज रहे,
किसान मेरा खुशहाल रहे,
घर-घर में भरा नित अनाज रहे,
मेरे बच्चे वतन पै निसार रहें,
मेरी मां--बहनों में लाज रहे।

इसे हमें कार्यरूप में लाना है। मनुष्य के लिये ३ तरह का भोजन होता है। पौष्टिक, काम चलाऊ और जिन्दा रहने लायक भोजन। मेरा खयाल है कि ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी में मुश्किल से ५० लाख आदमी पूरा भोजन पाते होंगे, १ करोड़ आदमी काम--चलाऊ भोजन पा रहे होंगे। काम--चलाऊ मैं उसे मानता हूं कि जो २ समय पूरा न खाकर २ लोटे पानी पीकर काम पर जावें लेकिन ज्यादा दिन वह जिन्दा नहीं रहेगा। और ४ १/२ करोड़ आबादी जिन्दा रहने लायक भोजन पाती होगी। जिन्दा रहने लायक भोजन से मतलब यह है कि उसके लिये दवा--दारू या अन्य साधनों की कमी है। गांवों में एक अकर्मण्यता का वातावरण बना हुआ है। योजनाओं को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि नौकरशाही जो गांव में जाती है वह आपस में प्रेम करे, प्रेम--भाव से गांव के लोगों के साथ पेश आवें। वह अपनी तरफ चुम्बक की तरह से किसान को खींच ले,परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। इसी सदन में सहकारिता के ऊपर मैंने पहले कहा था कि बहुत कम खाद के गड्ढे खुदे और बहुत कम हरी खाद तैयार हो पाई है। जब साढ़े चार करोड़ आबादी जिन्दा रहने लायक भोजन पा रही है तो फिर उसी हिसाब से गल्ला पैदा करना होगा। फी आदमी आध सेर का हिसाब मैंने लगाया है---वैसे तो सेर सेर भर भी किसान खा जाता है जो कसी या हल चलाता है---लेकिन मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, अपने दोस्तों के न टोके जाने की वजह से आध सेर का हिसाब ही जोड़ा। उस हिसाब से यह आंकड़े हैं। आज साढ़े चार करोड़ किसान के लिये न तो दवा है और न उसके पास खाने के लिये गल्ला ही है। आप जो अनुदान का रुपया देते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा पहले प्रकार के भोजन पाने वाले खा जाते हैं, उसके बाद कुछ हिस्सा वह लोग खा जाते हैं जो बीच के लोग हैं और बाकी जो साढ़े चार करोड़ आदमी बचते हैं उनके लिये उस अनुदान में से कुछ बचता ही नहीं है।

पिछले वर्ष गवर्नर साहब के भाषण के समय मैंने कहा था कि मुरादाबाद के लिये ७६,००० रुपया तकावी दी गयी लेकिन वह राज खानदान के लोगों ने, जो जीत गये थे या हार गये थे, अपने यार-दोस्तों को ही दिलवा दी। इसके बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह अनुदान जो आपके द्वारा वहां जाया करता है उसके बारे में आपको हर गांव सभा के सभापति को सूचित कर देना चाहिये तथा उसकी एक एक कापी प्रत्येक विधायक और एम० पी० को दे दी जाय। इस ७६,००० रुपये के बारे में तो मुझे भी पता नहीं लगा। यही नहीं वहां के आफीसर साहब को भी उसका पता नहीं लगा हालांकि उनके सिगनेचर्स वहां पर

मौजूद थे। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करायें। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और उन पर मेरी बहुत श्रद्धा है। इस विषय में वे जांच करायें कि इस रुपये में से साढ़े ४ करोड़ जनता को कितना मिला, ५० लाख को कितना मिला और बाकी लोगों को कितना मिला क्योंकि अगर आप रोकड़-बही की जांच नहीं करायेंगे और आप इसी तरह से भागते रहेंगे और लोगों से टैक्स लेते रहेंगे तो आपको सही स्थिति का पता किसी प्रकार भी नहीं चल पायेगा। टैक्स लगाना बुरी बात नहीं है लेकिन यह तो देखना चाहिये कि उसका दुरुपयोग न हो। जो बापूजी की ग्राम राज की तस्वीर थी वह अगर आप पूरी कराना चाहते हैं तो आपको यह देखना ही होगा। केवल मियां मिठ्ठू बनने से काम नहीं चलेगा। अब आप यह देखें कि उस तबके को कितना मिला जिससे आप कहते हैं कि खेती बढ़ाओ। अगर आप खेती बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वसाधारण को बैल, अच्छा बीज, खाद, निराई, जुताई और रखवाली आदि ५–६ तरह के साधन आपको देने होंगे। २८ रुपया मालगुजारी वालों की जमानत देने वाले भूमिधरों की पाबंदी हटायी जाय। बीज जैसा लिया जाता है वैसा ही दिया जाय। यह नहीं कि देते समय तो उसमें जो कंकरीट और धूल मिली हुई हो और लेते समय चार चार बार उसको छनवाया जाय। इसके अलावा रकबे के हिसाब से गांवों में रहट के कुएं लगवाये जायं। आप जिस हिसाब से आबपाशी की योजना चला रहे हैं उस हिसाब से पूरी तरह से आप २५ साल में कामयाब होंगे क्योंकि अभी आप ३० प्रतिशत ही आबपाशी कर पाये हैं। इसलिये आप रकबे के हिसाब से रहट लगाने के लिये १० वर्ष के लिये सूद पर उन लोगों को तकावी दे दीजिये। जब उसकी पैदावार बढ़ जायगी तो वह सूद भी आपको दे देगा। वह प्रसन्न होकर लखनऊ आयेगा और आपको फूल की माला पहनायेगा।

एक सुझाव मेरा यह है कि हर गांव की ग्राम सभा को कुछ अनुदान दिया जाय कि कूड़ा-कर्कट, गोबर आदि जो बहुत सी चीजें इधर-उधर फेंकी जाती हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाय और गांव के चारों तरफ इस तरह से पाखाने बनवाये जायं जिससे लोगों को आसानी हो और वहां हरी खाद तैयार हो।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के अनुदान पर विवाद करते समय और विशेष प्रकार से सन् १९५९ में हमारे सम्मुख एक ही चीज है कि किस प्रकार से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाय। हमको जितना भी विवाद करना है और इस बजट की योजना को देखना है वह इसी दृष्टिकोण से देखना है कि कृषि की ऊपज बढ़ी है या नहीं, और अगर बढ़ी है तो उसकी प्रगति सन्तोषजनक है या नहीं। जहां तक बजट का सम्बन्ध है अगर हम उस पर विवाद करें तो यह समझें कि माननीय गौतम जी कृषि मंत्री हों या कोई दूसरा कृषि मंत्री हो, वह पार्टी बजट बनायें या वह बजट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बजट जो है उसका एक तरीका है, उसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे भी रखने होंगे किसी न किसी प्रकार के जिनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। हमें तो केवल देखना यह है कि प्रगति है या नहीं है।

जहां तक पिछले वर्ष का सम्बन्ध है हमको यह मानना होगा कि रबी और खरीफ के जो दो आन्दोलन हुए हैं, इनमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं जिसे कल माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा था। इन सब के होते हुए भी मैं माननीय कृषि मंत्री से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसी दृष्टि से इस बात को देखें कि कृषि की प्रगति कैसी चल रही है और कितना समय चाहिये कि हम प्रदेश के उस कृषिक्षेत्र को विकसित कर सकेंगे, उस लक्ष्य तक जितना कि हम वांछित समझते हैं अपने प्रदेश के लिये। हम यह देख लें कि इतना वक्त है और कृषि में यह सुधार होना है और इतने वर्षों में हम उसे कर सकते हैं या नहीं। मुझे कोई बहुत बड़ा

[श्री जगदीश प्रसाद]

सुझाव नहीं देना है लेकिन मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी इस समस्या के ऊपर सोचें। जहां तक मैं सोचता हूं, हमारे यहां सवा ६ एकड़ की एकोनामिक होल्डिंग करार दी गई है कानून के अनुसार। आपके पास टेक्निकल लोग हैं और बहुत से विशेषज्ञ हैं। मैं सुझाव देता हूं कि वे विशेषज्ञ हमारे सामने ऐसी योजना रखें कि सवा ६ एकड़ के जो किसान हैं उनके लिये आइडियल खेती का क्या तरीका होगा। जैसे उस रोज अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने हमारे सामने रखा था कि एक रहट हो, एक ऊंट हो और इस तरह की चीजें हों, यह इन्होंने सिंचाई के सम्बन्ध में कहा, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारे विशेषज्ञ इस बात पर सोचें और हमको बतलावें कि जिनके पास सवा ६ एकड़ जमीन है या ४०, ५० बीघा जमीन है, उनको किन साधनों की आवश्यकता है, वे कौन से तरीके अपनावें जिससे उनके खेत की उपज बढ़ सके। साथ ही वे यह भी बतलावें कि इस तरह की सुविधायें उनको कब तक सरकार प्राप्त करा सकती है। मुझे उम्मीद है कि जब आप कोआपरेटिव फार्मिंग करने जा रहे हैं तो कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे जब सारी जमीनों को कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्दर लाया जावे तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन करने की जरूरत न पड़े।

एक और बात देखनी है और वह है स्पेशलाइजेशन आफ एग्रीकल्चर की। उपाध्यक्ष महोदय, होता यह है कि जो किसान पुराने जमाने से जिस खेत में जिस फसल को बोता आ रहा है, बराबर वही चीज उस खेत में बोता है। जिस चीज के बोने का जहां रिवाज है वही चीज वहां बोयी जाती है। आज हमारे पास अनुसन्धान कार्यालय भी हैं जिनमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और वे काफी काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अनुसंधान कार्यालय में स्वायल सर्वे भी होता है, मिट्टी का अन्वेषण होता है और वे देखते हैं कि क्या चीज इसमें पैदा हो सकती है और क्या चीज नहीं। अब हम आजाद मुल्क में हैं, काफी समय हो गया इसी तरह से चलते हुए। अब हम देखें कि इस साल इस भूमि में यदि यह चीज बोयी जायगी तो उसकी उपज ज्यादा होगी। स्पेशलाइजेशन से मेरा अर्थ है कि हम आम तौर से कहते हैं कि गन्ना बहुत बोया गया, गन्ने में जमीन ज्यादा आ गई। अगर ऐसा है भी तो मेरी समझ में उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर गन्ने से हम ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो फिर उससे बहुत सा अनाज आ सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अनाज ही पैदा करें। हमारी पैदावार ज्यादा होनी चाहिये। तो स्पेशलाइजेशन से मेरा अर्थ है कि जिस जमीन में गन्ना ज्यादा हो तो गन्ना ही पैदा करें, जिस जमीन में कपास ज्यादा पैदा होती हो तो कपास ही पैदा करें और अगर किसी जमीन में गेहूं ज्यादा पैदा हो सकता है तो गेहूं पैदा करें। साथ ही यह भी देखना होगा कि किस तरह की खाद देनी है। एक सुपर फासफेट निकाली गयी। उसको बाट दिया जाता है लेकिन कोई नहीं देखेगा कि किस किसान को सुपर फासफेट खेत में देने की सुविधा है। सुपर फासफेट देने के बाद अगर किसान पानी नहीं दे सका तो खेती को वह नुकसान देगी।

एक कान्फ्रेन्स बुलाई गयी थी। उसमें माननीय मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री भी थे और उसमें डेवलपमेंट आयुक्त भी मौजूद थे। उसमें मैंने कहा था कि यह जो आप कर देते हैं कि एक बोरी गेहूं ले जाय तो एक बोरी खाद भी जरूर लेनी होगी, यह पाबन्दी हटाई जाय। उस रोज यह तय हुआ कि हटा देंगे लेकिन यह प्रतिबन्ध हटाया नहीं गया। सैकड़ों बोरे सुपर फासफेट के पड़े हुए हैं लेकिन किसानों के काम नहीं आये और घरों को वह खराब कर रही है। उसका पैसा वसूल हो रहा है। मैंने डी० एम० को इसे रोकने के लिये भी लिखा। अब जो मैं घूमा तो यह भी मालूम हुआ कि यूनियन वह रुपया गल्ले के मूल्य में ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान कृषि शिक्षा की ओर दिलाऊंगा। इस पर माननीय नवल किशोर जी ने भी कहा था कि कृषि कालेज, कानपुर भी बहुत अच्छी संस्था है। मैंने उसे देखा है। ऐसी संस्थायें और बननी चाहिये। मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे कृषि कालेज से विद्यार्थी निकल कर कृषि करना नहीं चाहते। अगर हमारा

एक ही उद्देश्य है कि हम गवर्नमेंट सर्विस के लिये कैंडिडेट पैदा करते चले जायं तो दूसरी बात है। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। हमारे जो विद्यार्थी वहां से निकलें वे खेती करने की तरफ ध्यान दें।

दूसरा सुझाव यह है कि जहां खेती की तरफ हमें ध्यान देना है वहां किसान की हालत को भी ठीक करना है। वे उद्योग जिनका सम्बन्ध सीधे किसान से है और घर पर बैठे किये जा सकते हैं, उनका सम्बन्ध भी इस विभाग से है और किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। इससे उनको कुछ सुविधा होगी। हमको ऐसे आदमी चाहिये चाहे वह एग्रीकल्चर इन्सपेक्टर हों या विलेज लेविल वर्कर जिसका किसानों के पूरे जीवन से सम्बन्ध हो और जो यह जानते हों कि किसान किस समय क्या बो सकता है, क्या बना सकता है, किस प्रकार उसकी अवस्था ठीक हो सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध मे भी मैं एक आध बात कह देना चाहता हूं। कुछ इस वर्ष बजट में भारी भरमार चहारदीवारी की है। मेरा अपना अनुभव यह है कि मकान कोई बनाता है तो पहले चहारदीवारी नहीं बनाता, तार लगा लेता है या कुछ और कर लेता है और सहूलियत होने पर चहारदीवारी बनाता है। लेकिन इस पूरे बजट में चहारदीवारी बहुत है, कुछ कृषि में भी है। चहारदीवारी अगर अनावश्यक है तो उसको टाला जा सकता है। उसको अनावश्यक तो नहीं आवश्यक ही कहा जायगा, चहारदीवारी मकान की बनती है तो उससे सुन्दरता आ जाती है लेकिन कुछ वर्ष के लिये अगर उसे टाला जा सकता है तो टाल दिया जाता है और बहुत जरूरी काम में उस रुपये को लगा दिया जाता है।

कल नवलकिशोर जी ने एक आइटम की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें कृषि औजारों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत क्षेत्र परीक्षण के ८ रीजनल आफिसर्स नियुक्त किये जायंगे और वे खेती के औजारों का परीक्षण खेतों पर जा जाकर देंगे। यह सफल होगा या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ये जो ८ रीजनल आफिसर्स नियुक्त होंगे वे खेत खेत पर जाकर बतला सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है। जहां तक इस सरकार के कार्यों को पिछले ६–७ साल में देखा है वह यही है कि एक विभाग बनता है वह विभाग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। एक अधिकारी यहां लखनऊ में नियुक्त होता है उनको इस बात की चिन्ता होती है कि रीजन में भी उनके अधिकारी हो जायं उसके बाद जिलों में भी उनके अधिकारी हो जायं और फिर इसी प्रकार से अधिकारी बढ़ते हैं। जैसा माननीय नवलकिशोर जी ने कल कहा था मैं ज्यादा जोर तो नहीं दूंगा लेकिन मंत्री जी से फिर भी निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि यह योजना जिसमें इस वर्ष आपने १,२२,००० रुपया आवर्तक और २८,००० रुपया अनावर्तक करके रखा है इसको अगर कुछ दिन के लिये स्थगित कर दें तो कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। सरकार ने पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे-अच्छे बीज, अच्छी खाद और तकावी, हर प्रकार की सुविधायें दीं जिससे किसान की खेती में अच्छी पैदावार हुई। मैं मंत्री जी का अपने इटावा जिले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां बी० डी० ओ० साहब ने १ एकड़ का खेत लिया और उसमें पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छा बीज और खाद का प्रयोग करके पैदावार बढ़ायी और १ एकड़ में १५ मन धान पैदा किया। वहीं एक दूसरे किसान का खेत था उसी खेत के बराबर उसने गोबर की खाद डाल कर और बड़ी मेहनत करके फी एकड़ २२ मन पैदावार की। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकारी खाद दी जाती है उससे गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है। लेकिन गांव में लकड़ी का प्रबन्ध न होने के कारण काफी गोबर किसान जला डालते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में किसानों के लिये लकड़ी

[श्री सुखलाल]

की सुविधा दी जाय। कोयले की सुविधा दी जाय ताकि गोबर की खाद बच सके और खेती में काम आवे। दूसरी बात यह देखें कि जो बीज बंटता है उसी के साथ पुरानी, सड़ी खाद दी गई जबरदस्ती और जब जनवरी में उस इलाके में बी० डी० ओ० साहब गये तो देखा कि उस खाद से कोई फायदा नहीं हुआ और किसानों ने अपनी देशी खाद से जो पैदावार की थी वह उस खाद से ज्यादा पैदावार थी। उन्होंने कहा कि हमको जो सरकार की तरफ से खाद मिलती है वह खराब है, साथ ही पानी की सुविधा भी नहीं मिलती और न तकावी दी कुएं बनाने के लिये। जिनके पास जमीन कम है उनको कुएं की तकावी नहीं मिलती है और ज्यादा जमीन वालों को मिल जाती है। हमने एक गांव में देखा कि एक किसान के यहां थोड़ी जोत थी उसमें एक कुआं था, सब्जी के खेत थे, गेहूं के खेत थे और उसकी अच्छी पैदावार थी। दूसरे आदमी से जिसके पास ज्यादा काश्त थी, उससे कहा कि आप भी कुएं से सिंचाई करें तो उन्होंने कहा कि उसमें बड़ी मेहनत है, उसके पास तो थोड़ी सी काश्त है इसलिये उसने इतनी मेहनत की, लेकिन हमारे पास तो ज्यादा खेती है अगर २ मन बीघा के हिसाब से भी पैदावार हो गई तो उसके बराबर हो ही जायगी इसलिये हम क्यों मेहनत करें, हमारे पास तो खेती काफी है। श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि आज आपने बांध के लिये रुपया देने के लिये कहा है तो जहां यमुना जी और चम्बल का इलाका है वहीं ज्यादा बांध की जरूरत पड़ती है। मैं श्रीमन् से यही प्रार्थना करता हूं और इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अमरनाथ जी, आपको सिर्फ सात मिनट मिलेंगे।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने तथा इधर के माननीय सदस्यों द्वारा कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे सूबे के अधिक लोगों का सम्बन्ध आज कृषि से है। देखना यह होगा कि हर वर्ष जो अनुदान इस हाउस से पास करके दिया जाता है क्या उस अनुदान का सदुपयोग होता है या नहीं होता है। क्या इस मामले में हम तरक्की किये हैं या नहीं किये हैं। हमारी पैदावार बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। हमें उपयुक्त साधन मिले हैं या नहीं मिले हैं। यह सभी के सामने जाहिर है कि हमारी खेती की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका कारण किसानों को समय से बीज न मिलना, समय से खाद न मिलना, मिलना भी तो इतनी ज्यादा कीमत पर खाद दिया जाना, पानी की समुचित व्यवस्था न होना है। इस कारण से हम खेती के मामले में पिछड़े जा रहे हैं। हमारे यहां इस सूबे में कृषि गोदामों की इतनी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें हर किसान को समय से बीज मिल सके। जो बीज दिया भी जाता है उसे देखा भी नहीं जाता कि जमेगा या नहीं। खासकर हमारे जिले में, बस्ती जिले में, और भी जिलों में ऐसा बीज दिया गया कि जो कहा गया कि समय से होगा, लेकिन वह ऐसा बीज दिया गया कि जो भदई की फसल के पहले ही फूट गया जिसका नतीजा यह हुआ कि तमाम किसान की फसल बरबाद हुई और एक मुट्ठी भी अनाज नहीं पैदा हुआ और आज जबर्दस्ती वसूली की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि जो बीज दिया गया वही लिया जाएगा। लोगों के साथ बेरहमी से पेश आया जा रहा है।

यही नहीं श्रीमन्, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बीज गोदाम की खास तौर से शिकायत की थी। वहां के अमीन के बारे में कहा था कि अमीन ने किसान का बैल बीज के बकाया में ले लिया। उसके बारे में किसान ने एप्लीकेशन दी थी। उसमें मैंने खुद मंत्री जी को लिखा। माननीय मंत्री जी ने जांच कराने को भेजा। लेकिन उसकी जांच का आज तक पता नहीं चला। यह सुनने में आया कि इस किसान को उल्टे नोटिस दे दिया गया कि क्यों न तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाय। बैल तो उसका खोला गया, ले जाया गया, उसका आज तक पता नहीं और कहा गया कि तुम्हारा बैल तो फलां खेत को खा रहा था और वह फलां मवेशीखाने द्वारा नीलाम कर दिया गया, और फलां ने नीलाम ले लिया। पास के मवेशीखाने

से तीन कोस की दूरी पर उसका बैल दूसरे मवेशीखाने में बन्द किया गया और कहा जाता है कि नीलाम कर दिया गया। आज तक उसके बैल का पता नहीं। सी० ओ० जांच में गये, गांव वालों ने सी० ओ० से कहा कि अमीन ले गया। उस किसान से सी० ओ० ने कहा कि १०० रुपये लेकर सुलह कर लो। जब गांव वाले नहीं माने और वह किसान नहीं माना तो नतीजा यह हुआ कि उल्टे उसको नोटिस दिया गया कि क्यों न तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाय। तो जब यह सब हो रहा है और इस तरह का इन्तजाम है तो उसी का कारण है कि हम खेती में पिछड़े जा रहे हैं और हमको तकावी नहीं दी जाती। हमारे जिले में बैलों के लिये तकावी रखी गयी थी लेकिन बहुतों को श्रीमन्, नहीं दी गई। जब किसान को बैलों के खरीदने के लिये रुपया वक्त से नहीं मिलेगा तो कैसे खेती होगी? जहां तक पानी के प्रबन्ध का प्रश्न है वैसे इस प्रश्न का नहर विभाग से सम्बन्ध है, लेकिन कृषि विभाग का पानी से सम्बन्ध तो है ही। मेरे यहां पानी न मिलने से बिना पानी के हजारों एकड़ जमीन सूख गई और तमाम फसल बरबाद रह गई। किस तरह से किसान की तरक्की हो सकती है और किस तरह से पैदावार बढ़ सकती है जब किसान को पानी, खाद, बैल और अच्छे बीज का प्रबन्ध वक्त से न किया जायगा। इस तरह से समाजवाद कायम नहीं हो सकता। इस तरह से तो किसान की और दुर्दशा ही होगी। मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि जब वह जिलों में जाते हैं तो क्यों नहीं वह देहातों में जाते और किसानों की तकलीफों और शिकायतों को सुनते? उन किसानों से आप पूछें कि किस तरह से तुमसे कर्मचारी पेश आते हैं लेकिन उन से कोई नहीं पूछता और किसान दर-दर की ठोकरें खाते हैं। मंत्री जी समझते हैं कि हमने अनुदान मंजूर करा दिया लेकिन कर्मचारी क्या करते हैं, जिन पर मंत्री जी को विश्वास है। मैं कहता हूं कि आप जनता से चुन कर आये हैं तो आप को जनता की तकलीफ देखना होगी, आप जनता को कर्मचारियों के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि सहकारी विभाग और दूसरे विभागों में तमाम आदमी हैं केन सुपरवाइजर हैं, कामदार हैं और अनेक पदों पर लोग हैं उन सब के कामों को अगर मिला दिया जाय तो बहुत पैसा बच सकता है और काम भी सुचारु रूप से चल सकता है। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के वादविवाद में भाग लिया है आभारी हूं। मैं इससे पहले कि कुछ बात कहूं एक बात कह देना जरूरी समझता हूं कि मेरी बहुत कुछ मुश्किल को श्री नवलकिशोर जी, श्री गोविन्द सहाय जी और श्रद्धा जी ने आसान कर दिया और मैं समझता हूं कि मंत्री जी को चाहे इधर के लोगों की बात अच्छी लगे या न लगे, लेकिन कम से कम अपनी तरफ के माननीय सदस्यों की बात को ठीक समझ कर वह ध्यान दें और आज तक प्रदेश के किसानों के प्रति जो आपके विभाग के द्वारा अन्याय होता रहा है, उसे कम करने की चेष्टा करें।

यहां मेरी बदकिस्मती है कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा मौजूद नहीं हैं, लेकिन जितने माननीय सदस्य उधर से बोले किसी ने विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को गलत नहीं कहा। केवल उन्होंने एक बात कही कि श्री गेंदा सिंह फेमिली प्लानिंग के खिलाफ क्यों बोल गये; लेकिन मैं सदन को बता दूं कि श्री गेंदा सिंह जी ने फेमिली प्लानिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था बल्कि उनका कहना यह था कि आज हमारे यहां की केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार गल्ले की कमी के मसले को बढ़ती हुई आबादी की बात कह कर अन्धेरे में नहीं डाल सकती। इसके माने यह नहीं हैं कि फेमिली प्लानिंग में श्री गेंदा सिंह का विश्वास नहीं है। वह तो सरकार से मांग करते हैं

[श्री जगवीर सिंह]

कि वह गल्ले की कमी की समस्या को हल करे और फेमिली प्लानिंग के नाम पर उसकी सीवियरिटी को न छिपायें। फेमिली प्लानिंग तो होनी ही चाहिये, वह तो जरूरी है ही।

यहां पर प्रथम और द्वितीय योजनाओं का भी जिक्र माननीय सदस्यों और मंत्री जी ने किया। मैं माननीय सदस्यों को बताऊंगा कि अगर गौर किया जाय तो प्रथम प्लान में कृषि पर १०.२ प्रतिशत व्यय होने को था लेकिन हमारी सरकार समझ बैठी है कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया और दूसरी योजना का लक्ष्य था ७.१ और उसमें भी एनीमल हस्बेन्डरी पर ज्यादा था और कृषि पर कम। तो इससे हम क्या समझें? साफ माने होते हैं कि हमारी सरकार तो लक्ष्य पूरा कर चुकी, यानी आवश्यकता नहीं है ज्यादा पैसा खर्च करने की। जैसा कि कल मैंने बतलाया था आंकड़ों के द्वारा कि पारसाल से इस साल कम खर्चा करना चाहती है सरकार इस विभाग पर। श्रीमन्, किसान के आगे एक प्रश्न है। मैंने कल कहा था और फिर दोहरा दूं कि गांव के रहने वाले किसान की आमदनी पिछले ९ वर्षों से घटी और शहर के रहने वालों की ३० प्रतिशत बढ़ी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि ऐसा आपकी सरकार के जमाने में हुआ है, जब कि कहा जाता है कि हमारी बहुत काफी पैदावार बढ़ी? मैं सरकार के आंकड़ों पर ही चलता हूं। मान लीजिये पैदावार बढ़ी, भाव बढ़े तो आमदनी क्यों घटी। आज समस्या यह है कि किसान पैदा क्यों करे? किसके लिए करे? उसके बच्चों के पास खाने को नहीं है, उसके घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, वह हिम्मत हारे बैठा है। यह सत्य है कि इस सरकार के जमाने में उसका भला नहीं होने जा रहा है।

कहा जाता है कि किसान बड़ा मालदार है, क्योंकि भाव बहुत तेज हो गये हैं। हमारा मंत्रिमंडल या सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि हम यहां कोई प्रस्ताव पास कर दें कीमतें बढ़ाने के लिए तो उसको केन्द्र को भेज भी दें, क्योंकि समझते हैं कि भाव बहुत तेज है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, मंत्रिमंडल की जानकारी के लिए कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, हमको देखना इस तरीके से पड़ेगा कि किसान जो पैदा करता है उसको जा कर के बेचता है होलसेल में और जो उसकी जरूरत की चीजें हैं उनको रिटेल में जाकर खरीदता है। तो हमको फर्क देखना है कि होलसेल ऐग्रिकल्चर प्राइस और रिटेल नान-ऐग्रिकल्चरल प्राइस में कितना फर्क हुआ है पिछले दिनों में। उससे साफ जाहिर होता है कि १९५४ में ८४.३ प्रतिशत, १९५५ में ७०.७ प्रतिशत, १९५६ में ८३.७ प्रतिशत, १९५७ में ८८.१ प्रतिशत। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज के बढ़ते हुए भावों के जमाने में किसान की हालत खराब हुई है। किसान के बच्चों को खाने को नहीं मिला है, उसके घर में पहिनने के लिए कपड़ा नहीं है और उधर मंत्री जी कह देते हैं कि भाव बहुत तेज हैं। आज जरूरत है कि हम किसान को यकीन दिलायें कि तुम जो पैदा करते हो उसका नफा तुम खुद उठाओगे। उसको नफा कैसे होगा? आज बड़ी सख्त जरूरत है कि आज फेयर इकोनामिक प्राइस किसान के लिए होनी चाहिए। कल वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था—बड़े पुराने सदस्य हैं इस सदन के—कि नागपुर में हमारी सरकार ने ऐसा तय किया है। मैं नहीं समझा कि कौन सी सरकार ने तय किया। यह जरूर था कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, उसकी बात को हमारी प्रान्तीय सरकार ने अपनाया या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं आज चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतलायें कि आज फेयर इकोनामिक प्राइसेज की बात उनकी सरकार मानती है या नहीं? और अगर मानती है तो क्या उसने कोई कदम उठाया है।

श्रीमन्, और बहुत-सी बातें यहां कही गयीं। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सुझाव दिये। मैं दो तीन बातें कहूंगा। मंत्री जी ने बड़े जोर के साथ जापानीज मेथड आफ राइस कल्टीवेशन का तजकिरा किया। मुझे बड़ा दुःख है यह कहते हुए कि क्या हुआ आखिर उसका हश्र यू० पी० में? बड़ी तारीफ की जाती है, बड़ा ढोल पीटा जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि जब कि २,३४८ पौंड फी एकड़ यू० पी० में होता है तो ७,३०३ पौंड फी एकड़ आसाम में और देहली में २,७६२ पौंड फी एकड़। उड़ीसा में २,६३३ पौंड फी एकड़। यह है

हमारा जापानीज कल्टीवेशन। इसके बाद बड़ा दावा किया जाय कि बड़ी प्रगति की है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई।

यहां कपास का भी थोड़ा-बहुत तजकिरा आया। जब मैं अपने हिन्दुस्तान की पैदावार को केवल अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिलाता हूं, जिसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की नहीं है तो हमारे यहां ९३ पौंड फी एकड़ पैदावार है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में १९६ पौंड फी एकड़। और अगर यह लज्जा की बात हमारे कृषि विभाग के लिए नहीं हैं तो किसके लिए है? और अगर इजिप्ट की बात मैं कहने लगूं तो वहां तो ३९२ फी एकड़ है। वह कोई बहुत तरक्की याफ्ता देश नहीं है। मैं यहां इंगलैण्ड और अमरीका की बात नहीं कहता, केवल पाकिस्तान और इजिप्ट से अगर मुकाबला कीजिये तो भी हमारा सिर शर्म से झुकने लगता है।

श्रीमन्, चावल की बात मैंने कल बतलायी थी। दो, तीन बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं। कुछ गन्ने से मुझे मुहब्बत है, खुद भी गन्ने का काश्तकार हूं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है वह तो मैंने कल बतला दिया था कि इन्द्र भगवान् की तरह से कितनी अप्सरायें पुरजी वगैरह की चलती हैं जिनके द्वारा किसान की तपस्या को भंग किया करते हैं। उस बात में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आज गन्ना पैदा करने वालों को हमारी सरकार यह समझ बैठी है कि उनके घर में नोट बहुत ज्यादा हैं। मंत्री जी ने एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट में इसी बजट में कुछ रीजनल पोस्ट्स क्रियेट कीं, लेकिन इसी सदन में मांग की गयी और आज मैं फिर उस मांग को दोहराता हूं और यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मंत्री जी ने स्वयं यह वादा किया था। आज पश्चिम के काश्तकार को २० और ३० रुपये खर्च करके मामूली-मामूली काम के लिये यहां आना पड़ता है, क्या कारण है कि आज हमारी सरकार शक्ति का केन्द्रीयकरण करती चली जाती है? मैं कभी दफ्तर में पहुंच जाता हूं, कुछ लोगों से जान पहचान भी है, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मैं लखनऊ में रहने की बात को ही खत्म करता हूं। ठीक है, लखनऊ में रहिये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर असिस्टेंट केन कमिनर्स में से, जिनकी कि एक बहुत बड़ी संख्या यहां बैठी है, अगर कुछ को रीजन्स में आर० सी० ओ० बना कर भेज दिया जाय तो उससे किसान के पैसे की काफी बचत होगी। सरकार के सामने जब कोई इन्क्वायरी की मांग आती है, मैंने स्वयं अपने जिले में इन्क्वायरीज कराईं, हमारे केन कमिश्नर महोदय हुक्म दे देते हैं और यहां से वहां लोग जाते हैं, तो क्या आने-जाने में खर्च नहीं होता है? जो असिस्टेंट केन कमिश्नर्स का एक बहुत बड़ा गिरोह यहां बैठा हुआ है अगर उसमें से कुछ आर० सी० ओज० बना कर भेज दें तो क्या परेशानी हो जायगी? मेरी मांग है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें कि जब एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट में वे आर० सी० ओज० की पोस्ट क्रियेट कर सकते हैं तो क्या वजह है कि गन्ने के सम्बन्ध में वे ऐसा नहीं कर सकते?

एक बात और कह दूं जिसकी वजह से मैं स्वयं बड़ा परेशान हूं, तमाम जिला परेशान है। गन्ने के महकमे में डेवलपमेंट कौंसिल्स होती है। मैंने इसी सदन में एक अल्पसूचित सवाल भी किया था तो मुझे जवाब मिला कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट कौंसिल्स बनाने जा रहे हैं लेकिन आज ५–६ महीने जिलों में डेवलपमेंट कौंसिल्स को टूटे हुए हो गये और आज तक वे नहीं बनायी गयीं, यहां से नाम नहीं गये। किस लिये, इसमें बहुत राज हो सकता है। ऐग्रीकल्चर वाले कहते हैं हमारा महकमा नहीं, इंडस्ट्रीज वाले कहते हैं कि हमारा महकमा नहीं। मैं नहीं जानता कि किस महकमे का काम है, लेकिन आज गांवों में रहने वाले उन काश्तकारों की, जिनसे पैसा काटा जाता है, मांग है और मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जवाब दें कि जब उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत जल्दी हम डेवलपमेंट कौंसिल्स बना कर भेज रहे हैं तो क्या परेशानी उनके सामने आयी कि वे आज तक इन डेवलपमेंट कौंसिल्स को बना कर न भेज सके?

[श्री जगवीर सिंह]

मैं अधिक समय न लेकर चूंकि आपने कहा कि बहुत कम समय है, केवल एक बात कह देना चाहता हूं। इन सब बातों को देखते हुये, किसान की खराब हालत को देखते हुये, कृषि विभाग की इस नीति को देखते हुये मैं अपने को असमर्थ पाता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लूं या लेने का खयाल भी करूं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृषि विभाग के अनुदान पर इस कटौती के प्रस्ताव पर जिस तरह से कुछ उधर के बैठने वालों ने बड़ी स्वतंत्र राय जाहिर की उसी तरह से वे आज इस बात का सबूत दें कि वोट देने में भी वे स्वतंत्र ह।

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म आप के द्वारा सारे सदन का और विशेष कर उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है कृतज्ञ हूं, आभारी हूं क्योंकि चाहे जो कुछ किसी ने कहा हो लेकिन एक बात अवश्य है कि सब ने इसके महत्व को समझा है। किसी सदस्य ने चाहे कुछ भी अपनी राय जाहिर की हो लेकिन इस बात से सब सहमत हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय। इसलिये भिन्न-भिन्न प्रकार की रायें, भिन्न-भिन्न ढंग से दी हुई, मुझे शिरोधार्य ह। यह हो सकता है कि जब इतना जबर्दस्त उत्साह दिल में हो तो मात्रा से अधिक भाव या उद्गार प्रकट किये गये हों और कभी कभी यह भी हो जाता है कि रेलेवेंट और इर्रेलेवेन्ट बातें दिमाग में आ जाती हैं और वह जाहिर की जाती हैं। इसलिए बहुत-सी बातें जो इस सम्बन्ध में रखने वाली नहीं हैं उनका मैं आपकी आज्ञा से जिक्र नहीं करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने-अपने ढंग की हैं कि इस गांव में यह हुआ, उस गांव में वह हुआ। इस समय सारी सूचना मेरे पास नहीं है और अगर कोई माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही करूंगा ऐसा मैं आप के द्वारा सदन को आश्वासन दे सकता हूं।

श्री राजनारायण जी ने आराजी लाइन की बात कही। वह ऐसी चीज है जिससे इस मांग का गहरा ताल्लुक नहीं है। उनके दिल में उद्गार थे और उन्हें कहना था। लेकिन अधिक अच्छा यह होता कि आध घंटे के समय में इस पर वाद-विवाद हो जाता तो जो समय बचता तो और अधिक सुझाव मिल जाते जिसमें काम करने में मुझे ज्यादा सुविधा होती। इस-लिए मैं इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं माननीय गेंदा सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस खरीफ अभियान का स्वागत किया। क्यों किया? क्योंकि उनके दिल में बेकरारी थी और वह किसानों की मदद करना चाहते थे। वह अपने इलाके में गये और जहां-जहां कमी देखी उन्होंने मुझे खटखटाया, चिट्ठियां लिखीं, तार दिये और जबानी भी कहा। मैंने एक खास अफसर भेजा कि आप गेंदा सिंह जी के साथ जाइये और जहां-जहां वह ले जायें वहां जाइये और देखिये कि कहां-कहां क्या-क्या कमियां हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक अफसर हमें भी दे दिया जाय। हम भी कमियां बता देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---विधान मंडल के सब सदस्यों को हमने बुलाया था और हमने प्रार्थना की थी कि हमको मदद करें और जिस-जिस व्यक्ति ने जो भी सुझाव दिये उनको मैंने सहर्ष स्वीकार किया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---आपने उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष---बस ठीक है।

श्री मोहनलाल गौतम---कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मैं हर चिट्ठी का जवाब देने की कोशिश करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---गेंदा सिंह जी के यहां ही लेट पैडी सूख गई थी।

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, मैं उसी पर आता हूं। इसलिए गेंदासिंह जी को मालूम है कि वह काम गांवों में किस तरह से हुआ। मैं यह नहीं कहता कि जो अब तक कार्यवाही हुई वह परफेक्ट थी। उसमें कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूं कि कमियां हैं। उनको पूरा करने का हमारा निश्चय है और हमारी कोशिश है। उसके लिये मैं माननीय सदस्यों की सहायता चाहता हूं लेकिन वह दूर किस तरह से होगी? जब कहेंगे, बतायेंगे। गेंदा सिंह जी के कहने से लाखों रुपये की तकावी दी गयी और जो कमी थी वह पूरी करन की कोशिश की गयी। हो सकता है कि फिर भी कमी रह गयी हो। लेकिन प्रयत्न है और प्रयत्न सफलतापूर्वक हो रहा है और होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप क द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह है कि यहां हमको बोलने का पूरा अधिकार है। [+] इसलिए जिस तरह से वक्त बे वक्त हर तरह से सरकारी कर्मचारियों की निन्दा की जाती है, मैं यह कहता हूं कि वह आप के हाथ पैर हैं। सदन के सदस्य शासन नहीं चला रहे हैं। यह मालिक हैं, लेकिन शासन चलेगा कर्मचारियों की मार्फत। उनको निकाल दीजिये, डिस्मिस कर दीजिए जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोरदार शब्दों में उन तमाम बातों का विरोध करता हूं जिस तरह से कर्मचारियों पर यहां हमला होता है। अगर किसी पर व्यक्तिगत हमला है तो वह लायें, उसको सजा दिलाएं। भ्रष्टाचार किसमें नहीं है? अगर एक कर्मचारियों का सम्मेलन होता, अगर कर्मचारियों को यहां बिठा दिया जाय और हम लोग बाहर चले जायं, और उन को भी अधिकार दे दिया जाय कि जिस तरह से चाहें बातें कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, तो वह प्रोसीडिंग्ज भी पढ़ने लायक होंगी। (व्यवधान) मिनिस्टर भी शामिल होंगे और मेम्बर्स भी शामिल होंगे।

श्री राजनारायण---उसमें मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---बिलकुल, जिनको ज्यादा अधिकार होगा वह ज्यादा हो सकते हैं।

श्री राजनारायण---मैं चाहता हूं कि यह अधिकार दीजिए उनको।

श्री मोहनलाल गौतम---लेकिन इस तरह करना, और खास कर नाम लेकर करना मैं समझता हूं कि यह इस सदन की शान के खिलाफ है, किसी भी कर्मचारी का जो यहां जवाब नहीं दे सकता. . . . (व्यवधान) डाक्टर मुकर्जी का नाम लिया और रामसूरत सिंह का नाम लिया गया और कहा गया कि वह कुछ जानते नहीं। सारी जिन्दगी उन्होंने खर्च की है इसी पर। काबिल लोग हैं और अभी हमको बहुत दिनों तक पढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि अफसरों का नाम यहां ले लेकर इस तरह की बात करने की यह सदन की प्रथान बनाई जाय। और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें मदद करें कि इस तरह से नाम ले कर यह न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय राजनारायण जी ने उनका नाम लिया था उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की

[×] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया।

[श्री उपाध्यक्ष]

थी। अगर वह यह कहते कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या गबन किया है तो मैं नाम नहीं लेने देता। मगर उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो डिस्क्वालिफिकेशन होते हुये भी किसी राजकर्मचारी को नियुक्त किया जाय तो इस सदन का यह अधिकार है कि वह प्वाइंट आउट करे।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इसमें माननीय राजनारायण जी को दावत देता हूं कि डाक्टर मुकर्जी की अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके बारे में वह किसी भी जगह पर यह बतायें और जिसको वह कहें मैं उसी को पंच मानने के लिये तैयार हूं, और उससे पता चल जायगा कि उनमें योग्यता है या नहीं। वह एक बहुत काबिल अफसर हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह तरीका सदन के लिए शोभा की बात नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उनका क्या तरीका ठीक है कि वह. . .

श्री मोहनलाल गौतम---मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि वह काबिल हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---हां, वह यह जवाब दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---वह निस्सहाय हैं, उनको अधिकार नहीं है बोलने का। यह मेरी जिम्मेदारी है जब तक मैं मिनिस्टर हूं कि मैं उनका यहां संरक्षण करूं (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय उग्रसेन जी से बार-बार निवेदन किया है कि वह बार-बार टोकें नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम---जिस वक्त तक मैं मिनिस्टर हूं उस वक्त तक मेरा अधिकार है कि मैं उनकी रक्षा करूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। मैं आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सदन के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि किसी कर्मचारी की योग्यता या अयोग्यता की बात वह कहे? क्या मैं यह व्यवस्था आप से मांग सकता हूं कि दुनिया के किसी सदन के सदस्य को क्या यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी कर्मचारी की योग्यता या अयोग्यता के बारे में वह कोई बात कह सके?

श्री उपाध्यक्ष---योग्यता और अयोग्यता के बारे में कह सकता है और माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात सुनी भी है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न उठाकर किसी के भाषण में बाधा न डालें।

श्री मोहनलाल गौतम---उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी तरफ आता हूं और वह यह है कि किसानों को खेती के लिये सुविधाओं की बहुत सी बातें कही गईं। इसमें एक निवेदन तो मैं यह कर दूं कि यह मेरा इरादा है और जल्द ही इसका फैसला भी हो रहा है कि जितना भी बीज खरीदने और बेंचने का काम है वह सब कोआपरेटिव्ज को दे दिया जाय। जहां तक खाद का सम्बन्ध है वह सब कोआपरेटिव्स को पहले ही दे दिया जा चुका है। इसलिए बीज और खाद के बढ़ाने के जो प्रश्न उपस्थित होंगे, या रुपये पैसे की जो जरूरत होगी किसानों को जो सुविधायें पहुंचाने की बात है, कल कोआपरेटिव के बजट पर बहस करते हुए वह बातें सब साफ कर दी जायेंगी। इसलिए उस में वह सब बातें आ जायेंगी।

किस तरह से किसानों को कर्जा देने लायक बनाया जाय, किस तरह से गरीबों को भी बीज दिया जाय, किस तरह से उनको खाद दी जाय, यह सब चीजें हैं जिन पर विचार करना है और मैं उनसे सहमत हूं। इस दफा हमने यह किया था कि जो खाद के लिये तकावी दी गई थी उसमें यह तय था कि ४० रुपये से ज्यादा किसी को तकावी न दी जाय जिससे ढाई मन से अधिक खाद किसी को तकावी से नहीं मिल सकती थी। इससे ज्यादा जिसको खरीदना हो वह अपने आप खरीदे। इसमें १८० लाख रुपया तकावी पर दिया गया खरीफ और रबी में खाद के लिए। ४० रुपये के हिसाब से वह करीब साढ़े ३-४ लाख आदमियों को तकावी मिली इस सूबे में। इसलिए गरीबों तक सहायता पहुंचाने के लिए हम इच्छुक हैं, चिन्तित हैं और पहुंचाना चाहते हैं। उसमें और कोई सुझाव हों तो मैं उनको खुशी से लूंगा और अमल करूंगा।

जहां तक बीज बांटने का सम्बन्ध है उसमें मुझे खुशी है कि बलिया वालों की जो बात थी वह बहुत पुरानी हो गई। वह कई वर्ष पहले की है। कम से कम मेरी उम्र के पहले की है। उसमें सिर्फ बस्ती की एक मिसाल दी गई। उसमें मैं मानता हूं और मैं स्वयं बस्ती गया और वहां पर ३ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर्स को सस्पेन्ड किया। इन्क्वायरी की और सजा भी देने का इरादा है। मुझे खुशी है कि इस सदन के माननीय सदस्य सब मिल कर कहीं की दूसरी मिसाल नहीं दे सके कि वहां का बीज खराब था। वह नहीं दे पाये.....

कई सदस्य—हमने बतलाया कि बीज खराब था। नौतनवां में बीज खराब दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष के कई सदस्यों का एक साथ इस प्रकार से मिल कर बीच-बीच में व्यवधान करना अशोभनीय है। ५, ७ सदस्यों का इस प्रकार से एक साथ बोलना मैं समझता हूं, सदन की इज्जत बढ़ाने में सहायक नहीं होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह तो अपने-अपने दिमाग के फर्क की बात है।

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें श्री राजनारायण जी के दिमाग का फर्क है। जिस तरह से वह स्थूल हैं उसी तरह से स्थूल दिमाग से बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी इन बातों में दिलचस्पी न लें।

श्री मोहनलाल गौतम—एक सवाल बीज का उठा था कि सवाई पर आज भी बीज हम देते हैं। यह प्रश्न कल भी उठाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था कि बीज का वितरण कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जायगा। कोआपरेटिव सोसाइटीज सरकार की नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटीज किसानों की अपनी संस्था हैं। इसलिये आगे से जो बीज का वितरण होगा वह कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत होगा। तो जो सवाई बीज लिया जायगा वह सरकार नहीं लेगी, वह कोआपरेटिव सोसाइटीज लेंगी। मैं यहां तक कहूंगा कि जितना बीज है अगर वह कोआपरेटिव सोसाइटीज को वापस कर दें और उसके बाद वह घटाना चाहें तो इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन देखने में यह आया है कि बीज का दाम बहुत ज्यादा था। हमने दो तरह से बीज को बांटा। जो हमारे बीज भंडारों में था उसको सवाई पर और जो पंजाब से लाकर दिया, जो अच्छा बीज था उसको हमारी तकावी पर देने की इच्छा थी लेकिन लोगों ने चाहा कि वह इस तरह से नकद पर नहीं बल्कि सवाई पर मिले। इस ढंग का हिसाब गलत है कि साल भर में उनसे ५० फीसदी अधिक लिया जाय। यह गलत हिसाब है। इसलिये जब बीज दिया जाता है, उसको जब लिया जाता है तो वह लेने के

[श्री मोहनलाल गौतम]

समय के भाव पर ही लिया जाता है तो इसलिए यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर अगर कोआपरेटिव्ज चाहें तो अपना फैसला खुद करें क्योंकि बीज उनका होगा। दो शर्तें हैं, एक तो यह कि जो बीज उनको दिया जाय उस की सारी रकम वापस हो जाय और दूसरे यह कि वह क्वालिटी मेन्टेन करें। अगर वह सवाई पर नहीं, ५ या २ परसेंट पर बांटना चाहते हैं तो हिसाब कर के देखें और मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि कोई एक आध बीज भंडार का इंतजाम करें और जिस तरह से उसे चाहें चलायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत सी बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये संक्षेप में निवेदन करूंगा। एक बड़ा प्रश्न यह उठाया गया और सही है कि किसान को उस वक्त तक ज्यादा पैदा करने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि उसको सही-सही दाम न मिलें और यह बहुत बड़ा प्रश्न है, सही प्रश्न है और इस पर अच्छी तरह से विचार हो रहा है। इस तरफ ध्यान जा रहा है कि यह करना चाहिये। यह बात मिनिस्टर्स कांफरेंस में हुई थी, उसमें भी यह सवाल आया था और इसलिये मैं कह सकता हूं कि प्राइस फिक्सेशन का सवाल ऐसा है कि जो होना चाहिये। उस के बिना किसान को यह पता नहीं होगा कि वह क्या बो रहा है और जब फसल आयेगी तो उस की क्या हालत होगी, उसको घाटा होगा या मुनाफा ? तो यह सवाल सामने है।

नागपुर रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया था। मैं यही कह सकता हूं कि हम कांग्रेसी मिनिस्टर्स के लिये नागपुर के प्रस्ताव बाइंडिंग हैं। उन पर हमें अमल करना जरूरी है और जो सरकारी मंत्री हैं वे सरकार की हैसियत से और जो सरकार में नहीं हैं वे गैरसरकारी हैसियत से उस पर अमल करें ताकि वह प्रस्ताव कार्य रूप में परिणत हो सकें।

एक प्रश्न बहुत बड़ा था और उस पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है। वह था रिसर्च और उसके एक्सटेंशन के बारे में। रिसर्च जितनी हमारे प्रदेश में हो रही है उससे ज्यादा हो यह मैं चाहता हूं क्योंकि उससे हमारी उन्नति होगी। और रिसर्च के जितने नतीजे खेत तक पहुंचाये जा रहे हैं उस से ज्यादा पहुंचाये जायं यह भी मेरी इच्छा है और इसमें जो कुछ सुझाव हैं उनको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि रिसर्च भी बढ़े और रिसर्च के नतीजे किसानों तक ज्यादा पहुंचें। उसी का यह एक हिस्सा है कि जो औजार किसान इस्तेमाल करते हैं वह ठीक नहीं हैं। इस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया। किस तरह के अच्छे औजार हों, इंप्रूव्ड इंप्लीमेंट्स किस तरह के हों और कैसे उनका प्रचार हो यह एक बड़ा सवाल है। इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिये यह एक मांग है कि कुछ इंजीनियर्स वहां रखे जायं ताकि वे देखें कि वहां जो इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सुधार कैसे हो। प्रदेश इतना बड़ा है और भूमि की हालत इतनी भिन्न भिन्न है कि एक जगह से इस तरह की जानकारी हासिल करना ठीक नहीं है, काफी नहीं है। इसलिए कई जगह वह आदमी रखे जाने चाहिये। पहाड़ का इलाका है, झांसी का हिस्सा है, पूर्व है, पश्चिम है, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि इम्प्लीमेंट्स सही तौर से हो सकें और उसके बाद उनको बनाया जायगा और उनका प्रचार हो सकेगा। इसलिये जो नवल किशोर जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था, मेरा खयाल है कि वे यह मानेंगे कि इस तरह की खोज करना और इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स का प्रचार करना बहुत आवश्यक है और उसके लिये अगर थोड़ा बहुत खर्च किया जाय तो नामुनासिब नहीं है।

स्टाफ बढ़ता जा रहा है, यह एक बात कही गई। यह सवाल है देखने का कि जितनी जिम्मेदारी ओढ़ी जाती है, जितनी मांग इस सदन ने कृषि विभाग से की है, जिस तरह से कोशिश है कि सब काम कामयाबी से हों, बीज ठीक वक्त से दें, एक महीना पहले पहुंच जाय, खाद ठीक वक्त से दें, रुपया ठीक ठीक मिल जाय, एक तरफ तो यह मांग है और इसमें जो कोताही हो उसकी आलोचना की जाय जोकि मुनासिब है लेकिन जितना काम इस विभाग के

जिम्मे किया जाता है उसके हिसाब से देखा जाय तो मैं कहूंगा कि आफिसर ज्यादा नहीं हैं। आजकल एक दिक्कत यह भी है कि यह मुहकमा ऐसा है कि सब से अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वे दूसरे मुहकमों में जाना पसन्द करते हैं इसलिये कि वहां उनकी ज्यादा उन्नति हो सकती है —उसी काबिलियत का एक आदमी जो कृषि विभाग में आयेगा और किसी दूसरे विभाग में जायेगा तो दूसरे मुहकमे वाले कर्मचारी की ज्यादा प्रगति हो जायेगी बनिस्बत कृषि विभाग के —इसलिये कृषि विभाग को बाद में लोग पसन्द करते हैं, यह भी हमारी एक दिक्कत है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विभाग में जितना काम उनके जिम्मे है और अगर वे अच्छी तरह से काम करें तो उनकी संख्या अधिक नहीं है।

डिप्टी डायरेक्टर्स का जिक्र किया गया। मैं आप से यह कहूं कि यह जो खरीफ और रबी का अभियान हुआ जिसकी सफलता मैं मानता हूं कि हुई और दूसरे लोग भी मानते हैं, उसका आधार कमिश्नरी है और उसके डिप्टी डायरेक्टर्स ने यह काम किया..

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, एक क्लैरिफ़िकेशन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं देता, आप बैठ जायं।

श्री मोहनलाल गौतम—तो डिप्टी डायरेक्टर्स पर इस अभियान की जिम्मेदारी आई और जहां जहां अच्छी तरह से काम हुआ है वहां पर अच्छा नतीजा भी हुआ। यह कड़ी एक जरूरी कड़ी मालूम होती है और इस कड़ी को निकालकर काम को अच्छी तरह से चलाना मुश्किल हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपके २ मिनट और हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—यह कुछ बातें तो मैंने आपके सामने कह दीं, लेकिन बहुत सी बातों का जिनका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं उसके माने यह नहीं है कि उनको मैं ने छोड़ दिया। एक माननीय सदस्य ने मेकनाइज्ड स्टेट फार्म की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ा सा पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा दूं कि ये मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स उस वक्त बने व जब अधिक अन्न उपजाओ के तहत में हर तरफ की जमीन, जहां जहां हो सकती थी उसको ले लिया गया था, जिसको हमवार और खेती योग्य बनाने में बड़ा खर्चा हुआ था। उसके साथ ही इस में और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे झांसी के पास एक फार्म है जिसमें यह तजुर्बा हो रहा है कि जानवरों पर चावल के भूसे और गेहूं के भूसे का क्या असर पड़ता है और उसके लिये वहां पर ५०, ६० अच्छे जानवर, गाय और बैल रखे गये हैं....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, चावल का भूसा क्या होता है, इसको भी मंत्री जी साफ कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम—तो वहां पर ६०–६५ गाय बैल रखे जाते ह, उनसे कोई काम भी नहीं लिया जाता है। न वे दूध देते हैं और न उनसे कोई आमदनी होती है। थोड़े दिन बाद एक तरह के जानवर जो किसी खास तरह का चारा खायेंगे वे मर भी जायेंगे और दूसरी तरह के जानवर ठीक रहेंगे। इसी तरह का तजुर्बा जानवरों की नस्लों के ऊपर भी हो रहा है। उन पर भी खर्चा तो होता है लेकिन उनसे कोई आमदनी नहीं होती। इसी तरह से मेकैनाइज्ड फार्म्स पर एक्सपेरीमेंट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं यह देख रहा हूं कि जो घाटा हो रहा है वह किस प्रकार से कम किया जाय और जो आमदनी है वह किस प्रकार से बढ़ाई जाय। इसके लिये मैंने एक कमेटी भी बनायी है जिसमें एनीमल हस्बैन्ड्री के डायरेक्टर, डायरेक्टर

[श्री मोहनलाल गौतम]

आफ एग्रीकल्चर और डिफ्टी डायरेक्टर स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं। वे सब इस चीज को देखेंगे।

अन्त में मैं माननीय सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि जितने कटौती के प्रस्ताव हैं वे उनको वापस ले लें और मेरी जो मांगें हैं उनको सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाय।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने केवल इतना ही कहा था कि श्री मुखर्जी कैमिस्ट हैं और उन्होंने कैमिस्ट्री में डाक्टरेट पायी है। श्री रामसूरत सिंह उद्यान विज्ञान के डाक्टर हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो समा बांधा उससे यह प्रतीत हुआ मानो हमने रामसूरत जी या दूसरे आफिसरों को यह कह दिया कि वे भ्रष्ट हैं। यह उन्हीं का कहना हो सकता है। मैं यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि मैं निजी तौर पर राम सूरत सिंह जी को जानता हूं और उनके लिये यह समझता हूं कि वे माननीय मंत्री जी से ज्यादा अच्छे हैं और उनमें भ्रष्टता नहीं है बल्कि मंत्री जी स्वयं में हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट कहने के लिये मैं आब्जेक्शन करता हूं। उनके पास इसका क्या सबूत है?

श्री राजनारायण—यदि उनको इससे कष्ट हुआ हो तो मुझे उसका खेद है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि अगर आपको उनसे कष्ट हुआ है तो उनको खेद है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा, जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

कृषि गवेषणा की असफलता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा, जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

उपकरण, गवेषणा स्टेशन (इम्पलीमेंट रिसर्च स्टेशन), नीलगांव के अस्थायी पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की अनावश्यकता पर विचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशेष विषय, जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—

बीज वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था से असहमति।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में ६०,
विपक्ष में १३५।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १ रुपया की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशेष विषय, जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—

अन्नोत्पादन का घटना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १,००,००० रुपये की कमी कर दी जाय ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—श्रीमन् मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री राजनारायण—मुझे एतराज है । उनको वापस लेने की अनुमति न दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रस्ताव वापस लिया जाय 'सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १,००,००० रुपये की कमी कर दी जाय' ।

कमी करने का उद्देश्य—विशेष विषय, जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—

निर्माण योजना के अन्तर्गत उपकरणों के क्षेत्र-परीक्षण संगठन अलग से बनाने के औचित्य पर विचार ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—१६०,
विपक्ष में—२४ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब नियमानुसार अनुदान संख्या २३ व ४७ पर दूसरे दिन मत लिया जायगा ।

कानपुर में विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी का कामरोको प्रस्ताव जो इस प्रकार है उस पर वादविवाद होगा:—

"हम विधान सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर, अर्थात् कानपुर नगर में १ मार्च, १९५९, को अकारण पुलिस द्वारा लाठी प्रहार, अश्रुगैस का प्रयोग तथा डी०ए०वी० कालेज के छात्रावास में घुस कर निरपराध विद्यार्थियों को पीटन तथा उनका सामान लूटने, पर विचार करने के लिये सदन के काय के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहत हैं और आशा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय इसकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना ह कि इन अनुदानों पर आज ही मत ले लिया जाय सदन की राय लेने के बाद ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निर्णय दे दिया । नियमों में व्यवस्था है कि एप्रोप्रियेशन बिल बिना पास किये हुये बजट में से खर्च भी नहीं किया जा सकता । ऐसी सूरत में इस समय आप इस प्रश्न को न उठायें ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो अनुदान हैं इन अनुदानों पर आज ही वोट ले लिया जाय तो अच्छा होगा। २,३ मिनट में ये समाप्त हो जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—इसमें अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये आज नहीं लिये जायंगे। मैं समझता हूं कि अभी दी हुई व्यवस्था को बदलवाने की बात माननीय सदस्य को नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसमें उपाध्यक्ष जो व्यवस्था दे गये हैं कि अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जायगा वही लागू होगा। बस दो रास्ते इसके हैं। मैं पहले कह चुका था कि आज ४ बजे तक इसको समाप्त होना चाहिये और चूंकि ये समाप्त नहीं हुए किसी कारणवश तो ४ बजे के उपरान्त इनको स्थगित करना ही होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर आज ही राय लेना हो तो २ घंटे के बाद ५ मिनट और हम बैठ सकते हैं और उस वक्त मैं समय बढ़ा सकता हूं और इस पर राय ली जा सकती है। लेकिन इस वक्त इनके ऊपर विचार नहीं होगा। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के समाप्त होने पर आज ही शाम को इन पर राय लेना है या दूसरे रोज के लिये स्थगित करना है, निर्णय किया जा सकता है और दोनों में से कोई चीज हो सकती है। आज ही इसको समाप्त होना चाहिये, उपाध्यक्ष जी को यह मालूम नहीं था। तो इसलिये उन्होंने कल के लिये कह दिया, अब वह चीज शाम को २ घंटे बाद हो सकती है। अभी जो माननीय उपाध्यक्ष ने ४ बजे निर्णय किया कि अनुदान पर विचार समाप्त होना चाहिये वह समाप्त होना वाजिब था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ५ मिनट का समय इन बातों में चला गया तो वह ५ मिनट बढ़ाये जायं इस विवाद में।

श्री अध्यक्ष—जी हां, मैंने कहा है २ घंटा बहस होगी। तो जिस समय से विवाद शुरू होगा तब से २ घंटा माना जायगा और विवाद चलेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का और मान्यवर, आपका अनुग्रहीत हूं कि मुझे यह आज्ञा दी कि सदन के कार्य स्थगन का प्रस्ताव उपस्थित करूं। यह सभी को मालूम है कि पहली मार्च को कानपुर नगर में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे सारे प्रदेश में नाराजगी हुई और रंज भी हुआ ....

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रस्ताव तो उपस्थित कर दें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मैंने तो कह दिया कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा आपने दी है। और जब मैं भाषण समाप्त करूंगा तो कहूंगा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का कार्य स्थगित किया जाय।

यह बात निर्विवाद है मान्यवर, कि पुलिस में और कानपुर नगर के कुछ लोगों में झगड़ा हुआ। यह भी बात निर्विवाद है कि इस झगड़े में पुलिस ने लाठी से लोगों को पीटा, यह भी निर्विवाद है कि इस सिलसिले में पुलिस ने मान्यवर, टीयर गैस का इस्तेमाल किया। यह बात भी निर्विवाद है कि पुलिस के ऊपर कुछ लोगों ने ढेले फेंके। यह तीन बातें सर्वमान्य हैं, इनका किसी ने इस समय तक खंडन नहीं किया। केवल एक बात का मान्यवर, खंडन किया गया कि डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास में पुलिस ने प्रवेश नहीं किया और जब प्रवेश नहीं किया तो उसके बाद की जो घटनायें पुलिस के सिलसिले में कही जाती हैं वे जाहिर हैं कि निर्मूल हैं।

मैं बड़े दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की दशा दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। पुलिस का और जनता का झगड़ा प्रजातंत्र में एक शर्म की बात

है। लेकिन कौन इन्कार कर सकता है कि इसी वर्ष के बीच में लखनऊ में ऐसा झगड़ा हुआ, बरेली में झगड़ा हुआ, बनारस में झगड़ा हुआ, चोरों से, बदमाशों से नहीं। सरदार नगर में भी हुआ मेरे एक माननीय मित्र याद दिला रहे हैं। आम जनता, दिन दहाड़े, रात का वक्त नहीं, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठा हों, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मास ऐक्शन होता है, जब सामूहिक तौर पर किसी भी शक्ति का विरोध किया जाता है तो साधारण कानून, कि लाठी और डंडे से जिसको चाहा पीट दिया, नहीं लागू होता, यह महात्मा ने हमको सिखाया है। यह वाकया कब हुआ ? ५ बजे शाम को। चिराग भी नहीं जले थे, अंधियारा भी नहीं हुआ था, दिन दहाड़े पुलिस का इस तरह से किसी मजमे के ऊपर हमला करने की आवश्यकता, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कम्युनिके निकला, उससे मुझको तस्कीन और तसल्ली नहीं हुई है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, यह बात भी निर्विवाद है कि जनवरी से अप्रैल मास के बीच में जब इम्तहान का वक्त है, लड़के सामूहिक रूप से झगड़े और फसाद के चक्कर में नहीं रहते। यह झगड़ा मार्च में हुआ। १० दिन बाद इंटरमीडियेट के इम्तहान शुरू होने वाले हैं, उसी के १०, ५ दिन आगे पीछे बी०ए० और एम०ए० की परीक्षा होने वाली है। कोई भी नहीं मिलेगा कि जो मेरी इस बात को काटे कि इस समय में विद्यार्थी कहीं बड़ा मजमा करके कोई मुजाहिरा करेंगे या कोई उपद्रव करेंगे जिसमें किसी प्रकार के ऐसे झंझट की नौबत आये। लेकिन यह झगड़ा मान्यवार १ मार्च को होता है। कहा जाता है कि पुलिस में और विद्यार्थियों में झगड़ा हुआ। यह भी कहा जाता है कि विद्यार्थियों ने उस जगह पर घुसने की कोशिश की जहां लड़कियों के दो दस्तों में हाकी का मैच हो रहा था। तस्लीम किया।

मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के सदस्यों के पास उस स्थान का नक्शा खींचना चाहता हूं। ग्रीन पार्क एक बहुत बड़ा मैदान है। हजारों लाखों आदमी उसमें आ सकते हैं। उसके दक्षिण जानिब ४०-५० फीट की सड़क के बाद दी डी०ए०वी० कालेज की इमारत है। उसके पूर्व जानिब एन०सी०सी० का केंद्रीय दफ्तर है। उस एन०सी०सी० के हेडक्वार्टर के बाद ७०-८० फीट की सड़क की चौड़ाई के बाद डी०ए०वी० कालेज का छात्रावास है। १ मार्च को मान्यवर छुट्टी थी। डी०ए० वी० कालेज बन्द था। यह नहीं कहा जा सकता है डी०ए०वी० कालेज में लड़कों का मजमा इस कारण था, गेट क्रैश कहां हुआ ? दक्खिन जानिब, पूर्व जानिब नहीं हुआ जिधर डी०ए०वी० कालेज का होस्टल है। दो बड़े बड़े दरवाजे हैं और कई छोटे छोटे दरवाजे हैं दक्षिण ओर। मैं खुद मौके पर गया था कल। मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई ? जाहिर है कि मुफलिस देश है और ऐसे स्थान पर कि जहां लड़कियां अर्द्धनग्न शरीर में कुछ तमाशा या खेल कर रही हैं, वहां लोगों की जाने की रुचि होती है। कुछ जो पैसे वाले थे, अन्दर चले गये। गरीब बाहर खड़े थे। एक शख्स ने जाकर छोटा सा दरवाजा खोल दिया और उस छोटे से दरवाजे से-कई छोटे छोटे दरवाजे हैं, कुछ भीड़ घुसी। उसे पीछे ढकेला गया। उसमें लाठी चली, कुछ मामूली चोट आई। वह ढकेल दिये गये, फिर घुसे, फिर ढकेल दिये गये। मामला तब ठंडा हो गया। उसके बाद कोई वाकया वहां नहीं होता है।

मान्यवर, सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में खास तौर से यह अर्ज करना चाहता हूं कि गौर करें कि यह वाकया हुआ कहां ? एक वी०आई० पीज का गेट है। जब से कुम्भ का कांड हुआ है वी०आई०पी० शब्द चालू हो गये हैं। इनके लिये जगह अलग, इनके लिये दरवाजे अलग, इनके लिये पुल अलग, इनके लिये नाव अलग, इनके लिये रेल अलग। ऐसे वी०आई०पीज का दरवाजा बदकिस्मती से पूर्व की तरफ है। जब कभी बड़े बड़े लोग जिधर से निकलते हैं और खेलने वाले लोग निकलते हैं-चाहे क्रिकेट के खेलने वाले लोग हैं, चाहे कुश्ती के, दंगल के, पहलवान या हाकी के मैच वाले हों वे सब उसी दरवाजे से निकलते हैं, क्योंकि उनकी हैसियत भी उस दिन मेहमान की होती है। वहां पर उन खिलाड़ियों को देखने के लिये हजार पांच सौ आदमियों का जमा हो जाना कोई अनुचित बात नहीं है और न ऐसी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

है कि जिसका गुमान न हो। कुछ लोग इकट्ठे थे, चार सौ, पांच सौ या छः सौ आदमी। पुलिस वाले वहां से निकले और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया।

एक सदस्य—क्यों ?

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं अर्ज करता हूं कि दिमाग खराब था, डंडे लिये हुये थे। कोई कारण है कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में अश्रु गैस लेकर पुलिस गई थी ? क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कप्तान कह सकते हैं कि जब उपद्रव हुआ तब गैस के गोले मंगाये गये ? पहले से कई सौ की तादाद में पुलिस का इकट्ठा हो जाना ! मैंने भी बहुत से मैच देखे हैं। कोई यह नया नहीं हुआ था। लड़कियों के मैच भी देखे। लखनऊ में, देहली में, कलकत्ते में और मोहन बागान का मैच देखा है। लेकिन सैकड़ों की तादाद में पुलिस का होना और टीयर गैस से सुसज्जित होना, इस बाब का सबूत है कि पुलिस इस मद में चूर थी कि उस दिन किसी की भी अंगुली उठी, चकनाचूर कर देंगे, सिर तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। और मान्यवर उन्होंने यही किया। होता यह है कि डी० ए० वी० कालेज के होस्टल का फाटक बन्द था, प्रोफेसर निगम वहां पर मौजूद थे, कहा गया कि फाटक खोल दो उनके इंकार करने पर फाटक का ताला तोड़ा गया और पुलिस वाले घुसे, लड़कों के ऊपर प्रहार हुये, प्रोफेसर निगम के भी चोट आई, किसी को धक्का लगा, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के सर पर चोट आई। पुलिस ने हर तरह की ज्यादती की, लेकिन कमाल है कसूर बताया जाता है लड़कों का।

मुझे याद है और ताजीरात हिन्द को जहां तक समझता हूं उस में लिखा हुआ है कि इस देश के रहने वालों के मकान देश के किले हैं और जो भी उन पर हमला करेगा वह दोषी होगा। लड़कों को भगा भगा कर और घुस घुस कर पुलिस वाले मारते हैं, और उन्हें चिल्लाता और बिलबिलाता जख्मी छोड़ दिया जाता है, कोई प्रबन्ध उन को अस्पताल पहुंचाने का नहीं किया गया। ताला तोड़कर पुलिस घुसी और इस प्रकार लड़कों के साथ होस्टल के अन्दर व्यवहार किया गया। दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारा गया है। एक बुड्ढे प्रोफेसर हैं जिनकी अवस्था ५०–५५ साल की है, क्या उन्होंने मुझे झूठ बताया ? वहां पर टीयर गैस का प्रयोग किया गया और संभवतः ४० बाम्ब्स छोड़े गये और इस लापरवाही से फेंके गये कि बुरी तरह से लोगों पर उन का असर हुआ। सदन के नियम के खिलाफ है किसी प्रकार की ऐसी चीज को यहां लाना, लेकिन मैं दिखाने के लिये यह ले आया हूं, मेरे पास यह लाइव टीयरगैस बाम्ब है कि जिस को अगर किसी तरह से तोड़ दिया जाय तो मुसीबत आ जाय।

शर्म की बात है कि इतनी ज्यादती के बाद भी जख्मी हताहतों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया ! बाद में ७ आदमी उसी रात को अस्पताल पहुंचाये गये। लेकिन बाद में पुलिस के सिपाही मरीजों के पास अस्पताल में तैनात कर दिये गये। मैंने जब पुलिस के सिपाहियों से पूछा कि मरीज के पलंग के पास क्यों खड़े हो तो जवाब दिया कि हुक्म है। मैंने कहा कि किसी के पास बात करने जायं तो रोकोगे तो नहीं, कहने लगे नहीं। कोतवाल साहब को फोन किया, उन्होंने कहा क्या मालूम। उस के बाद जिलाधीश महोदय को फोन किया, उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि मरीजों के आसपास पुलिस पोस्टेड है। हद है कि जहां कोई मरीज कराह रहा है, किसी का हाथ टूटा है किसी के पैर में चोट है, किसी के सिर में चोट है किसी के दिमाग में चोट है और चारों तरफ एक दर्दनाक नज्जारा है, वहां अस्पताल में टोपीदार पुलिस के सिपाही मरीजों के आसपास खड़े हों। यह दृश्य पुलिस का कहीं नहीं देखा गया। उस टोपी में सिपाही खड़े हुये थे जिस को पहन कर चाहे कितना ही खूबसूरत आदमी क्यों न हो, यदि माननीय गृहमंत्री जैसे व्यक्ति को ही वह पहना दी जाय तो एक बार बिना मुंह मोड़े कोई नहीं रह सकता।

मुझे दुख है कि ऐसी घटनायें घटती हैं, नौजवानों के साथ यह व्यवहार पुलिस का होता है। जो घटनायें घटी हैं और जो सूचनायें मैंने हांसिल की हैं, और जो मुझे बताया गया है, उन

सब की एक तफसील से रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा। २९ विद्यार्थी और ३ प्रोफेसर जो होस्टल में थे जख्मी हुये हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का कार्य आज स्थगित किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैंने आदरणीय भाई त्रिलोकी सिंह जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। इस के पहले भी ऐसे ही अवसर पर मैंने उन के भाषण को सुना था और उस समय भी मैं अपने अन्तर से प्रेरित हुआ था कि उन के भाषण के बाद मैं अपने विचार सदन में व्यक्त करूं। मान्यवर, मैं....

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आप खुद देख कर आये हैं क्या ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैंने जानकारी प्राप्त की है, स्वयं तो नहीं देखा है जाकर के।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, फिर यदि आप बाद में भाषण रखें तो अच्छा होगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—अच्छी बात है, मैं बाद को अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि एक आदमी जब भी खड़ा हो वह बोल सकता है तो शुक्ल जी को बाद में बोलने के लिये क्यों कहा गया है, यह व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि एक काम रोको प्रस्ताव विरोधी दलों की तरफ से आया है। तो एक पक्ष की बात उन्होंने रख दी—नेता विरोधी दल ने। अब दूसरे किसी को बोलना है, तो कुछ जाती ज्ञान के ऊपर जिसने स्वयं देखा हुआ हो उसके भरोसे कुछ सदस्य बोलें तो उचित होगा, नहीं तो उनके भाषण के ऊपर टीका करना कि उन्होंने फलां बात कही, वह गलत बयानी की है, ये बातें बाद में कही जा सकती हैं। अभी तो जिन लोगों ने स्वयं घटना देखी है या कानपुर जाकर तहकीकात की है वह अगर इस तरफ से बोलें तो ज्यादा अच्छा है और उधर से भी मैं चाहता हूं कि पहले वह लोग बोलें जिन्होंने तहकीकात खास तौर से की हो, उसके बाद वह भाषण दें जिनकी जानकारी उनके पास आए हुये लोगों द्वारा हुई हो।

***श्री राजनारायण**—श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.....

श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री राजनारायण मौके पर गये थे ? अगर नहीं गये तो उनको बोलने का क्या अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—इसलिये अधिकार है कि विरोधी दल वालों की ओर से काम रोको प्रस्ताव है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह बड़ी अच्छी बात है कि कुछ सम्मानित सदस्य बीच में खड़े हो रहे हैं तो इससे रोशनी ही मिलती है, लेकिन उतना आप समय दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—वह मैं देख रहा हूं, आप भाषण जारी रखिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय त्रिलोकी सिंह द्वारा प्रस्तुत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की तहेदिल से ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, कल भी जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया था और आज भी किया गया उसके सम्बन्ध में मैं अपनी निजी जानकारी की बुनियाद पर कह रहा हूं और यह बताना चाहता हूं कि गलती से जो पुलिस वाले उस हाते में टीयर गैस के खोलियें छोड़ गये थे...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---लाइव वाले गोले तो नहीं हैं ?

श्री राजनारायण---वह यह नहीं हैं, फूटे हुए हैं। यह दरवाजे का डंडा है जो टूटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---तो कृपा करके आप ये चीजें यहां मत लाइये।

श्री राजनारायण---मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि माननीय सदस्य...

श्री दीनदयालु शर्मा---अध्यक्ष महोदय, हाउस में डंडा जो आया है यह आपकी इजाजत से आया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी-बड़ी चीजें यहां पर प्रदर्शन के लिए लाना उचित नहीं हैं। एक आध चीज ले आते तो ठीक था, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी चीजें लाना ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन् इसमें भी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---कृपा करके बार बार ऐसी बातें न की जायं, इस तरह से काम नहीं होगा। बोलने दीजिये, फिर जवाब दीजिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार की पुलिस ने किस ढंग की जालिमाना हरकत की है, केवल उसके प्रदर्शन के लिए इन सामग्रियों को लाया हूं। यह अगर इससे भी बड़ा होता (दरवाजे का लोहे का टुकड़ा दिखाकर) तो भी उसका प्रयोग यहां न करता। मैं उसी बर्बरता का अनुकरण नहीं करना चाहता हूं जिसका अनुकरण आज यह सरकार कर रही है। मैं, श्रीमन्, घटना के सम्बन्ध में आपको बताऊं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो यह बात कही कि पुलिस पहले से तैयार होकर गयी थी यह बिलकुल सही बात है। यदि उसकी पृष्ठभूमि में आप जायंगे तो आप देखेंगे कि २८ तारीख की जो घटना हुई थी, जिसके बारे में कल एक डिप्टी मिनिस्टर साहब फरमा चुके हैं उसका बदला लेने को भावना वहां की पुलिस में कूट-कूट कर भरी थी और इसी वजह से पुलिस बिलकुल तैयार होकर गयी थी और इस बात पर आरूढ़ होकर गयी थी कि विद्यार्थियों का सिर फोड़ेंगे, उनके कमरों में जायंगे, उनके हातों में घुसेंगे। यदि आप स्वतः जाकर इसकी जानकारी करें तो यही बात आपकी जानकारी में आयेगी। कल सरकार की ओर से यहां पर जब यह बात कही गयी थी कि डी० ए० वी० कालेज के होस्टल में पुलिस नहीं गयी तो हमारे लिये लाजिमी हो गया कि हम इन सामग्रियों को यहां पर लायें और आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी करायें।

मैच था, ठीक है, अच्छी तरह से हो, लेकिन जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि १२ तारीख से इम्तहान है, लड़के अपने इम्तहान की तैयारी में लगे हुये हैं, वे कैसे इतनी बड़ी तादाद में मैच देखने जा सकते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि वहां पर विद्यार्थियों की तादाद नगण्य सी थी। हो सकता है कि शहर के कुछ लोग रह हों, पुलिस न रोका हो, कोई घटना घटी हो, मगर उसकी दूरी जो माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने बतायी उसका नक्शा मैं आपके सामने रखूं तो फर्लांग डेढ़ फर्लांग की दूरी ग्रीन पार्क से होस्टल की है। तो क्या इस सरकार की पुलिस के लिये यह बात शोभनीय है कि वहां पर तीन-तीन टीचर्स खड़े हों---होस्टल सुपरिन्टेंडेंट की यह रपट है जो वहां के थाने में दर्ज करायी गयी है, उसमें लिखा है कि,

"I am the Senior Superintendent of D. A. V. College Hostel."

और इस बात को अच्छी तरह से साबित किया है कि हम वहां पर खड़े थे और हमने सिटी कोतवाल और डी० वाई० एस० पी०, दोनों से कहा कि बिला इजाजत अन्दर न जाइये मगर जबर्दस्ती ताला तोड़ा गया और पुलिस ने प्रवेश किया। श्रीमन्, हमारे पास वे सामग्रियां भी मौजूद हैं..

श्री अध्यक्ष---आप वह चीजें बारबार यहां न दिखाइये ।

श्री राजनारायण---तो जो दर्दनाक स्थिति वहां पर पुलिस ने पैदा की उसी का थोड़ा सा चित्रण मैं आपकी और सदस्यों की सेवा में करना चाहता हूं। यह कौन सा जनतन्त्र है कि लड़के अपने कमरों में बैठे हुये पढ़ रहे हों, किसी को १०२ डिग्री बुखार हो और उस १०२ डिग्री बुखार में रहते हुये पुलिस उसके कमरे में जाय और डंडे का प्रहार करे ? हमारे राम-स्वरूप वर्मा जी कल १२ बजे तक अस्पताल में वहां रहे। डाक्टरों की राय है कि ६ महीने तक अगर यह विद्यार्थी भली प्रकार अपने शरीर की देखभाल करे तब जाकर कहीं पढ़ने लायक होगा। इससे बढ़ कर दर्दनाक स्थिति कोई हो सकती है ? यही आपकी स्वतंत्रता और जनतांत्रिक प्रणाली है जहां के नौजवानों की छाती पर पुलिस वाले चढ़ कर बैठें, उसे मारें पीटें और फिर छोड़ कर भाग जायं। उसके बाद जो विद्यार्थी वहां पर पकड़े गये उनकी भी पूरी लिस्ट मेरे पास है जो होस्टल के सुपरिन्टेंडेंट ने दी थी। मैं एक लाइन आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं---

"The list of persons injured as a result of beating."

यह २६ विद्यार्थियों की तालिका है। इसके अलावा जो विद्यार्थियों के सामान का नुकसान हुआ है उसकी भी पूरी तालिका सुपरिन्टेंडेंट की दी हुई यहां मौजूद है। जरा माननीय कमला-पति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के इन्चार्ज हैं इसको देखें। इसको हम गुन्डाशाही कहें, पुलिसशाही कहें, तानाशाही कहें या क्या कहें ? इसको हम क्या संज्ञा दें यदि आप कृपा करके हमें बता देंगे तो वही संज्ञा हम इसको दे देंगे।

मेरे पास सारी वस्तुओं की लिस्ट मौजूद है और मैं सब बताऊंगा। विद्यार्थियों की घड़ियां गायब हैं, कोट गायब हैं, पैंट गायब हैं और यहीं तक नहीं किसी के ६०, किसी के ७०, और किसी के ८० और किसी के १३० रुपये गायब हैं। ये सब चीजें आपकी पुलिस उठा ले गई है। क्या यह गुंडेशाही का नंगा नाच नहीं है ? क्या यह पुलिस का तांडव नृत्य नहीं है ? क्या यह तानाशाही का नंगा नाच नहीं है ? क्या यह बर्बरता का नंगा नाच नहीं है ? आज जो उनकी पुलिस कर रही है उसको देखते हुये यदि वे कहें कि आज हमारी जनता इस जनतंत्र की शीतल छाया में आनन्दविभोर हो रही है, यदि ऐसा ही है, तो वह उन्हीं को मुबारक हो ऐसे जनतंत्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिये तो यह बड़े शर्म की बात है और मैं चाहता हूं कि हम में वह ताकत आये, चाहे वह पूज्य बापू जी की प्रेरणा से मिले और चाहे हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से मिले। इस तानाशाही का नाश करने के लिये आज जनता के दिलों में क्रोध का तूफान उमड़ रहा है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे अपने दिमाग को साफ करें और हमें स्पष्ट रूप से बतलायें कि आखिर सरकार क्या चाहती है ? बारबैरिज्म मस्ट बी मेट विद बारबेरिज्म यानी बर्बरता का मुकाबला बर्बरता से ही कराना चाहते हैं। बात यह है हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू जी ने जो आदर्श शान्ति और अहिन्सा का हमें बताया है अगर उस शान्ति तथा अहिंसा के आदर्श को माननीय कमलापति जी कायम रखना चाहते हैं और अहिंसा के सिद्धान्त को चालू करना चाहते हैं तो आज वह समय आ गया है कि उन्हें आगे आना चाहिये और जनता के सामने ऐसी घटनाओं को लेकर आज अपना इस्तीफा पेश करना चाहिये और कहना चाहिये कि हमारे प्रदेश की पुलिस आज इतनी बर्बर और नालायक हो गई है कि जो हमारी भावी संतान विद्यार्थी हैं, जो कल हमारे राष्ट्र के कर्णधार होने वाले हैं, उनके ऊपर लाठियों की बौछार करने वाली है, तो हम ऐसी नालायक पुलिस का मुंह देखना नहीं चाहते हैं।

श्रीमन्, जो कमरे और खिड़कियां तथा दरवाजे नष्ट किये गये हैं उनकी लिस्ट भी मेरे पास है। श्रीमन्, वहां की १०-१२ खिड़कियां तोड़ी गई ह। इनको क्या हमने तोड़ा ? इनको क्या माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने तोड़ा ? इनको क्या विद्यार्थियों ने तोड़ा ? इनको

[श्री राजनारायण]

हमारे मंत्री जी माननीय कमलापति जी की लाड़ली पुलिस ने तोड़ा है। इस घटना के सम्बन्ध में, श्रीमन्, हमारी दो मांगें हैं। एक तो यह है कि हमारे मंत्री महोदय अपना रेजिगनेशन दें और दूसरी हमारी मांग यह है कि इस सम्बन्ध में एक जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये। जब हम जुडीशियल इंक्वायरी के लिये कहते हैं तो इस पर बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि जब इस सम्बन्ध में जुडीशियल इंक्वायरी होगी तो फिर उनके इस्तीफा देने की क्या जरूरत है?

श्रीमन्, मैं यहां पर आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों के सामने वह चित्र उपस्थित करना चाहता हूं जिसकी बुनियाद हमारे पूज्य बापू जी ने डाली है। वह यह है कि जब मानव स्त्रोत सूख रहा हो, जब इंसानियत का चिराग बुझ रहा हो, देश में हाहाकार मचा हुआ हो जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा अभी-अभी हमारे काशी विश्वविद्यालय की घटना हुई, गोरखपुर में छबीला कांड हुआ, लखनऊ में हमारे विद्यार्थियों पर गोली चली, पश्चिम के जिलों में हाहाकार मचा हुआ है, किसानों पर लाठी चली और मजदूरों पर गोलियां चलाई गईं। आज सारे प्रदेश में शासन ऐसा ढीला हो गया है कि जान माल की हिफाजत नहीं है और किसी की इज्जत की हिफाजत नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिये यानी हमें एक राजनैतिक कदम उठाना चाहिये। इसलिये कहा जाता है कि आज मर्ज बहुत बढ़ गया है और केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से काम चलने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि माननीय मंत्री जी आगे बढ़ें और अपना इस्तीफा जनता के सामने दें और अपना सम्मान तथा प्रतिष्ठा कायम रखें। यदि वह आज अपना इस्तीफा देते हैं तो पुलिस वालों को भी वे एक नसीहत देंगे और और प्रदेश की जनता भी समझेगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो आज बर्बरता के रास्ते पर जा रही है उसको देख कर मंत्री महोदय तक इस्तीफा देने लगे ह। इससे यदि वे छोटा काम करेंगे तो प्रदेश की स्थिति हाथ से निकल जायगी और बेकाबू हो जायगी। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बल्कि इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय कमलापति जी वह दिन याद करें और हमें वह दिन याद आ जाता है जब हम भी विद्यार्थी थे और इसी विद्यार्थी जीवन में हमने राजनीति में पदार्पण किया है जब अंग्रेजों की पूरी ताकत, उनकी तानाशाही, बर्बरता देश में नंगा नाच कर रही थी। महात्मा जी गिरफ्तार हो चुके थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गिरफ्तार हो चुकी थी। क्या माननीय कमलापति जी साक्षी होना नहीं चाहते हैं? भारत के विद्यार्थियों ने अपने जवानी भरे अरमानों को अपने हाथों में लेकर समरांगण में पदार्पण किया। माननीय कमलापति जी इसके साक्षी हों, मैं चाहता हूं कि सरकार के कर्णधार इसके साक्षी हों और देखें कि जिन विद्यार्थियों के बलिदान पर सन् १९४२ की क्रान्ति सफल हुई और अंग्रेजों का राजमुकुट लन्दन में जा गिरा उन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर यह पुलिस डंडेबाजी कर रही है, यह पुलिस बूटों से मार रही है, यही पुलिस छाती की हड्डियों को मसक रही है, उन्हें पूरे तौर से चोटियल कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तनिक भी सम्मान का आदर हो, तनिक भी सुव्यवस्थित व्यवस्था का अरमान हो तो माननीय कमलापति जी सहर्ष इस्तीफा देकर जो इतना बड़ा कलंक और पाप का टीका पुलिस प्रशासन पर लग रहा है उसको धोएं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव त्रिलोकी सिंह जी ने उपस्थित किया है म इसका विरोध करता हूं। मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि झगड़ा पुलिस और कानपुर के लोगों से हुआ, जब-जब ऐसे झगड़े होते हैं बेचारे विद्यार्थियों को बीच में ले आया जाता है। जिस तरह से स्पीचेज देकर विद्यार्थियों को आज भड़काने की कोशिश की जाती है और ऐसे वक्त में जब कि उनका इम्तहान सर पर है, मैंने देखा, यह नयी घटना कानपुर में नहीं हुई है। इसके पहले भी ऐसा हुआ। जब वेस्ट इंडीज का मैच हुआ तब भी झगड़ा हुआ और कुछ लोगों ने विद्यार्थियों की आड़ में हमला किया, बिना टिकट लिए फाटक तोड़ कर भीतर हजारों की तादाद में घुस गये और उन्होंने इन्तजाम को दरहम बहरम कर दिया। इसके बाद जो रांजी ट्राफी का मैच हुआ उसमें भी उस तरह की

पुनरावृत्ति हुई। यह सारी चीजें कानपुर में होती हैं और लोगों को मौका मिलता है कि विद्यार्थियों की आड़ में, पार्टीबन्दी के नाम पर इस तरह से खेल खेलें। यह दुर्भाग्य की बात है कि वही बात फिर आयी।

श्री अध्यक्ष—ठीक तरह से सुनाई नहीं देता है। आप माइक का प्रयोग करें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—जब मजमा ग्रीन पार्क से निकल रहा था तो विद्यार्थी बहुत कम थे। इत्तफाक से डी० ए० वी० कालेज की लाइब्रेरी बन रही है। वहां ईंटें और पत्थर जमा थे। लोगों ने पुलिस पर रोड़े बरसाये। नतीजा यह हुआ कि पुलिस को उत्तेजना हुयी। जो दुर्घटना हुई उससे किसी को खुशी नहीं, वह निन्दनीय है। पुलिस को जो इस तरह का हमला करना पड़ा उसके लिए पुलिस को भी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि वह भी हमारे देश के भाई हैं। कानपुर में इस तरह की दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि पार्टीबन्दी के अखाड़े सजाए जाते हैं और विद्यार्थियों को आगे कर लिया जाता है। एक बात माननीय त्रिलोकी सिंह ने कही कि अस्पताल में मरीजों के पास पुलिस मौजूद थी। मैं बताना चाहता हूं कि अस्पताल में भेजे गये हुए लोगों में वे लोग भी हैं जो केवल गिरफ्तार होकर रखे गये हैं। इसलिए पुलिस वहां है।

श्री त्रिलोकी सिंह—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कहते हैं। हो सकता है कि आपको उनसे ज्यादा इत्तला हो।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि ९ में से ५ ऐसे हैं जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं किन्तु उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया है। २६ आदमी कोतवाली में मौजूद थे। जब मैं वहां पहुंचा तो गिरिजाशंकर नाम के युवक ने मुझ से कहा कि मेरी पीठ में चोट है मुझे अस्पताल भेजवा दीजिये तो मैंने उसका इन्तजाम किया।

श्री त्रिलोकी सिंह—मेरे कहने के बाद पुलिस वहां से हटा दी गयी।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—हो सकता है कि आपके अनुरोध से पुलिस हटा दी गयी हो, लेकिन वाकया यह है कि झगड़ा इसलिए होता है कि विद्यार्थियों की आड़ ली जाती है और लोग इस तरह से अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह से विद्यार्थियों को आगे करके उनकी शांति बरबाद न करें। उन्हें इस संसार में आदमी बनने का मौका दें ताकि वे अपनी परीक्षा दे सकें, अपनी स्टडी कर सकें और अच्छे नागरिक बन सकें, इस बात में उनकी सहायता करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जो कानपुर में हुई मैं इधर या उधर गवाही देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में जो भी सामान्य सिद्धान्त हैं जिसमें सरकार का, जनता का विरोधी दलों का सबका लाभ है उनकी ओर सदन का ध्यान जाना चाहिये। राष्ट्र के बापू जिन महात्मा गांधी की तस्वीर यहां हमारे सामने टंगी हुई है (आवाज) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि उधर के लोग महात्मा गान्धी का नाम सुनकर के वैसे ही चौंकते हैं जैसे राम का नाम सुनकर के मारीच चौंकता था। मुझे अफसोस है उनकी मनोवृत्ति पर, मुझे शर्म है उनकी इस मनोवृत्ति पर। शर्म की बात है कि यह हालत हो गई कि महात्मा गान्धी का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप उनकी बात सुनिये ही मत।

श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस हाउस में डिबेट जो है उसमें पिच आफ वायस एक हद तक होती है? वह आया उसके अन्दर रहनी चाहिये या उसकी कोई हद भी है पिच आफ वायस की या नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह पिच स्पष्ट है कि वह कम हो गई है अब।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये उधर के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिस आचरण का वे इस समय प्रयोग कर रहे हैं उसके करने का हमें उत्साह देते हैं और मैं आपके द्वारा उनको विश्वास दिलाता हूं कि यह पूरे चक्रवृद्धि व्याज के साथ लौटाया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---एक मिनट जरा आप बैठ जाइए । मैं जरा यह कहना चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर विषय है क्योंकि मैंने जो इजाजत दी तो यह बहुत गम्भीर विषय समझकर बजट के अनुदानों के विचार के वक्त में भी इजाजत दी है नहीं तो मैं बजट के वक्त में इसकी इजाजत नहीं देता हूं । उसके गाम्भीर्य को इस तरह से अगर क्रोध के द्वारा मिटाना माननीय सदस्य शुरू कर दें तो फिर हमको कोई इस बात का अख्तियार नहीं रहेगा कि हम उम्मीद करें कि जनता में शान्ति रहेगी । सीधी बात है कि सब चाहते हैं जनता में शान्ति कायम रहे, ऐसी मार पीट न हो, बहुत बुरी बात हो गई, यह सब लोग कहते हैं और यहां पर हम लोग बहस में ऐसी बात शुरू कर दें जिसमें वैसा ही अशान्त वातावरण यहां पैदा हो तो हम समझते हैं कि कोई हम अच्छा उदाहरण पेश नहीं करेंगे । (व्यवधान) मैं सबके लिये कह रहा हूं । यह सदन कोई विद्यार्थियों की संस्था तो नहीं है ? यह तो बड़े-बड़े अनुभवी लेजिस्लेटर्स की संस्था है । तो यह मेरा एक इशारा उनको काफी है कि यहां जो कोई बोले चाहे किसी के मन के खिलाफ बोले, विरुद्ध बोले उसको शान्ति से हम सब यदि सुन लेते हैं और फिर अपने भाषण में हरेक सदस्य घटना के बारे में जो उसे ज्ञान है, वह बतायें तो उचित होगा । दूसरों को सुन लेना चाहिये शान्ति के साथ । मैं यह सबके लिये कहना चाहता हूं कि शांति कायम रखने के लिये कोई रास्ता निकालना हमारा कर्त्तव्य है । यहां क्रोध करना बड़े दुख की बात है । माननीय सदस्य गम्भीरता के साथ घटना पर विचार करें और शान्ति के साथ सुन लें सबकी बात ।

श्री दीनदयालु शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुजुर्गवार पालीवाल जी को शायद ऐसी कोई बात नजर आयी हो, यहां तो कोई ऐसी बात की नहीं गई और फिर जैसी आपने बात बतायी तो अशान्ति के लिये तो कभी कोशिश की नहीं जाती । आवेश का जहां तक सम्बन्ध है हम जब डंडे और गोली रखने वालों के सामने भी शान्ति से सुन सकते हैं और यहां आपके सामने निवेदन कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात तो हुई नहीं कि हमने कोई अशान्ति की हो ।

श्री अध्यक्ष---खैर, अब वह बात नहीं है । मतलब यह है कि कुछ लोगों को क्रोध जल्दी भी आता है, किसी को देर से आता है, अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं । अगर आप किसी को छेड़ भी दें, मैंने कई दफा देखा है, कि इस ओर से भी किसी को छोड़ देते हैं तो वक्ता की आवाज ऊंची उठ जाती है । इसीलिये मैं यही कह रहा हूं कि यह छेड़ने का समय नहीं है । यह बहुत गम्भीर समय है और इस समय का उपयोग घटना की गम्भीरता और महत्व के अनुकूल ही सदस्यगण करें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर नम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बात की आपके द्वारा पूर्ण व्यवस्था हो जाय कि उस ओर से जिस तरह का व्यवहार होता है उसको हम लोग कहां तक बर्दाश्त करेंगे ? आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि ३ साल से, जब से मैं इस सदन में हूं, मैंने अपनी ओर से सदैव यह प्रयत्न किया है कि एक भी बात कम से कम मैं ऐसी न कहूं जो उधर के बैठने वालों को बुरी लगे । इस समय मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का नाम यदि मैंने इस समय लिया तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिस पाप के कारण उधर के बैठनेवालों ने आवाज कसी शुरु कर दी । यदि आप इसका उत्तर लेना चाहते हैं तो फिर बाद में लीजियेगा.....

श्री अध्यक्ष---मैंने तो इस विषय में कह दिया कि शान्ति से एक दूसरे को सुनें । जब महात्मा गांधी का नाम उन्होंने लिया तो थोड़ी सी छेड़छाड़ उधर से हो गई यानी महात्मा गांधी

का नाम लेने पर कोई छेड़-छाड़ इस ओर से की गई जिसके कारण थोड़ा सा उनको गुस्सा आया। मैं उनके गुस्से के लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बता रहा हूं। मगर मैं यह चाहता हूं कि इस तरह से किसी को छेड़ना नहीं चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसलिये मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी का नाम सुनकर अगर कोई उत्तेजना होती है और शोरगुल करते हैं तो मैं आपसे यह कहूं कि मैं कितनी ही शान्ति-पूर्वक रहूं किन्तु राष्ट्रपिता बापू का कोई अपमान करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। (आवाज) फिर उधर से, श्रीमन्, कुछ शोर होना शुरु हुआ। यदि वे इस तरह से शोर करेंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा? मैं इस गुंडाशाही को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे कह दिया है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं यह कह रहा था कि जिस राष्ट्र पिता बापू महात्मा गान्धी की तस्वीर आपके सामने टंगी हुई है, १९३७ में जब कांग्रेस सरकारें कायम हुई थीं तो उनका कहना था कि हमें पुलिस की सहायता के बिना अहिन्सात्मक ढंग से शान्ति व्यवस्था कायम करना सीखना चाहिये। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि एक दिन की बात नहीं नित्यप्रति इस तरह की घटनायें होती हैं। राजनारायण जी ने बहुत सी घटनाओं का जिक्र यहां पर किया कि लाठी चार्ज करना, पुलिस के द्वारा अश्रुगैस का प्रयोग करना, गोली चलाना नित्य प्रति का काम पुलिस का हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी सरकार के लिये कीर्तिकर नहीं है। जो सरकार अहिन्सा और पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास करती हो उसके लिये गीता के शब्दों में यह निश्चित और स्पष्ट अकीर्त्तिकर है। मैं सामान्य सिद्धान्त की बात करता हूं और केवल यह कहना चाहता हूं कि ये जो घटनायें हुईं इन पर हमको सोचना चाहिये कि इस प्रकार की घटनाओं का होना अगर बिलकुल समाप्त न हो सके तो कम से कम उनको कम करने की हमें चेष्टा अवश्य करनी चाहिये और वह तभी हो सकता है कि जब जिन मूल कारणों की बजह से ये घटनायें होती हैं उनको हम दूर करें। वे मूल कारण क्या हैं? अंग्रेजी राज्य में पुलिस को जो अनियन्त्रित अधिकार दिये गये थे वे इसलिये दिये गये थे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही अपनी शान्ति व्यवस्था कायम रखनेके लिये पुलिस राज्य की आवश्यकता समझती थी, लेकिन आज पुलिस राज नहीं रहा। अब तो यह कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य कायम हो रहा है और यह दावा किया जाता है कि समाजबाद की स्थापना करनी है, किन्तु हम देखते हैं कि पुलिस के वही अधिकार मौजूद हैं जो अंग्रेजी राज्य के जमाने में थे। उनमें रत्तीभर भी कमी नहीं हुई है। इसलिये एक तो कारण यह है कि पुलिस को अनियन्त्रित अधिकार हैं।

दूसरे लाठी का चलाना और अश्रुगैस का प्रयोग करना इस तरह के है कि जिनके ऊपर कोई रोक नहीं है। लाठी चार्ज और अश्रुगैस के लिये पुलिस को अबसोलूट डिस्क्रीशन मिली हुई है। इससे कोई भी समझदार व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि आज भी पुलिस की ओर से जोर, जुल्म, ज्यादती जो अंग्रेजी राज के जमाने में होती थी, मान लें कि कम हो गयी है, लेकिन मिटी नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि मैं यहां कार्यवाही से बढ़ कर सुना सकता हूं कि उस ओर के सदस्यों ने, एम० एल० एज० तक ने यह कहा है कि हमारे साथ भी पुलिस ज्यादती, जोर और जुल्म करती है। वह कम नहीं हुए हैं। ऐसी पुलिस को, जिसमें सुधार न हुआ हो, जिसमें आदर्श थाने न बने हैं, उसको ऐसे एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन देना, अनफैटर्ड पावर देना ठीक नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि कोड आफ कंडक्ट पुलिस के लिये मुकर्रर किया जाय, पुलिस रेगुलेशन्स में चेन्ज किया जाय और शायद फिर इस नाम को सुन कर लोग चौंकें, अगर कोई कांग्रेसी, अपना आदमी, सरकार का समर्थन इस के लिये नहीं करता है उसकी बात को न मानना, अगर यह मनोवृत्ति रहे तो बात दूसरी है, नहीं तो श्रीमन्नारायण अग्रवाल, जो कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं, उनकी ओर से कहूंगा। उन्होंने इस बात की मांग

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

की कि पुलिस के लिये कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये। यह डाक्टर लोहिया की अकेली मांग नहीं है, कांग्रेस के महामंत्री का कहना है। क्या कारण है कि यहां पुलिस का कोड आफ कंडक्ट नहीं बनाया जाता है? अभी हाल की खबर है कि केरल सरकार ने श्री एन० सी० चटर्जी की अध्यक्षता में पुलिस का कोड बनाने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दी है। जब केरल सरकार यह कर सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? इसी सदन में माननीया सरस्वती शुक्ल, उधर की सदस्या हैं, विरोधी नहीं हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार पुलिस रेगुलेशन्स को बदलने का विचार कर रही है? उत्तर दिया गया कि बिलकुल नहीं। ऐसी बातों पर कहीं विचार किया जा सकता है। पुलिस के मामले में तो सरकार विचार करने के लिये तैयार ही नहीं है।

तीसरा कारण यह है कि पुलिस के प्रति इस सरकार का रुख बिलकुल असह्य और नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार ने यह मान रखा है कि पुलिस के कांस्टेबिल और थानेदार की रिपोर्ट जो है वह ब्रह्मवाक्य और वेद वाक्य है। अंग्रेजी राज्य के जमाने में, मुझे याद है। उस समय आधे दर्जन घटनायें एसी हुई कि जिनमें पुलिस से मेरी मुठभेड़ हुई और उसकी अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने इन्क्वायरी की और इंक्वायरी करने पर केवल मेरे बयान पर पुलिस द्वारा ७२ गवाहियां दिये जाने पर उसने मेरे बयान को सही मान कर पुलिस की ७२ गवाहियों को झूठा मान कर, पुलिस के बयान को झूठा मान कर उनको सजा दी। उनका विरोधियों के प्रति यह रुख था और आज का रुख क्या है? आज का रुख यह है कि अगर माननीय संपूर्णानन्द दुर्भाग्य से मुख्य मंत्री न रहें, जैसे कि आचार्य जुगुलकिशोर नहीं रहे, तो परिणाम यह होगा कि अगर कोई झगड़ा हो और वे कहें कि पुलिस की ज्यादती थी और पुलिस कांस्टेबिल की रिपोर्ट और थानेदार की रिपोर्ट यह हो कि ज्यादती नहीं थी तो हमारे गृह मंत्री माननीय कमलापति जी त्रिपाठी कहेंगे कि उनकी साक्षी, जैसे राजनारायण जी और त्रिलोकी सिंह, की गवाही का कोई मूल्य नहीं है, उसी तरह से माननीय संपूर्णानन्द जी की गवाही का कोई मूल्य नहीं है, नहीं रहेगा और पुलिस कांस्टेबिल की गवाही ब्रह्मवाक्य और वेद वाक्य मानी जायगी। मैं इस रुख की निन्दा करता हूं और कहता हूं कि सरकार को पुलिस का चारण नहीं होना चाहिये।

अंत में मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है और वह भी एक साधारण बात है। अपनी नीति और नियम के अनुसार, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई भी मिनिस्टर अपने रिश्तेदारों, बेटों, दामादों के लिये, किसी के लिये जिम्मेदार नहीं हो सकता, सही है। लेकिन मंत्री महोदयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि उनका कोई रिश्तेदार उनके नाम का दुरुपयोग न करे, उनके पद का दुरुपयोग न करे। उन के लिये निर्दोष होना काफी नहीं है लाइक सीजर्स वाइफ दे मस्ट बी एबव सस्पीशन। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि जिससे उनकी सच्चाई पर कोई संदेह न कर सके और अगर ऐसा नहीं है....

एक सदस्य---प्वाइंट आफ आर्डर। जो यह डिस्कशन हो रहा है उसमें यह मंत्रियों के साहबजादे और उनसे उनका ताल्लुक होना, इसकी क्या रिलीवेंसी है, यह मैं मालूम करना चाहता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन उधर ईश्वर ने अगर ऐसी ही बुद्धि दी है तो मैं बता दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के दामाद हरि निगम का नाम आया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपकी ओर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो गन्दी बातें करने के लिये विवश करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह की बातें करके ये लोग कांग्रेस को ले डूबेंगे जो कि कांग्रेस के सहायक बनते हैं। तो मैंने नाम भी ले लिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि यह काफी नहीं है बल्कि यह जरूरी है कि

मिनिस्टर इस बात का ध्यान रखें और जैसा महात्मा गांधी ने---फिर मैं उनका नाम लेता हूं---अपने सगे बेटे को डिस्ओन किया था, क्योंकि उन पर बदनामी न आये, तो जब इस तरह की घटनायें हों तो मंत्री महोदयों का कर्त्तव्य है कि वे अपने रिश्तेदारों को डिस्ओन करें।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मान्यवर, इस सदन में भाषणों में कुछ गरमी अधिक आ गई। मैं तो कुछ सिद्धान्त की ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है और वह यह कि पुलिस जब कभी ऐसी स्थिति में हो कि इस समाज का कोई भी वर्ग, वह विद्यार्थी हो या कोई दूसरा वर्ग हो, जब दूसरों की आजादी का अपहरण करे और अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करे जिससे समाज के दूसरे वर्ग को क्षति पहुंचे तो उस समय हमारे समाज की क्या व्यवस्था हो और उस समय पुलिस का क्या कर्त्तव्य हो, पुलिस किस प्रकार से उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, उनकी मर्यादा की रक्षा करे जिनकी मर्यादा और अधिकारों का अतिक्रमण दूसरे वर्ग कर रहे हैं। हमारे इस देश में दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद एक ऐसी होड़ चल पड़ी है हमारे विरोधी दलों में कि वे समझते हैं कि यह विद्यार्थी समाज भोला भाला है जिसकी परिपक्व बुद्धि नहीं होती है और उसे आसानी से भड़काया जा सकता है और उसके बहाने ऐसी घटनायें की जा सकती हैं या कराई जा सकती हैं जिससे कुछ बातें इस सदन में और बाहर भी हमारे मित्रों को कहने सुनने का मौका मिले। मान्यवर, जो घटना इस समय इस प्रस्ताव का विषय है उसकी ओर जरा दृष्टिपात करें। कुछ लोगों ने अपनी किसी संस्था के लिये कुछ पैसे उगाहने की योजना की थी .....

एक सदस्य---किन लोगों ने ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जो भी समाज के लोग हों जिनको ऐसा अधिकार है कि ऐसी व्यवस्था इस समाज में शान्ति और आजादी से कर सकें, ऐसे लोगों ने इस बात की योजना की थी जिससे उनकी संस्था के लिये कुछ पैसे आयें। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि परीक्षा का समय था। इस परीक्षा के समय में भी यदि वे मेरे साथ चलें तो इसी लखनऊ में दिन और रात में विद्यार्थियों की पंक्तियां सिनेमा घरों में दिखा सकता हूं, इन्हीं परीक्षा के दिनों में मैं उनको विद्यार्थियों के गिरोह रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिना टिकट सफर करते दिखा सकता हूं। मैं दिखा सकता हूं उनको उन विद्यार्थियों के गिरोह जो अपने मां-बाप के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं जो कि आगे चलकर समाज के नेता हो सकते हैं उनकी शिक्षा-दीक्षा, संयम, अनुशासन की तरफ हमारे सदन की तरफ से यह उपेक्षा की जाय और यदि वे अनुशासनहीनता करें तो इस सदन के सदस्य उनको यह कहें कि वे शहीद हो रहे हैं, वीर हैं तो ऐसे वीर और शहीद जिस समाज में हो गये तो वह देश और समाज रसातल को पहुंच जायगा। इस सदन के माननीय सदस्य अगर उनको इस तरह से उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे तो वह हमारे लिये दुर्भाग्य का दिन होगा और इस सदन के लिये दुर्भाग्य का दिन होगा। हमारे राजनारायण जी के पास केवल इस घटना के लिये ही नहीं बल्कि ऐसी और घटनायें उनके सामने जो आई हैं उनके लिये कुछ इस तरह के शब्द हैं जिनको उन्होंने कन्ठस्थ कर रखा है और उन्हीं का प्रयोग वे हमेशा करते हैं। मैं कहता हूं कि यदि उनके पास इन भोले भाले विद्यार्थियों को बहकाने और उनकी कच्ची अक्ल का नेतृत्व करना रह गया है तो यह उनको मुबारक हो। हमारा सभी का कर्त्तव्य है कि विद्यार्थी समाज को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। विद्यार्थी बिना टिकट चलते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री शुक्ल जी विषय पर ही सीमित रहें, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। यह हाकी मैच जो वहां कराया गया था वह कराया था सम्पूर्णानन्द जी के रिश्तेदार ने। उनसे जा कर पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---सम्पूर्णानन्द जी के रिश्तेदार और राजनारायण जी के रिश्तेदार सभी इस देश के नागरिक हैं और अपनी जान और माल की सुरक्षा पुलिस द्वारा कराने

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

का सबको अधिकार है । यह अधिकार, चाहे सम्पूर्णानन्द जी या जवाहरलाल जी मुख्य मंत्री हों या राजनारायण जी हों, छिन नहीं सकता । यदि उन लोगों ने अपनी जान व माल की सुरक्षा के लिये पुलिस की सहायता ली तो कोई कृपा प्राप्त नहीं की, यह उनका नागरिक होने के नाते अधिकार था ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब घटना के ऊपर आप आ जावें ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--मान्यवर--इस घटना के सम्बन्ध में जो बातें उधर से कहीं गई वे अन्यन्त अतिरंजित हैं । कानपुर का और विशेषकर डी० ए० वी० कालेज का दुर्भाग्य है कि वहां ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो कानपुर में जब-जब ऐसी घटनायें होती हैं उनमें आगे रहते हैं । कानपुर में कोई सार्वजनिक शो हो नहीं सकता जिसमें कि कम से कम ४००,५०० विद्यार्थी बिना टिकट जाने की चेष्टा न करें । जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, जब तक किसी समारोह के प्रबन्धक पुलिस की सहायता नहीं चाहते हैं वह उसमें नहीं जाती है । लेकिन जब कोई समारोह करने वाला इस बात की मांग करे कि दूसरे लोग हमारे अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये, तो पुलिस का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह वहां जावे और उनके अधिकारो की रक्षा करे ।

कहा गया कि छुट्टी का दिन था और विद्यार्थी नहीं थे । मैं दिखा सकता हूं कि छुट्टी के दिन भी हजारों विद्यार्थी डी० ए० वी० कालेज में रहते हैं । उसके होस्टल में रहते हैं । वे एक संगठित गिरोह में ऐसी जगहों में जाते हैं । मुझे दुख हुआ जब भी त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि अर्द्धनग्न अवस्था में हाकी मैच खेलती हुई हमारी बहनों को देखने के लिये ये विद्योर्थी जाना चाहत थे और उनकी यह स्वाभाविक इच्छा थी । श्री त्रिलोकी सिंह जी उसका समर्थन कर सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी चाहे अपनी बहनों को अर्द्धनग्न अवस्था में देखना चाहें या साइकिलों पर चलकर उनके पीछे चलें और आवाजें कसें । आज हमारा विद्यार्थी समाज इतना अनुशासन-हीन हो गया है कि हमारी बेटियों और बहनों को बाजार में अकेले चलना मुश्किल हो गया है, उन पर आवाजें कसी जाती हैं और अश्लील बातें कहीं जाती हैं । यह गुन्डापन हमें खत्म करना चाहिये । मैं पिता हूं । अगर मेरी सन्तान ऐसी हो तो मैं बिना सन्तान के ही रहना पसन्द करूंगा । ऐसे लोगों का समर्थन करना इस सदन के माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता है ? इस घटना का मूल कारण विद्यार्थियों का अनुशासनहीनता के साथ और संगठित रुप में बिना टिकट लड़कियों का मैच देखने की कोशिश करना है । ऐसी अवस्था में पुलिस के लिये कोई चारा नहीं था । अगर पुलिस नहीं जाती तो सम्भव था कि उन लड़कियों के साथ भी कोई अनुचित घटना होती । अभी एक हफ्ते की बात है कि बदायूं के कुछ नागरिक माननीय गृह मंत्री के पास आये और बताया कि एक लड़की को कक्षा म छींक आ गई थी । एक लड़के ने उस पर छींकना शुरू किया । लड़की जब ऊब गई तो उसने कहा कि भाई, तुम शरारत करते हो--क्षमा कीजिये, मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो उसने कहे--उसने कहा कि अगर नहीं मानोगे तो मै तुम्हारी चप्पलों से मरम्मत करूंगी । मान्यवर, उन लोगों ने माननीय गृह मंत्री को बताया कि उस लड़के ने क्लास में ही उस लड़की की नाक काट ली । वहां लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं ? यदि यह घटना सही है और वहां ही नहीं, हमारे आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह सर्वथा निन्दनीय है । श्री त्रिलोकी सिंह जी को सम्भवतः मालूम होगा कि कानपुर ऐसे विद्योर्थियों का बहुत बड़ा अड्डा है जो विद्यार्थियों के नाम से गुन्डों के साथ लड़कियों को परेशान करते हैं और लड़कियों की शो में गिरोह बनाकर जाते हैं । लड़कियां हमारे समाज की सब से अरक्षित अंग हैं और उनकी रक्षा के लिये अगर पुलिस ने अधिकारों की सीमा का अतिक्रमण भी किया तो हम उसका समर्थन ही करेंगे । जब हमारे देश के विद्यार्थी हमारी बहनों को रास्ता न चलने दें, खेल न खेलने दें, सिनेमाघरों में परेशान करें, उन विद्यार्थियों को मैं अपने देश का कंलक समझता हूं । मैं विद्यार्थियों से उनकी गलती कहने में डरता नहीं हूं । मैं इतना कहने का साहस रखता हूं । आजकल

हमारा विद्यार्थी समाज इतना अनुशासनहीन हो गया है कि उसकी हमको इस सदन में निन्दा करनी चाहिये। अनुशासनहीन विद्यार्थियों के गिरोह ने ही पुलिस को मजबूर किया कि वह दूसरों की रक्षा के लिये अपना हाथ जाकर डाले।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गम्भीर है और मुझे आश्चर्य है कि इस गम्भीर विषय पर विचार न करते हुये हम लोग एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं और वे लोग आक्रमण कर रहे हैं जिनके हाथ में प्रान्त का शासन, न्याय-व्यवस्था और सब प्रकार की व्यवस्था है। तो उससे मैं क्या अपेक्षा या आशा करूं कि वे गम्भीरता से विचार करेंगे? अभी कहा गया कि कानपुर का विद्यार्थी ऐसा है, वैसा है, तो मैं नहीं समझता कि कानपुर का ही विद्यार्थी इस सारे प्रान्त में खराब है। कहा गया कि विद्यार्थी बिना टिकट शो में जाना चाहता है या सफ़र करना चाहता है और यह कि वह गिरोह में जाता है। विद्यार्थी ही क्या, मैं बहुत से लोगों को दिखा सकता हूं जो फ़र्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड में चलते हैं। मुझे एक कहावत याद आती है कि अगर सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोलती है जिसमें ७२ छेद पड़े हुये हैं। नाल ठुक रही थी घोड़े की मगर मेंढ़की ने भी पैर पसार दिया, यह ऐसी ही बात है। किसको नहीं मालूम है कि अभी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार किये गये, लखनऊ में गोली-काण्ड हुआ और अब कानपुर में लाठी-प्रहार और अश्रुगैस प्रयोग में लाई जाती है। अगर यह कहा जाय कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं तो जो हमारे गृह मंत्री हैं वही शिक्षा मंत्री भी हैं। इसलिये क्या इस अनुशासनहीनता के लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप अगर गृह मंत्री की तारीफ़ करेंगे तो क्या शिक्षा मंत्री को कन्डम करेंगे? आज हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता होने का कारण हमारी ग़लत शिक्षा पद्धति है। जिससे विद्यार्थी को दिशाहीन रखा गया है। अगर एक ओर आप अपनी पीठ ठोकेंगे कि पुलिस ने सुरक्षा की है तो दूसरी ओर कहना होगा कि यह शिक्षा विद्यार्थियों को ग़लत दिशा में ले जा रही है। वास्तव में विद्यार्थी ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी लेट-लूज़ हो गई है कि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है। जब जब इस सदन में पुलिस के बारे में कुछ कहा गया, बिना किसी प्रकार की जांच किये हुये हमारे गृह मंत्री ने पुलिस को व्हाइट चेक दे दिया कि तुम बिलकुल निर्दोष हो। लखनऊ के गोली-काण्ड के बारे में ही शिक्षा मंत्री ने पुलिस की वह प्रशंसा की थी कि मैं समझता हूं कि विशेषण और अलंकार भाषा में कम रह गये होंगे। आज पुलिस को रोकने में यह सरकार असमर्थ है, इसलिये कि सरकार अपने शासन की नींव हम पुलिस के ऊपर डालना चाहते हैं। कल हमारे यादव जी ने फरमाया कि हल्का लाठी चार्ज हुआ और जब उसके बारे में गृह मंत्री जी से फिर प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि उसमें ४० आदमी घायल हुए। ४० आदमी घायल हुए और वह हल्का लाठी चार्ज हुआ। आप उसकी बर्बरता को हमेशा घटाकर बताते हैं और पुलिस को प्रोटेक्शन देते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, अगर इसी प्रकार से हम पुलिस का प्रोटेक्शन करते रहे तो एक दिन ऐसा आयेगा हमारे और आप के सर पर ही इस पुलिस की लाठी पड़ेगी। इसको चेक न कर सकने की जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री जी पर है।

मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जो टिअर गैस छोड़ी गयी है उसके ४०–५० राउन्ड छोड़े गये। जिन्होंने उस को देखा है उनका कहना है कि उससे वहां का वातावरण सारा का सारा विषाक्त हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर मिलिटरी मैनोवरिंग हो रही थी। यह चीज़ भी इस बात का द्योतक है कि यह पुलिस की विंडिक्टिवनेस थी कि उसने वहां इतना एम्युनीशन पहले से ही इकट्ठा कर रखा था।

अभी हमारे वयोवृद्ध मेहरोत्रा जी ने कहा कि यह झगड़ा कानपुर के लोगों ने किया था। पुलिस का झगड़ा हो कानपुर के गुन्डों से, लेकिन उनके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज न कर के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर और उनको हास्टिल में घुस-घुस कर मार। मैं पुलिस के ऊपर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

यह आरोप लगाता हूं कि गुन्डों के ऊपर हाथ उठाने की पुलिस को हिम्मत न हुई। क्यों? क्योंकि पुलिस करप्ट है और उसका पृष्टपोषण गुन्डों से होता है और जिससे जिसको पैसा प्राप्त होता है वह उसका दास हो जाता है। इसलिये उनको रोकने में पुलिस असमर्थ रही और निरीह विद्यार्थियों पर उसने लाठी चार्ज किया। ६० बरस का बूढ़ा वार्डन मारा गया। क्या वह उस मैच को देखने के लिये गया था? वह वार्डन जो हम लोगों के पिता की उम्र का होगा, इसको मारने का आपको क्या अधिकार था, और क्या अधिकार था मानवता के नाते और न्याय के नाते? आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और न इसका कि होस्टल में घुस कर मारपीट क्यों हुई? या तो आप उसके उत्तर में 'नहीं' कहेंगे या यह कहेंगे कि वह उधर को भागे। गुन्डों ने वहां दंगा किया और उसका बदला लिया गया विद्यार्थियों से, यह निन्दनीय चीज है। मैं कहता हूं कि इस चीज के लिये, दल और पार्टी के प्रश्न को अलग रख कर, हमें सोचना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की निन्दनीय घटनायें न हों।

श्रीमन्, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पुलिस जिस प्रकार की उद्दंड है उसका मैं एक उदाहरण व्यक्तिगत देना चाहता हूं। वह यह है कि एक पुलिस के आफीसर ने मुझ से यह स्पष्ट रूप से कई घटनाओं के बारे में स्वीकार किया कि हम जो घटना का विवरण लिखकर भेजेंगे, वह सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भावना यही है कि सरकार ने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं। जो वहां से लिख कर आता है, चाहे वह गलत हो या सही, उसी को आप मान लेते हैं। इसलिये मैं फिर कहता कि अब अवसर आ गया है कि इस प्रकार होने वाली घटनाओं का जुडीशियल प्रोब हो। अगर वह भी आप न कर सकें तो इस सदन के माननीय सदस्यों को जिनको आप निष्पक्ष समझते हों मनोनीत कर दें कि वे इस घटनाओं में प्रोब करें और मालूम करें कि इनकी जड़ क्या है। और तब आप उसके लिये औषधि ढूंढ़ें। लेकिन चूंकि यह प्रश्न विरोधी पक्ष ने उठाया है, इसलिये आप उसका विरोध करें, तो इससे तो काम चलने वाला है नहीं। नहीं तो मैं फिर आप को वार्निंग देता हूं कि अगर आप ने इसका इलाज न किया तो एक दिन एसा आने वाला है जब कि इस पुलिस की लाठी हमारे और आप के ही सिर पर पड़ने वाली है।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे विद्यार्थियों के चोटें लगी हैं और कुछ को गहरी चोटें लगीं हैं। उनमें से कुछ के १६ तारीख से इम्तहान होने जा रहे हैं उस चोट की वजह से इम्तहान में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रबन्ध होना चाहिये और उनके लिये कम्पेनसेशन होना चाहिये। यह तो, श्रीमन्, बर्बरता की बात है कि लाठी चार्ज की वजह से जो घायल हुए हैं उनको सड़कों पर ही छोड़ दिया गया और उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, श्रीमन्, लाठी चार्ज भी कई बार हुआ। एक बार लाठी चार्ज हो तो कोई बात भी हो। जब प्रोसेशन निकला तब लाठीचार्ज हुआ, कोतवाली के सामने लाठी चार्ज हुआ और न मालूम कई जगह लाठी चार्ज हुआ। यह, श्रीमन्, एक बड़ी अजीब हालत दिखलायी पड़ती है कि आदमी वहां अपने को महफूज ही नहीं समझता, किसी का सड़क पर चलना भी मुश्किल है, कहीं बैठना निकलना मुश्किल है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे हिटलर और स्टालिन की तानाशाही आ गयी हो। फिर जब इस तरह की गुन्डाशाही हो रही हो तो इसकी बड़ी आवश्यकता है कि आप जुडिशियल इनक्वायरी की मांग को स्वीकार करें और इसमें किसी तरह की दिक्कत महसूस करें तो अपने इस हाउस की ही एक कमेटी बैठावें जो इस चीज की प्रोब कर कि यह जो रोग आज बढ़ता जा रहा है, उस रोग की जड़ को ही कैसे समाप्त कर दिया जाय।

श्री नवल किशोर—श्रीमन्, मुझे. . . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मुझे भी दो चार मिनट दिया जाय क्योंकि हम लोग भी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, आपके नेता बोल ही चुके हैं।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि आज का विषय जितना गम्भीर था उतनी गम्भीरता से उस पर विवाद नहीं हो सका। बजाय इसके कि हम वाकयात पर जाते और उसके सम्बन्ध में कोई आर्गुमेंट देते, कुछ बात ऐसी रही और यह समझा गया कि जो जितने ज्यादा जोर से बोलेगा वही अपने साथ हाउस को ले जा सकेगा। श्रीमन्, मैं भी आज इत्तिफाक से कानपुर गया था। मुझे वहां यह मालूम हुआ कि कल विरोधी दल के नेता भाई त्रिलोकी सिंह जी उस सम्बन्ध में गये थे, मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत की। मुझे ऐसा लगा कि जो तथ्य और वाकयात उन्होंने आज हमारे सामने रखे हैं और जो मुझे वहां मालूम हुए, उनमें काफी अन्तर है। उन्होंने फरमाया और मुझे इस बात से तकलीफ हुई क्योंकि वह भी प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति हैं और विरोधी दल के नेता होने के नाते कभी भी आवश्यकता आने पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने का साहस कर सकते हैं उन्होंने अपना भाषण शुरू ही इस तरह से किया कि उन अर्द्धनग्न कन्याओं का हाकी मैच देखने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, श्रीमन्, क्योंकि वे इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हमारे हाउस में विरोधी दल के नेता हैं। श्रीमन्, उनके मुंह से ऐसी बात कहने से अनुशासनहीनता के लिये इनकरेजमेंट मिलता है। इस बात से भी मुझे कष्ट हुआ, श्रीमन्, जब उन्होंने स्वयं कहा कि किसी एक व्यक्ति ने अन्दर जा कर उन नौजवानों के लिये दरवाजा खोल दिया और वे अन्दर घुस गये। जब दरवाजा बन्द था तो फिर वे कैसे घुसे गये? इसका मतलब तो यही है कि वे दीवाल फांद कर अन्दर चले गये, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में उनके तोड़-फोड़ की कोई चर्चा नहीं की। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के हाथ में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिये कि वे अपनी तथा जनता की रक्षा कर सकें। पूछा गया कि पुलिस को ग्रीन पार्क में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा तथा सज्जा के साथ क्यों आये। श्रीमन्, कानपुर का इतिहास बतलाता है कि आज से तीन चार महीने पहले भी वहां इसी तरह की घटना हुई जबकि रांजी ट्राफी मैच हुआ था, या अभी वेस्टइंडीज के साथ क्रिकेट मैच हुआ था और बाद को दारा सिंह की कुश्ती हुई थी। यही नहीं, एक बात और भी है कि कानपुर के अन्दर सिटी एस० पी० को अपनी पुलिस की पोस्टिंग कई जगह इसलिये करनी पड़ी कि जो हमारी लड़कियां और बहनें ४ बजे कालेज से घर को जाती हैं उनकी इज्जत की किसी तरह से रक्षा हो सके। मेरे साथियों ने जजबात की बातें कहीं लेकिन, श्रीमन्, यह भी बड़े दुख की बात है कि ऐसी हुल्लड़बाजी की बातें वहां पर हुईं जिससे पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।

हमारे एक नेता ने मांग की कि पुलिस का कोड आफ कंडक्ट बनना जरूरी है। जरूर बनना चाहिये लेकिन साथ ही जनता का भी कोई कोड आफ कंडक्ट बनना चाहिये। यह बात जरूर है जैसा कि अभी कहा गया कि यदि इस तरह से पुलिस की बर्बरता बढ़ती गयी तो आशंका है कि एक दिन उसकी लाठी हमारे और आपके सर पर भी पड़े, लेकिन साथ ही यह भी हम महसूस कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से ऐडजर्नमेंट मोशन पुलिस के सम्बन्ध में आते रहे तो अनुशासनहीनता को इनकरेजमेंट मिलेगा और हमारी पुलिस का नैतिक पतन होगा, फिर देश में केआस और एनारकी होगी। इस देश के अन्दर प्रजातंत्र को बनाना और उसको कायम रखना तथा आगे बढ़ाना केवल इसी पार्टी का काम नहीं है बल्कि उनका भी जो इधर बैठते हैं जो विरोध में बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बराबर की है। कौन जानता है कि आप लोग भी कभी इस देश की गवर्नमेंट की बागडोर अपने हाथ में लें?

श्रीमन्, मुझे यह पता चला कि लड़कियों का हाकी मैच था और उस समय गड़बड़ी हुई। जैसा कि सब साथियों ने कहा, हमारे देश की यह संस्कृति रही है कि हमारे देश में बहिनों और कन्याओं की मान व रक्षा के लिये बड़े-बड़े बलिदान किये गये हैं। आज बड़े सैंटिमेंट में भाई

[श्री नवल किशोर]
राजनारायण जी ने कहा कि सन् १९४२ में विद्यार्थियों ने क्रांति की थी जिस क्रांति के कारण ही इस देश में आजादी हुई. . .

श्री अध्यक्ष---आपने आरम्भ में सबको यह उपदेश दिया था कि घटना जो है उसको पहले बतलाया जाय तब टीका की जाय लेकिन आप टीका ही करते चले जा रहे हैं सिद्धान्तों के ऊपर, पहले घटना तो बतलाइये।

श्री नवल किशोर---उसी पर आ रहा हूं। जो हाकी मैच हुआ उसके अन्दर स्टूडेंट्स को कंसेशन दिया गया था कि जो टिकट है उस पर उनको कंसेशन मिलेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया, कई वाकयात ऐसे वहां हुए थे और स्टूडेंट्स की कुछ आदत-सी हो गयी है कि टिकट न खरीदना पड़े और फोर्सड एंट्री की जाय। लिहाजा जब फोर्सड एंट्री हुई तो उसके अन्दर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस फोर्स वहां पहले से थी लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ तो पुलिस फोर्स को कुछ और बढ़ाया गया और इसका सबूत यह भी है कि वहां पर कालेज के जो प्रेसीडेंट हैं, जो कि हमारे एम० एल० सी० हैं, वीरेन्द्र स्वरूप जी और जो प्रिन्सिपल हैं, डाक्टर रोहतगी उन्होंने आकर जिलाधीश से अफसोस जाहिर किया कि हमारे विद्यार्थियों ने ऐसी बात की। इसी आश्वासन पर मुझको मालूम हुआ है कि विद्यार्थियों को छोड़ भी दिया गया था। उसके बाद २ मार्च को फिर जुलूस निकला। उस पर लाठी चार्ज हुआ और झगड़ा बढ़ा। तो मेरा अभिप्राय यह है कि शुरुआत विद्यार्थियों ने की. . .

श्री अध्यक्ष---एक घटना और रह गयी। बोर्डिंग हाउस के बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया। वह घटना रह जायगी और १५ मिनट आप के खत्म हो जायंगे।

श्री नवल किशोर---बोर्डिंग हाउस के बारे में जो सूचना मिली है वह यह कि जब झगड़ा हुआ तो कुछ विद्यार्थी, वहां जो सिपाही थे, उनमें से तीन चार को घसीट कर बोर्डिंग हाउस के अन्दर ले गये और उनको वहां पीटा गया। यह बात सही है कि उन सिपाहियों को बचाने के लिये पुलिस ने होस्टल में प्रवेश किया। हो सकता है कि यह वाकया गलत हो लेकिन मैंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कह सकते हैं।

एक सदस्य---बोर्डिंग हाउस में आप गये थे?

श्री नवल किशोर--- गये तो आप भी नहीं थे। मैंने शुरू में ही कह दिया कि जो वाकया मुझे मालूम हुआ वह मैं बतला रहा हूं। यह तो मैंने वाकया बतला दिया।

एक बात मैं कहना चाहता हूं। यह सही है और मैं इस बात को नहीं कहता कि हर काम जो पुलिस करती है ठीक ही करती है; उससे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाहता था वह यह है कि एक शब्द भी विरोधी पक्ष की तरफ से अनुशासनहीनता के बारे में नहीं कहा गया जो कि दिन प्रति दिन हमारे देश में व प्रान्त में विद्यार्थियों में बढ़ती चली जा रही है। मैं कहता हूं कि ठीक है जो गलती सरकार की तरफ से हो उसके लिये इनक्वायरी मांगिये, इनक्वायरी होनी भी चाहिये, उसके लिये आप को अधिकार है। लेकिन, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि जिस बात पर टोका गया, बार बार सन् १९४२ की बात कही जाती है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४२ के विद्यार्थी आज इस असेम्बली के मेम्बर्स हैं, उस समय के विद्यार्थी इतने अनुशासनहीन नहीं थे जितने कि १९५८-५९ के विद्यार्थी हैं।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसे बड़े जोश में कहा जाता है। सही है कि हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है राष्ट्रपिता गांधी जी के चरणों में बैठने का और जो उधर नेता बैठे हुए हैं उनके चरणों में भी बैठने का सौभाग्य मिला है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब गांधी जी के नाम पर उत्तेजना लायी जाती है। कोई भी मौका हो, सीजन एंड आउट

आफ सीजन, हर बात में गांधी जी का नाम लिया जाता है, चाहे अनुशासनहीनता की बात हो या और कोई बात हो ।

मेरे एक साथी ने विद्यार्थियों के डब्ल्यू० टी० चलने के मुकाबला किया असेम्बली के मेम्बरान से कि फर्स्ट क्लास का टी० ए० लेते हैं और थर्ड क्लास में जाते हैं। मुझे इस बात का दुख हुआ और इसलिये दुख हुआ कि कानून के अन्दर वह प्राविजन है कि सदस्य किसी भी क्लास में चल सकते हैं, सही है या गलत है, उसको वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी आड़ में विद्यार्थियों को उकसाना कि वे डब्ल्यू० टी० चलें, अनुशासनहीनता फैलायें, यह बात उचित नहीं है। मुझे आशा है कि जनतंत्र में जो उत्तरदायित्व है विरोधी पक्ष का उसे वह ज्यादा सतर्कता से पूरा करने की कोशिश करेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल जब काम-रोको प्रस्ताव आया था उस समय माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि क्या पुलिस वहां के छात्रावास में घुसी, लड़कों का सामान लूटा गया और छात्रावास के अन्दर लड़कों को मारा गया, तो उधर के लोग हंस पड़े थे यह समझ कर के कि एक नई बात इस घटना में और जोड़ी जा रही है। मुझे यह बात दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य से मालूम हुई थी। लेकिन जब सरकार की तरफ से खंडन किया गया तो मैंने उचित समझा कि स्वयं घटनास्थल पर जाऊं और इसकी जांच करूं। कल रात ११ बजे मैं, माननीय पब्बर राम जी और दूसरे सदन के सदस्य साथी--श्री जय बहादुर सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। आज सवेरे ३ घंटे तक मैं छात्रावास के अन्दर था, प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रबन्धक थे, वार्डन थे, वे चपरासी थे जिनको होस्टल के अन्दर मारा गया, वह लड़के मेरे सामने थे जिनको होस्टल के अन्दर पुलिस ने पीटा। १२ कमरों के दरवाजे पुलिस ने तोड़े, खिड़कियों को बंदूक के कुंदों से तोड़ा गया। प्रेम शंकर शुक्ला नाम के एक छात्र की छाती पर पुलिस के बूटों से अत्यन्त चोट आयी। मैं जब वहां था तब उसकी ६० वर्षीया माता रो रही थी कि जाने उसका बच्चा जीवित भी रहेगा या नहीं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस दृश्य को देखकर कि उस छात्र से बात करूं। एम० ए० का छात्र, सदा प्रथम श्रेणी में आने वाला, अपने कमरे के अन्दर मारा जाता है, पुलिस के बूटों से उसकी छाती रौंदी जाती है। होस्टल के अन्दर घुस कर जिस प्रकार का तांडव नृत्य किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ६० टीयर गैस के बम लड़कों ने अपने पास रख छोड़े हैं, मैं भी अपने साथ लाया हूं, लेकिन मैं जानता था कि उसके प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

मैं इस बात को जानता था कि सदन में ऐसे मौके आये कि जब ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गयी थी लेकिन मंत्री जी ने सदा पुलिस की वकालत की। उन्होंने माननीय सदन की प्रार्थना को सदा ठुकरा दिया और आज, श्रीमन्, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि मंत्रिमंडल में ऐसे सदस्य नहीं हैं जो बंगाल के सिद्धार्थ राय की तरह स्तीफा देकर अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार जब गोली चलाती है तो न्यायिक जांच नहीं कराती है। मैंने बहुत से लाठी चार्ज देखे हैं, गोली कांड भी देखे हैं। लेकिन कानपुर में पहली और दूसरी मार्च को १८ घंटे के अन्दर पुलिस ने जिस निरंकुशता के साथ नादिरशाही की है, उसकी मिसाल नहीं है। सैकड़ों विद्यार्थी घायल हुए, डंडों से सर तोड़े गये, बूटों से छातियां कुचली गयीं, वहां के अध्यापक, चपरासी मारे गये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस घटना की जांच होनी चाहिये और आज न्याय का तकाजा इस बात का है कि जब इतने लोग मारे गये, जब विरोधी दल के नेता मौके पर जा कर जांच कर आये हैं, उधर के एक माननीय साथी ने होस्टल में जाने की तकलीफ भी गवारा नहीं की और उल्टे यह कहा कि चूंकि लड़के पुलिस वालों को होस्टल में घसीट ले गये थे इसलिये पुलिस को मजबूरन होस्टल में घुसना पड़ा, इसकी न्यायिक जांच करायी जाय।

दूसरी मांग यह है कि मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब से गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय आपके हाथ में आया है तब से स्थिति बिगड़ती जा रही है, शिक्षा संस्थाओं के अन्दर पुलिस का कब्जा होता जा रहा है और आज कानपुर का एस० एस० पी० घूम कर यह कहता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है कि बी० एच० यू० के विद्यार्थियों का आन्दोलन हमने दबा दिया तो कानपुर के डी० ए०वी० कालेज के विद्यार्थियों की क्या हस्ती है, इस प्रकार की चुनौती कोई नहीं बरदाश्त कर सकता है। और जब इस प्रकार की चुनौती एक पुलिस अफसर दे और हमारे ट्रेजरी बैंचेज के लोग उसकी तरफ ध्यान न दें तो परिस्थिति भयानक हो सकती है। एक साथी ने विद्यार्थियों पर अनुशासनहीनता का चार्ज लगाया है, मैं इसको गलत समझता हूं। हर समाज में, हर तबके के अन्दर ऐसा भी अंग होता है जो अनुशासनहीनता करता है; इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन यह घटना हुई कहां? कहां विद्यार्थी मारे गये? ग्रीन पार्क के गेट पर नहीं मारे गये। वहां से ढाई फर्लांग की दूरी पर छात्रावास के अन्दर मारे गये। फाटक तोड़ा गया और अन्दर घुसकर उनको मारा गया। जब विद्यार्थी वहां से भाग गये थे, अपने कमरों को अन्दर से बोल्ट कर लिये थे तब उनके दरवाजों को तोड़ा गया। खिड़कियां तोड़ी गयीं। श्रीमन्, मैं वह लिस्ट ले आया हूं जो रिपोर्ट वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने लाज करने की कोशिश की थी। ६ बजे गये पुलिस स्टेशन पर परन्तु रात के १ बजे तक रिपोर्ट नहीं लिखी। जब वीरेंद्र स्वरूप जी गये तब तक इन्कार करते रहे। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गयी। कोई कापी नहीं दी गयीं। बिना मुहर की चिट दे दी गयी। मैं कहता हूं कि वहां १,४३५ रुपये का सामान लुटा है, घड़ी लुटी है, सायकिल लुटी है, फाउन्टेनपेन लुटे हैं, बक्सों के कुंदे तोड़े गये हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं छात्रावास के अन्दर चलें। वहां पर ये सब चीजें देखें, वह इस बात को समझेंगे कि पुलिस ने क्या नादिरशाही की है।

मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज सरकार इस बात के लिये दोषी है कि पुलिस जब बर्बरता करती है तो उसे पदोन्नति मिलती है। आजमगढ़ के अन्दर खाद्यान्न आन्दोलन के संबंध में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जिस एस० पी० ने लाठी चार्ज किया था उसको आई० पी० एस० बनाया गया। दो वर्ष की तनख्वाह करीब १६ हजार दी गयी। जब लाठी चार्ज का यह पुरस्कार मिलेगा तो हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। मैं एक चेतावनी सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रक्खे कि अगर आन्दोलन को विद्यार्थियों के ऐसे अनुशासनहीनता का लांछन लगाकर कुचलने की उम्मीद रखते हैं तो पूरे प्रदेश का विद्यार्थी जब खड़ा होगा, उसके साथ मजदूर और किसान खड़ा होगा, तो आपको कुचल कर रख देगा और आगे नहीं चलने देगा।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं निवेदन करूंगा कि हमको पिछाड़ी बैठने वालों को एक मिनट भी नहीं मिला। श्रीमन्, जो यह पुलिस है .....

श्री अध्यक्ष—आप जबरदस्ती बोलते हैं, यह बात ठीक नहीं है, अनुचित है, आप कृपया बैठिये। माननीय गृह मंत्री जी भाषण देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा कामरोको प्रस्ताव था। मुझे ५ मिनट का भी मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—अब वक्त नहीं है। दो घंटा बहस होती है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—आखिर में जवाब देने के लिये माननीय नेता विरोधी दल को सात मिनट का समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रस्ताव था, श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं गृह मंत्री जी का भाषण नहीं सुनना चाहता।

(श्री मोतीलाल अवस्थी सदन छोड़कर चले गये।)

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, जो प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ने प्रस्तुत किया है और उसके संबंध में जो वाकयात उन्होंने पेश किये हैं, उसमें उन्होंने यह बातें कहीं कि यह सर्वमान्य है कि लाठी चली और यह भी सर्वमान्य है कि वहां कुछ लोग इकट्ठा थे जिनमें विद्यार्थी भी थे, और यह भी मानी हुई बात है कि पुलिस के ऊपर भी ढेले चले। यह भी कहा गया कि पुलिस छात्रावास में गयी और वहां उसने उनको पीटा और लूटपाट की। मान्यवर, कल इसी सदन में इस विषय पर वक्तव्य देते हुए मैंने आपकी आज्ञा से यह निवेदन किया था कि जो रिपोर्ट मेरे पास आयी हुई है, बहुत जल्दी में जो थोड़ी-सी रिपोर्ट आयी थी जिस के ऊपर बार बार प्रश्न किये गये थे कि छात्रावास में पुलिस गई या नहीं, तो मैंने निवेदन किया था कि अभी रिपोर्ट में छात्रावास में जाने की बात नहीं कही गयी है। तब आपने आज्ञा दी थी कि इस विषय पर तफसील से रिपोर्ट मंगा लो, इस पर हमने वह मंगाई और उससे पता लगा, जैसा कि उस में लिखा है, कि पुलिस की एक टुकड़ी छात्रावास में गई, यह रिपोर्ट है वहां के कलक्टर की और एस० पी० की, उसमें लिखा है कि वहां पर जो ४ कांस्टेबिल होस्टल के सामने खड़े थे उनको वापस होते हुये विद्यार्थी होस्टल में घसीट कर ले गये थे और जिनको उन्होंने बन्द कर रखा था और पीट रहे थे। उनको छुड़ाने के लिये एक टुकड़ी पुलिस की भीतर गई थी। मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि जब हमारे आदरणीय पालीवाल जी बोल रहे थे तो किन्हीं कारणों से, किसी के कुछ टोकने से उन्हें कुछ क्रोध भी आ गया था। यह बहस जो चल रही है उसमें आक्षेप और प्रत्याक्षेप हों और जैसी कि आपकी आज्ञा हुई सबने अपनी बातें रखीं परन्तु यह विषय ऐसा है जिस पर प्रदेश के उन तमाम व्यक्तियों की कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और आक्षेप प्रत्याक्षेप से ऐसे मामलों में कोई ज्यादा सहायता नहीं मिलती बल्कि उससे स्थिति बिगड़ती है।

घटना यह है कि वहां लड़कियों की मैच हो रही थी, लड़कियां उसमें खेल रही थीं। दिल्ली से एक टीम आई थी, उसे देखने का टिकट था, विद्यार्थियों के लिये कंसेशन टिकट था और उसे बहुत से विद्यार्थी देख रहे थे। उसके बाद ढाई सौ विद्यार्थियों का गिरोह आया जिसने चाहा कि दरवाजा खुल जाय और भीतर घुस जायं लेकिन वहां की पुलिस ने उस को रोका लेकिन एक विद्यार्थी दीवार को फांद कर भीतर गया और उसने दरवाजे को खोल दिया, नतीजा यह हुआ कि एक अच्छा गिरोह विद्यार्थियों का भीतर घुस गया। जो पुलिस भीतर थी उसने उनको आगे बढ़ने से रोका कि तुम स्टेडियम के पास नहीं जा सकते और उनको बाहर ढकेला गया और दरवाजा बन्द किया गया। अब जिन विद्यार्थियों को पुलिस बाहर ले गई वे क्षुब्ध हुये और बाहर जाकर उन्होंने ढेले बरसाना शुरू किया, यहां से घटना आरम्भ हुई और सड़क तक पर ढेले चलने लगे। वह भीतर भी गये, कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगी। जब इतना उपद्रव हुआ तो मैच देखने वाले विजिटर्स भी घबराये और पुलिस के ऊपर विद्यार्थियों का रोष बढ़ता गया। किसी तरह से विजिटर्स को तो बाहर निकाला गया। लेकिन इस शोरगुल से विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो गई और करीब ५–७०० विद्यार्थी इकट्ठा हो गये, कुछ डी०ए० वी० कालेज की बाउन्ड्री पर खड़े थे और कुछ सड़क पर। फिर ढेले चले और हाफ टाइम से पहले ही मैच में भी गड़बड़ी पड़ी तो मैच भी बन्द कर दी गई, मैच नहीं हो सकी, भगदड़ मची। खेलने वाले और लड़कियों को बाहर निकालने के लिये भी, जो तुरन्त बाहर जाना चाहते थे दरवाजे पर जाकर पुलिस ने कार्डन वगैरह बनाया। बाहर विद्यार्थियों की तादाद खासी हो गयी। जो वहां मैजिस्ट्रेट और डी० वाई० एस० पी० मौजूद थे उन्होंने विद्यार्थियों से एक दो बार कहा कि आप यहां से हट जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। रास्ता रुक भी गया और भीतर से निकलने वालों को निकलने की गुंजाइश नहीं रही। लड़कियां जो खेलने आयीं थीं उनको बचाना और सुरक्षित रखना जरूरी था। लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ, ढेले काफी तेजी से चलते रहे। इस पर वहां टीयर गैस चली,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जिसके कि शेल केप्स यहां दिखाये गये हैं। यह ठीक है कि टीयर गैस चलायी गई और यह भी वाकया है, जैसा कि त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था, कि ४५–४६ शेल्स चले, बल्कि मैं तो समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, करीब ५२–५३ शेल्स चले तीनों दिन मिला कर के।

श्री त्रिलोकी सिंह---दूसरे दिन का हमने जिक्र नहीं किया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---ठीक है, नहीं किया है। तो शेल्स वहां चले। चलने से एक बार विद्यार्थियों की तादाद हटी सामने से, तो जो भीतर थे उनको निकाल बाहर करने की कोशिश की गयी। इतने में फिर विद्यार्थियों का गिरोह आ गया और फिर उसने ढेले चलाने शुरू किये। उसमें डी० वाई० एस० पी० के भी चोट आई, एक मैजिस्ट्रेट के छोटी-सी चोट आयी, कुछ कांस्टेबिलों के भी आयी। इस पर उन्होंने कहा कि टीयर गैस से काम नहीं चला, लाठी चार्ज करो। लाठी चार्ज हुआ। लाठियां चलने पर ये विद्यार्थी भागे। इतनी देर में जो बाउंडरी है डी०ए०वी० कालेज की उस पर बैठे हुए विद्यार्थियों और उसकी छत पर बैठे हुये विद्यार्थियों ने ईंटें चलाने शुरू किये। जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा, वहां कांस्ट्रक्शन हो रहा है, ईंटें, गिट्टियां पड़ी हुई थीं। तो वहां से खासी तादाद में ईंटों के टुकड़े चले। मालूम नहीं, नेता विरोधी दल ने ऐसी बात कही है तो कैसे कहूं कि गलत है कि कलेक्टर वहां साढ़े आठ बजे तक नहीं पहुंचे, जबकि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वह साढ़े ६ बजे पहुंच गये थे।

श्री त्रिलोकी सिंह---होस्टल नहीं गये थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---लेकिन वह घटनास्थल पर साढ़े ६ बजे पहुंच गये जहां पर कि टीयर गैस और लाठी चार्ज हुआ। वहां ढेलों से सड़क पट गयी थी। फिर टीयर गैस छोड़ी गयी जिससे विद्यार्थी छतों पर से हट जायं, लेकिन थोड़े बहुत ईंटे चलते रहे। अब पुलिस पार्टी वापस हुई तो उन्होंने देखा कि ४ कांस्टेबिलों को जो वापस जा रहे थे उनको विद्यार्थी घसीट करके होस्टल के भीतर ले गये और उनको पीटा-पाटा भी, उनकी वर्दियां भी फाड़ दीं। इस पर पुलिस की टुकड़ी फिर गयी और उन्होंने चारों को छुड़ाया। ९ आदमियों को गिरफ्तार किया और जो गिरफ्तार हुए थे उनमें घायल भी थे। जो घायल थे उनको उन्होंने अस्पताल भेजा और फिर रात को यह कहने पर वहां के प्रिंसिपल और प्रेसीडेंट के कि ये अब शांत रहेंगे, कोई बात नहीं होगी, जमानत करके लड़कों को छोड़ दिया गया, लेकिन १४४ कलेक्टर ने जरूर लगा दी। यह, मान्यवर, उस रोज की घटना हुई, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की आवश्यकता वहां इस अभिप्राय से पड़ी कि जैसा हम जानते हैं कि कानपुर में मैचेज वगैरह होते हैं और ये घटनायें कई बार हो चुकीं। मान्यवर, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष यहां कोई कल्चरल शो हुआ था, रशियन डेलीगेशन आया हुआ था कानपुर में....

श्री त्रिलोकी सिंह---४ वर्ष की बात हो गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अच्छा, ३–४ वर्ष की बात हो गयी। काफी बड़ी घटना वह हो गयी। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों पर मुकदमा चला, कुछ को सजायें हुई और हमारे पास भी इस प्रकार के रेप्रेजेंटेशन आते रहे हैं कि मुकदमें विद्ड्रा कर लिये जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अभयंकर नगर में भी लाठी चार्ज हुआ था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जरूर हुआ होगा। जहां कहीं इस प्रकार की जबरदस्ती होगी, वहां तो शांति और व्यवस्था की रक्षा करने के लिये जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी, वह करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां तीन-चार मैचेज हुये, वेस्ट इंडीज का हुआ, रांजी ट्राफी का हुआ, वेस्ट इंडीज के मैच में एक दिन मैं भी गया था, उस वक्त

यह शोरगुल मचा था कि दरवाजा टूटा, दरवाजा टूटा। एक दिन पहले २८ फरवरी को दारा सिंह जी की और किसी की एक फ्री स्टाइल की कुश्ती थी, उसमें ऐसी घटना हुई थी। दूसरे दिन लड़कियों का मैच था और जैसा कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल का भी खयाल है कि जिस स्थिति में लड़कियां खेल रहीं थीं उसमें उत्सुकता होना स्वाभाविक था, अर्द्ध-नग्न स्थिति में, तो उस उत्सुकता को उसके प्रबन्धक भी जानते थे और पुलिस भी जानती थी कि यह उत्सुकता है और दरवाजा तोड़ कर घुसने की कोशिश की जायगी। यही औचित्य है इस बात का कि वहां पुलिस का प्रबन्ध था और बराबर जब मैच वगैरह होते हैं तो पुलिस का प्रबन्ध रहता है। और, मान्यवर, मैं यह भी बताऊं कि सायंकाल की इस घटना के बाद ही, जहां कोई पुलिस वाला मिला वहीं पीटा गया। एक आध को तो चोट आयी और एक आध की वरदी फाड़ी गयी और दौड़ा तो लेते ही थे।

दो तारीख को भी घटना हुई, इसका उल्लेख नहीं है उसमें। लेकिन दफा १४४ जरूर लगी हुई थी, वह तोड़ी गयी और एक प्रोसेशन निकला जो कोतवाली के सामने तक गया। यह वहां की स्थिति है और यह रिपोर्ट है। उसमें यह जरूर है कि पुलिस की एक टुकड़ी होस्टल में गयी। अब हमारे इस आदरणीय सदन के कतिपय सदस्यों का कहना है कि मैं अपनी आंख से देख आया हूं, उनके शीशे तोड़े गये, उनको कमरों में से निकाला गया, उनका सामान लूटा गया, अभी माननीय राजनारायण जी ने भी बताया और हमारे आदरणीय मित्र चन्द्रजीत जी ने भी कुछ कहा कि १,४०० या कितना रुपया लूटा और यह कहते हैं कि अपनी आंख से देखा। तो, मान्यवर, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि आपकी ये सारी बातें गलत हैं, लेकिन यह मैंने अवश्य सोचा है कि मैं इस मामले की कि होस्टल में पुलिस गयी और उसने वहां लूट पाट की और कमरों में से निकाल कर लोगों को पीटा और रुपया निकाला किसी बड़े अफसर से इंक्वायरी कराऊं। (आवाजें—क्या पुलिस द्वारा?) जी नहीं, किसी और बड़े अधिकारी से, वहां के स्थानीय अधिकारी से नहीं, मैं सोच रहा हूं कि कमिश्नर से इसकी इन्क्वायरी कराऊं और जिन सज्जनों ने उन वाकयात को देखा है वे उनके सामने सब बातें रखें। यह मेरा स्वयं का प्रस्ताव है, जो मैंने आपके सन्मुख रखा। लेकिन मैं एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आदरणीय पालीवाल जी ने कहा कि जनतंत्र में इस तरह से डंडे चलते हों, राजनारायण जी ने भी कहा कि सन् ४२ के विद्यार्थी क्रांतिकारी थे, तो ये बातें सही हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, पर मैं राजनारायण जी से पूछता हूं कि सन् ४२ के जो विद्यार्थी थे जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लिया क्या वे इस प्रकार की भी घटना कभी करते थे? वह चाहे युग का प्रभाव रहा हो या गांधी जी का प्रभाव रहा हो, या आन्दोलन का प्रभाव रहा हो, करते वे भी थे आन्दोलन पर कहीं इस प्रकार का कि जिसमें प्रत्यक्ष आप कहें कि अनुशासनहीनता है? यही नहीं, नियम और व्यवस्था को तोड़ कर कानून को भंग करने की चेष्टा की जाती है। वह भी विद्यार्थी नहीं करते थे चाहे कितना ही कष्ट उठायें, लेकिन आज वह चीज हो जाती है और सारे विद्यार्थी समाज की जिम्मेदारी नहीं है। यह भी सही है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था जिनके हाथ में है उनको देखना चाहिये। जरूर देखना चाहिये और उनको ही नहीं देखना चाहिये, बल्कि हमें और आप सभी को देखना चाहिये और उन सबको देखना चाहिये जिनके बच्चे हैं और पढ़ते हैं और सार्वजनिक नेता जो हैं, अगर इस प्रकार की बात हो जाय तो उनको इस प्रकार की घटना की कड़ाई के साथ निन्दा करनी चाहिये। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी जाय? यह कोई गौरव की बात नहीं है। जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने १९४२ की क्रांति को और बिना टिकट जाने की बात को जोड़ा है। उनका इस तरह से जोड़ना अनुचित बात मालूम होती है और इससे अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सिवाय इसके कि उसको दबाने की चेष्टा की जाय और कोई मार्ग नहीं है और न किसी का सुझाव है और न कोई सुझाव आया है।

यह बात साफ है और मैं जिस बात की जांच कराऊंगा वह तो कराऊंगा ही, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा की गई है और जैसी कि परिस्थिति पैदा हो जाती

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है जैसे कि काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों के बारे में जिक्र किया गया है तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि उसमें बल प्रयोग करना पड़ता है। वह दुखद होता है और शर्म की बात भी मालूम पड़ती है, लेकिन करना पड़ता है। भगवान् करे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। इन शब्दों के साथ में माननीय त्रिलोकी सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विवाद पर कुछ गरमी पैदा हो गई। मैं नहीं चाहता था और न इस प्रकार की गरमी से, इस सदन में यदि कोई विषय उपस्थित हो तो उसके विचार में कोई सहायता हो सकती है। लेकिन यह कि शिकायत का इस तरफ से इजहार न किया जाय, नाराजगी या अफसोस का इजहार न किया जाय, एक अजीब बात है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया कि अकारण जब लोग पीटे जायं और किसी छात्रावास में या नागरिकों के घर में घुसकर पुलिस वाले मारपीट करें, अगर इससे गुस्सा न आयेगा तो कौन सी घटना हो सकती है जो गुस्से का मौका किसी इंसान को दे सकती है?

मुझे अफसोस है जब यह सोचता हूं कि मैं किस युग में हूं, कहां हूं और किन लोगों के बीच में हूं। क्या मेयार है उन लोगों की जिन्दगी का, किस सभ्यता के वे हामी हैं? बरेली जिला के माननीय सदस्य ने तो हद्द कर दी। जैसे कि अंग्रेजी में मिसाल है "आउट हिरोडिंग हिरोड" जो जिला मजिस्ट्रेट ने भी कहने का साहस नहीं किया लेकिन उन्होंने कह डाला। शिकायत की बात नहीं यदि इलाहाबाद जिला के माननीय सदस्य ने नैतिकता पर भाषण दिया। किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि इलाहाबाद इस देश की संस्कृति का एक केंद्र रहा है, लेकिन मेरा यह कहना और इस बात का जिक्र करना कि जहां अर्द्धनग्न अवस्था में कम उम्र की लड़की होंगी उनको देखने के लिये स्वाभाविक इच्छा होगी, इसमें उनको अनैतिकता की झलक कहां से आई? मैं नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि लड़कियों की कमाई खाना, उनका तमाशा दिखाकर, नैतिक कार्य था। मैं जानना चाहता हूं, इन खिलाड़ी लड़कियों में कौन ध्यानचन्द थी, कौन हाबुल थी। मामूली छोकरियां लाई गई थीं। क्यों उनके जरिये फायदा उठाने की कोशिश की गई? अगर वह मशहूर खिलाड़ी होतीं तो समझ में आ सकता था। अबोध बालिकाओं को लाना, इससे बढ़कर अधिक पतन की बात, माननीय इलाहाबाद के सदस्य मानें न मानें लेकिन इस देश की संस्कृति, इस बात का समर्थन करेगी, कि नहीं हो सकती। इस देश के लिये यह शर्म की बात होनी चाहिये कि कितना ही नेक काम क्यों न हो ऐसी लड़कियों को आमदनी का जरिया बनाना अच्छी बात नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसकी इजाजत दी उनको भी सोचविचार करके काम करना चाहिये था।

मेरी शिकायत थी कि छात्रावास में टियर गैस का इस्तेमाल हुआ और मेरी शिकायत थी कि छात्रावास में पुलिस के आदमी अकारण घुसे। मेरी शिकायत थी कि उन्होंने छात्रावास के कमरों को तोड़ कर वहां लड़कों को पीटा और कुछ सामान उठाया। अब आज कहा गया है कि वह पुलिस वालों को छुड़ाने गये थे। मेरे पास यह जिला मैजिस्ट्रेट का कम्युनिक मौजूद है। क्या जिला मैजिस्ट्रेट को परसों कम्युनिक शाया करते वक्त इसका ज्ञान नहीं था कि चार पुलिस वालों को छात्रावास में पकड़ ले जाया गया और उनको छुड़ाने के लिये वहां पुलिस की टुकड़ी गयी और टियर गैस का इस्तेमाल करनेकी जरूरत तब आयी और छात्रावास के कोठे पर चढ़ा कर लड़के ढेले चलाने लगे थे? यदि ऐसा था तो क्यों नहीं कहा? उनके कम्युनिक से साफ जाहिर है, अंग्रेजी भाषा का मुझे भी कुछ ज्ञान है। उसमें बिलकुल साफ है कि जितनी ढेलेबाजी हुई यह ग्रीन पार्क के दक्खिन जानिब जिस तरफ डी०ए०वी० कालेज है उस तरफ हुई है। जहां छात्रावास है वहां पर नहीं हुई। यह आपटर थाट है, मनगढंत है, वाकयात को छिपाने के लिये एक नया

फिसाना, एक शिगूफा बनाया गया है। मुझे इसे कहते हुए अफसोस होता है। माननीय मंत्री इस बात को सोचें कि जिस बात का परसों गुमान न हो, जो सबसे बड़ी शिकायत की बात हो, उसका कोई इल्म न हो और आज ४८ घंटे के बाद कहा जाय कि सिपाहियों को बचाने के लिये पुलिस वाले छात्रावास में गये। अगर बचाने के लिए गये थे तो कमरे तोड़ने की क्यों नौबत आयी? फिर टीयर गैस किधर छोड़ी गयी? यह ग्रीन पार्क की दक्खिन जानिब नहीं सारी टियर गैस का इस्तेमाल छात्रावास पर हुआ और तब हुआ जब कि पार्क से पुलिस वाले तथा वेरी इम्पार्टेंट पर्सन्स निकल रहे थे।

मुझे खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी शिकायतों की जांच किसी बड़े अधिकारी से, डिवीजनल कमिश्नर से कराने का विचार रखते हैं। बेहतर होता कि वह बजाय डिवीजनल कमिश्नर के हाई कोर्ट के जज के सुपुर्द यह कार्य करते। उससे बात और ज्यादा साफ हो जाती।

यह बात विचार करने की है कि कानपुर जिला के एक सदस्य ने एक लपेट में कह दिया कि कानपुर के आदमी भले नहीं हैं, दुःख की बात है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वहां की कुछ पार्टियां विद्यार्थियों की आड़ में शरारत कराया करती हैं। बेहतर होता कि वह उन पार्टियों का नाम भी ले लेते।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मेरी बात को तोड़ मरोड़कर विरोधी दल के नेता कह रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं कानपुर के माननीय सदस्य का मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे कथन से इन्कार नहीं किया। शिकायत केवल यह है कि मैंने उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा। तो ऐसी बात उन्होंने क्यों कही जिसको तोड़ मरोड़ करके एक से ज्यादा मानी लग सकते हैं? कानपुर के विद्यार्थियों पर यह लांछन लगाना कि वे झगड़ा कर देते हैं, १९५५ में रूस की टीम आयी थी जिसके मुंतजिम इस प्रदेश की सरकार के एक डिप्टी मिनिस्टर साहब थे और विद्यार्थियों ने उसमें झगड़ा किया था, यह कलंक की बात है, शोभा की बात नहीं है। इसका कारण एक डीप रूटेड मैलेडी है जो समाज को खाये जा रही है।

यह कह देना कि इम्तहान से भी विद्यार्थी बिलकुल बेबहरा और बेफिक्र हैं और हजरतगंज के बाजार में आज भी इलाहाबाद जिला के माननीय सदस्य को वह दिखाई देते हैं और बजाय किताबों के वह सिनेमाघरों की सैर करते नजर आते हैं। मैं, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि वह इस सदन के माननीय सदस्य तो हैं ही, एक काबिल आदमी हैं, और मैंने जो कहा था उसको दोहरा देता हूं कि जनवरी से लेकर मार्च--अप्रैल के महीने तक व्यक्तिगत विद्यार्थी भले ही कुछ करें, लेकिन समूह के साथ किसी ऐसी शरारत को करना या किसी ऐसे कार्य को करना जिसमें हजार पांच सौ विद्यार्थी इकट्ठा होकर उपद्रव करें या किसी शिकायत का मौका दें, अनहोनी बात है। अब इक्के दुक्के विद्यार्थी को कौन कहे? कुछ बूढ़े भी हजरतगंज की बाजार की सैर करते हैं और, मान्यवर, जब असेम्बली का सेशन होता है तब वहां की रौनक कुछ कदर बढ़ जाती है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गौर कीजिए, सोचिए, समझिये। इन घटनाओं से आंख न बन्द कीजिए। मुझे खुशी है कि इन्क्वायरी होगी। मैं खुद उस इन्क्वायरी आफिसर के सामने अपनी शहादत को पेश करूंगा, अपनी गवाही दूंगा, उन लोगों की जिनसे मैंने बात की है, खुद मेरी देखी कोई बात नहीं है। मालूम नहीं माननीय गृह मंत्री को कैसे दूसरा विचार हो गया। देखी बात है, दरवाजा टूटा हुआ, चोटियल लड़कों को अस्पताल में पड़ा हुआ। देखी बात है, कुछ लोगों के कपड़े फटे हुए, या खून के धब्बे। मेरे सामने न कोई मारा गया, न पीटा गया, मैं तो २० घंटे बाद पहुंचा। अतः मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को कि इस सदन का कार्य स्थगित किया जाय, सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष---अब मैं राय ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि...

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इसका कुछ उत्तर देने का मुझको भी समय मिलेगा अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अब दो मिनट रह गए । एक मिनट आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक मिनट में इस तमाम भाषण के बाद त्रिलोकी सिंह जी के कि इस बात का उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि अगर दरवाजे तोड़े जायं, जबर्दस्ती भीतर घुसने की कोशिश की जाय, ढेले फेंके जायं तो उस वक्त शान्ति की व्यवस्था की रक्षा के लिए कौन कार्यवाही करनी चाहिए, इस बात का कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया और मैं, मान्यवर, यह पूछना चाहता हूं एक मिनट और यदि वहां मैच हो रहा था और मैच चाहे लड़कियों का ही मैच रहा हो, इसके लिए उसके ऊपर यह एक आक्षेप लगाना कि वह लड़कियों को दिखा कर के पैसा कमाने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए वहां जो लोग तोड़ करके गए दरवाजे को और ढेले फेंके उनका यह कार्य क्या अच्छा था ? ऐसी उनकी राय है और ऐसी व्यवस्था अगर वह बहुत पसन्द करते हों तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---ए सेकंड सर । मुझे अफसोस यह है कि माननीय गृह मंत्री ने जो नोटिस मैंने दिया था और जिसकी कापी उनके पास भी भेजी थी, उसको पढ़ा नहीं । अगर वह उसे पढ़ते तो उसमें सारा जोर छात्रावास के वाकये के ऊपर है, इसके अलावा मैंने स्वयं कहा था कि दो लड़के थे, उन्होंने अन्दर जाकर दरवाजा खोला और ढेलेबाजी हुई ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि एक सार्वजनिक निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर अर्थात् कानपुर नगर में १ मार्च, १९५९ को अकारण पुलिस द्वारा लाठी प्रहार, अश्रुगैस का प्रयोग तथा डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास में घुसकर निरपराध विद्यार्थियों को पीटना तथा उनके सामान को लूटना, पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६७,

विपक्ष में---१८१ ।)

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २३---लेखा शीर्षक ४०---कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और गवेषणा तथा अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ७१---कृषि-सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---एक प्रश्न रह गया था । मैंने सबेरे यह कहा था कि आज ४ बजे तक इस अनुदान के बारे में राय ले ली जायगी । अब उसके बाद थोड़ी गलतफहमी हो गई कि उस वक्त राय नहीं ली गई बल्कि भाषण होते रहे । कुछ डिवीजन में भी समय लग गया । ४ बजे श्री उपाध्यक्ष ने कहा था कि कल सबेरे उस पर राय हो जायगी, किन्तु कुछ लोगों की राय यह मालूम होती है कि यह अभी होना चाहिये । तो मैं इस पर राय ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३ व ४७ पर आज ही राय ले ली जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और गवेषणा—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ३,५२,४७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब दूसरा है जिसमें श्री जगवीर सिंह जी का कटौती का प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक : ७१—कृषि सुधार और खोज (research) की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १०,१३,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ मार्च, १९५९।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९५ पर)

Copy of letter no. A—IV—/HS/Motinagar/5372, dated December 26, 1958, from the Joint Secretary, U. P. Civil Secretariat Association, Irrigation (C) Department, Lucknow, to the Secretary to Government, U. P., Housing Department, Lucknow.

I am desired to say that the Association are informed that a piece of land measuring 12 Bighas 2 Biswas and 17 Biswansis lying between Motinagar and Aish Bagh Railway Station and belonging to the Balrampur Raj, is available for sale, and the Chandra Housing Co-operative Society Ltd. (a Society registered under the Co-operative Societies Act) consisting of the employees of the U. P. Civil Secretariat, has already negotiated the question of the purchase of the aforesaid land from the Balrampur Raj, but the only difficulty in the purchase of the land is that it has been notified under section 36 of the Town Improvement Act by the Improvement Trust, Lucknow for their Mowaiya Street 3rd Additional Scheme. Thus, the purchase cannot be effected till the land is released from the Scheme in favour of the above mentioned Society. The question of releasing the land in favour of the Society is already under the consideration of the Government in the Housing Department.

2. In this connection it might be stated that the Mowaiya Scheme referred to above was framed by the Improvement Trust as far back as in 1942 and it has not been sanctioned by the Government so far. It is still likely to take some more time to materialize. As the land will be utilized for a residential colony, which is also the object of he said Scheme, there should be no difficulty in releasing the land in favour of the above mentioned Society. The Association hope that the Government will be pleased to help their employees in solving the housing problem on a co-operative basis. The necessity of providing suitable plots of land to the Secretariat staff for construction of their own houses, is quite obvious and it is perhaps needless to emphasize that their efficiency in the discharge of their official duties is likely to improve considerably, if the basic necessities of life are ensured to them. Most of the members of the Association are living in rented houses or under even more adverse circumstances and they have to face considerable difficulties in their day to day life, with the result that their efficiency is adversely affected. Some of the members have also obtained house-building advances from the Government, but they are not in a position to utilize the same due to non-availability of suitable land at a cost within their means and in proximity to the place of their work.

3. Besides the above mentioned land, there is yet another 25 Bighas of land lying vacant in the vicinity, whcih is also included in the Mowaiya Scheme of the Improvement Trust. This land could, in addition, be taken over by the Government for construction of Government quarters for the Secretariat staff, in connection with which the request of the Association is already under the consideration of the Government. Since the land comprises of 25 Bighas of land, a part of it could also be provided to the Posts and Telegraph Department for their staff colony, for which the Improvement Trust propose to reserve the land of the Balrampur Raj.

The Association would request that the entire land lying between Motinagar and Aish Bagh Railway Station may kindly be reserved for the Secretariat staff as suggested above.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३६९ एल० ए०—१९५९—८४५ ।